VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

जून - 2017

VISIONIAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान.....6

1.1. गैर-सरकारी संगठनों का विनियमन.....6

1.1.1. गैर-सरकारी संगठनों को प्राप्त होने वाले सार्वजनिक धन का विनियमन.....6

1.1.2. FCRA से सम्बंधित मुद्दे.....6

1.2. पुडुचेरी सरकार द्वारा और अधिक शक्ति की मांग.....8

1.3. ड्रग संबंधी समस्या पर पंजाब और संयुक्त राष्ट्र सहयोग.....10

1.4. निर्वाचन आयोग को अवमानना के संबंध में शक्तियां.....10

1.5. BCCI को RTI के दायरे में लाना.....10

1.6 विधायिका के विशेषाधिकार.....12

1.7 पेड न्यूज़ और चुनाव सुधार.....13

1.8. गोरखालैंड मामला.....14

1.9. कॉममिट.....15

1.10. संसद में सुधार: दक्षता बढ़ाना.....16

1.11. टेली-लॉ इनिशिएटिव.....17

2. अंतर्राष्ट्रीय/ भारत एवं विश्व.....20

2.1 क़तर राजनयिक संकट.....20

2.2 शंघाई सहयोग संगठन (SCO).....21

2.3. बिम्सटेक के 20 वर्ष.....22

2.4 भारत - अमेरिका.....23

2.5 भारत - चीन.....25

2.6 भारत-रूस संबध.....26

2.7. भारत-फ्रांस.....27

2.8 भारत-अफगानिस्तान.....29

3. अर्थव्यवस्था.....31

3.1. कृषि पर GST का प्रभाव.....31

3.2. कृषि आय पर करारोपण.....31

3.3. पूंजीगत लाभ कर नियम.....33

3.4. किसानों का विरोध-प्रदर्शन.....33

3.5. मैकेंज़ी इंप्लायमेंट रिपोर्ट.....35

VISION IAS

3.6. अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौते 36
3.7. ईंधन हेतु प्रशासित मूल्य तंत्र 37
3.8. SATH कार्यक्रम 39
3.9. एयर इंडिया की बिक्री का प्रस्ताव 39
3.10. GST सुविधा प्रोवाइडर्स 40
3.11. रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म 41
3.12. राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन 41
3.13. DAY-NRLM का प्रभाव आकलन 42
3.14. अजी बांध का उद्घाटन 42
3.15. स्टार्टअप इंडिया हब 43
3.16. वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 43
3.17. BEPS रोकने हेतु भारत ने OECD के बहुपक्षीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया 44
3.18. DoNER ने पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरंभ किया 45
4. सुरक्षा 46
4.1. भारत में हवाला लेन-देन और आंतकवाद 46
4.2. महिलाओं को सेना में मिलेगी युद्धक भूमिका 46
4.3. म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन के संबंध में अध्ययन के लिए पैनल 47
4.4. पृथ्वी–2 मिसाइल 48
4.5. म्यांमार और NSCN-K का युद्ध विराम समझौता 48
4.6. पेट्या रैंसमवेयर साइबर हमला 49
4.7.आधार और राष्ट्रीय सुरक्षा 50
5. पर्यावरण 52
5.1. UN ओशन कांफ्रेंस 52
5.2. NCR पक्षियों के लिए डेथ ट्रैप बनता जा रहा है: रिपोर्ट 53
5.3.ओरांग टाइगर रिज़र्व 54
5.4. विशाखापत्तनम में प्रदूषण में वृद्धि 55
5.5. नीलगिरी तहर 55
5.6. भारत की जैव विविधता में वृद्धि 56
5.7. ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम 57
5.8. गोवा में नए जैव-विविधता क्षेत्र 58

VISION IAS

5.9. अमीनपुर झील: देश का पहला जैवविविधता विरासत स्थल 59
5.10. सोलर स्पेक्ट्रम का पूर्ण उपयोग 60
5.11. घायल वन्यजीवों के लिए रेस्क्यू वार्ड 60
5.12. 30 नई स्मार्ट सिटी घोषित 61
5.13. किसानों के लिए खतरा, वनों के लिए वरदान 62
5.14. जलवायु परिवर्तन: उष्णकटिबन्धीय क्षेत्र में वर्षा 63
5.15. ग्रीन ग्रोथ की प्राप्ति की धीमी प्रगति 63
5.16. महाराष्ट्र हाईकोर्ट: नर-भक्षी बाघ 64
5.17. एनर्जी कंज़र्वेशन बिल्डिंग कोड-2017 65
6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी 67
6.1. GSLV MK III का प्रक्षेपण 67
6.2. प्रतिजैविक दवा प्रतिरोध : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा एंटीबायोटिक्स प्रोटोकॉल की समीक्षा 68
6.3. बच्चों के अनुकूल एच.आई.वी. दवा को सरकार की सहमति प्राप्त 70
6.4. क्रिप्टोकरेंसी 70
6.5. पादप : सूखा जनित दबाव 71
6.6. दूध में मिलावट 72
6.7. सिटीजन साइंटिस्ट्स द्वारा सौर प्रणाली के निकट 'न्यू कोल्ड वर्ल्ड' की खोज 72
6.8. IMD द्वारा मलेरिया, चिकनगुनिया के संबंध में पूर्व चेतावनी हेतु प्रणाली 73
6.9. इसरो (ISRO) बैक-अप उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार 73
6.10. हैदराबाद टीम द्वारा स्टेम सेल के प्रयोग से *मिनियेचर आइज* का विकास 74
6.11. महासागरों पर तड़ित स्थलीय भाग की तुलना में अधिक शक्तिशाली 75
6.12. एस्ट्रोसैट द्वारा ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न उत्तरदीप्ति का खंडन 75
6.13 एन्क्रिप्शन हेतु क्वांटम यांत्रिकी / तकनीक एक बड़े कदम के रूप में 76
6.14. इंटरनेशनल BIO कन्वेंशन 2017 76
6.15. नासा द्वारा पृथ्वी के आकार के 10 ग्रहों की खोज़ 77
6.16. नाग मिसाइल 78
6.17. ब्रह्माण्ड के सबसे गर्म ग्रह की खोज 78
6.18. कार्टोसैट-2 श्रृंखला का उपग्रह : 78
6.19. पतंगों द्वारा पवन ऊर्जा 79
6.20. अंटार्कटिक नीति 80

VISION IAS

7. सामाजिक मुद्दे *81*
7.1. भारत की पहली ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट 81
7.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 82
7.3. बाल विवाह के मामले में राजस्थान शीर्ष पर 83
7.4. विश्व के गरीब बच्चों का 31% हिस्सा भारत में है 84
7.5. भारत और जीका वायरस 85
7.6. 'संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों' की व्यापक परिभाषा 85
7.7. बाल श्रम: भारत ने बाल श्रम से लड़ने के लिए ILO कोर C का अनुमोदन किया 86
7.8 इंटेंसीफायड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट 87
7.9. वात्सल्य- मातृ अमृत कोष 88
7.10. समावेशी भारत पहल 89
7.11. शिक्षा नीति के लिए कस्तूरीरंगन समिति 90
8. संस्कृति *91*
8.1. अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का उत्सव 91
8.2. भारत के सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन 91
8.3. बंगाली अख़बारों के प्रकाशन की द्वि-शताब्दी 91
9. नीतिशास्त्र *93*
9.1. प्रतिबन्ध संस्कृति 93
10. विविध *95*
10.1. सम्पूर्ण योग ग्राम 95
10.2. INAM-Pro+ का शुभारम्भ: 95
10.3. पुर्तगाल ने भारत के साथ 400 वर्ष पुराने अभिलेखागार साझा किए 95
10.4 कन्याश्री प्रकल्प योजना 95
10.5. पहली ग्रामीण LED स्ट्रीट लाईट परियोजना 96
10.6 पहला स्वदेश में निर्मित फ्लोटिंग डॉक 96
10.7 NASA का सुपरसोनिक जेट: 96

VISION IAS

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1. गैर-सरकारी संगठनों का विनियमन

(Regulation of NGOs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अनेक गैर-सरकारी संगठन (NGOs) अपने 5 वर्ष (2010-11 से 2014-15 तक) की आय और व्यय का विवरण गृह मंत्रालय के समक्ष एक निश्चित समय सीमा के अंदर प्रस्तुत करने में विफल रहें हैं। परिणामस्वरूप लगभग 10,000 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों का विदेशी अनुदान प्राप्त करने का लाइसेंस रद्द हो सकता है।

1.1.1. गैर-सरकारी संगठनों को प्राप्त होने वाले सार्वजनिक धन का विनियमन

(Regulating Flow of Public Money to NGOs)

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को NGOs को प्राप्त होने वाले विदेशी अनुदान के संबंध में एक सांविधिक कानून बनाने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही सरकार को लगभग 30 लाख ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का ऑडिट करने का निर्देश दिया गया है जो सार्वजनिक धन प्राप्त करते हैं, परन्तु अपने व्यय का पर्याप्त लेखा प्रस्तुत नहीं करते हैं।

उच्चतम न्यायालय के सुझाव के बाद केंद्र सरकार ने NGO और स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश तैयार किए हैं:

- आवेदकों के पूर्व *ट्रैक रिकॉर्ड*, NGOs के आंतरिक प्रशासन एवं नैतिक मानदंडों का मूल्यांकन करना। किसी एक स्वतंत्र संस्था द्वारा NGOs के खातों का मूल्यांकन कराना तथा CAG द्वारा उनके प्रदर्शन का लेखा परीक्षण कराना।
- NGOs के खातों हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना।
- यदि NGOs अपनी *बैलेंस शीट* जमा करने में असफल होते हैं तो वसूली की एक निर्धारित प्रक्रिया होनी चाहिए। CBI के अनुसार 32 लाख NGOs में से केवल 3 लाख NGOs द्वारा ही अपनी *बैलेंस शीट* सरकार के साथ साझा की गई हैं।
- सरकार और CAPART न केवल ऐसे NGOs को *ब्लैकलिस्ट* करेंगे, बल्कि धन की रिकवरी के लिए उन पर दीवानी मुकदमा भी दर्ज करेंगे।
- ऐसे आपराधिक मामलो में आयकर अधिकारियों की सहायता लेने की योजना है। उपर्युक्त सभी प्रतिबंध अनुच्छेद 19 (1) (c) के तहत तर्कसंगत हैं। अनुच्छेद 19 (1) (c) में भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था जैसे तर्कसंगत प्रतिबंधों के अधीन नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार निहित है।

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (CAPART)

- CAPART की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास के लिए की गई थी।
- यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है।
- यह स्वैच्छिक संगठनों और सरकार के बीच उभरती साझेदारी को प्रोत्साहन देने और समन्वय करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

1.1.2. FCRA से सम्बंधित मुद्दे

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), NGOs द्वारा प्राप्त विदेशी वित्तीय सहायता को विनियमित करता है। FCRA के अनुसार, यदि किसी NGO को पूर्व अनुमति श्रेणी के तहत रखा गया है, तो गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना वह विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकता है। इस अधिनियम से सम्बन्धित कुछ अन्य मुद्दे निम्नलिखित हैं-

- **कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग-** सरकार ने कई NGOs के लाइसेंस को रदद् कर दिया है जिसे NHRC द्वारा भी पक्षपातपूर्ण बताया गया है।

VISION IAS

- **असहमति पर मनमाने तरीके से रोक-** इसका उपयोग सरकार द्वारा विपक्ष और मानवीय जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकारों की मांग करने वाले समूहों के विरोध या असहमति का दमन करने के लिए किया जा सकता है।
- **मानवाधिकारों का मुद्दा-** इस कदम से विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाले NGOs द्वारा दशकों से भारतीय नागरिकों को प्रदान की जा रही आधारभूत बुनियादी सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। इस रूप में संशोधित FCRA मानवाधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं-** भारत, संगठन बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देने वाले 'इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट' का हस्ताक्षरकर्ता देश है।
- **FEMA और FCRA-** वर्तमान में गृह मंत्रालय, FCRA के माध्यम से NGOs और विभिन्न संगठनों द्वारा विदेशों से प्राप्त धन पर निगरानी रखता है। लेकिन प्रभावी निगरानी के लिए FEMA (वित्त मंत्रालय के अधीन) के अंतर्गत पंजीकृत NGOs को भी निगरानी के दायरे में लाने की आवश्यकता हैं। क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता जैसे फोर्ड फाउंडेशन, कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र आदि इसके तहत पंजीकृत हैं।

इस विनियमन के लिए सरकार का तर्क

- **लोक सेवक-** ऐसा कोई भी संगठन, ट्रस्ट या NGO जो 10 लाख रुपये की विदेशी सहायता या 1 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता प्राप्त करता है, लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 के अनुसार "लोक सेवक " की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
- **संप्रभुता की रक्षा-** सरकार का मानना है कि इससे घरेलू राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप नहीं होगा। जिससे देश की संप्रभुता सुरक्षित रहेगी।
- **निधियों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा -** इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ आतंकवादी संगठनों को भी इस मार्ग से धन पहुंचाया जा रहा है। इस विनियमन के द्वारा ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है।

उपर्युक्त मुद्दों को हल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए

- **वैध प्रतिबंध-** संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। राज्य "सार्वजनिक हित" और "आर्थिक हित" का ध्यान रखते हुए अपने विवेक के आधार पर संगठन बनाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है।
- ***नेशनल एक्रेडिटेशन कौंसिल ऑफ इंडिया-*** भ्रष्ट और संदिग्ध NGOs की *मनी लॉड्रिंग* जैसी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक स्वायत्त और स्व-विनियमन पर आधारित संस्था की स्थापना की जानी चाहिए।
- 2015 में शुरू की गयी FCRA-PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाले NGOs के बैंक खाते *कोर बैंकिंग* सुविधा वाले संस्थान में होने चाहिए ताकि RBI और MHA को विदेशी अनुदान हस्तांतरण का निरंतर अपडेट मिलता रहे।

FCRA

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 1976 में लागू किया गया था। यह अनिवासी भारतीयों से प्राप्त सभी अनुदान, उपहार और दान को नियंत्रित करता है। सभी योग्य NGOs को विदेश से अनुदान एक प्राधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही प्राप्त किया जाना चाहिए।

इस अधिनियम में 2010 में संशोधन किया गया और निम्नलिखित तीन मुख्य बदलाव लाए गए :

- FCRA पंजीकरण प्रत्येक 5 साल बाद समाप्त हो जाएगा और इसका नए सिरे से नवीनीकरण कराना होगा। हालाँकि इससे पूर्व पंजीकरण के नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती थी।
- अब किसी संगठन को प्राप्त होने वाले कुल विदेशी अनुदान के (50%) प्रशासनिक कार्य हेतु व्यय के अनुपात को निर्धारित कर दिया गया है। इस प्रकार सिविल सोसाइटी के व्यय पर नियंत्रण स्थापित किया गया है।
- नए कानून के अंतर्गत केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि " राजनीतिक प्रकृति के संगठन" भी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। उपर्युक्त संशोधनों के संबंध में यह चिंता व्यक्त की गई है कि इससे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु कार्य करने वाले NGOs को समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

VISION IAS

1.2. पुडुचेरी सरकार द्वारा और अधिक शक्ति की मांग

(Puducherry Government Demands More Power)

सुर्खियों में क्यों?

- वर्तमान समय में पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच अधिकृत शक्तियों को लेकर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है।
- मुख्यमंत्री द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करना चाहिए और उसे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जाने से पहले सूचित करना चाहिए।
- वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वह "वास्तविक प्रशासक" है। साथ ही प्रशासनिक मामलों पर उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए सभी फाइलों को उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाना चाहिए।

पुडुचेरी भारत का सबसे छोटा और प्रशासनिक तौर पर एक चुनौतीपूर्ण संघ शासित प्रदेश है। यह दक्षिण भारत के तीन राज्यों मे प्रशासनिक इकाई के रूप मे विस्तृत है

- तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल
- केरल में माहे
- आंध्रप्रदेश में यनम जिला

गवर्मेंट ऑफ़ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 में अस्पष्टता

- यह अधिनियम "संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी" के शासन हेतु विधान सभा तथा एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। यह अधिनियम विधान सभा को “विधायी सीमा" के अंतर्गत राज्य सूची या समवर्ती सूची में वर्णित किसी भी मामले के संबंध में संपूर्ण पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश या इसके किसी विशेष हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
- हालांकि, इस अधिनियम में कहा गया है कि राज्य का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से किया जाएगा। अधिनियम की धारा 44 के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, जिन विषयों पर विधान सभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है उन पर प्रशासक को उसके कार्यों के संचालन में सहायता और सलाह देगी। यदि किसी मुद्दे पर असहमति हो तो यही धारा प्रशासक को अपने विवेकानुसार कानून बनाने की शक्ति भी प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री के पक्ष में तर्क:

- **निर्वाचित सरकार के अधिकारों को कम करना -** दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों में विधान सभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। इसलिए, इन क्षेत्रों के प्रशासक से मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना अपेक्षित है।
- **जनता के प्रति जवाबदेही -** विधान सभा में जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, वे जनता के कल्याण के लिए जवाबदेह हैं। LG को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होने की स्थिति में संभव है कि LG जनकल्याण से सम्बंधित किसी मामले में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को मंजूरी ना प्रदान करे।
- **केंद्र के समानांतर शक्ति -** प्रशासक को निर्वाचित सरकार की अवहेलना कर, जनता से सीधे मिलना, निर्देश देने या निरीक्षण आदि से सम्बंधित कार्य नहीं करने चाहिये। प्रशासक को सरकार के साथ समन्वय के आधार पर कार्य करना चाहिए।
- **लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच शक्ति संतुलन का अभाव** - लेफ्टिनेंट गवर्नर मंत्रीमंडल के निर्णय को प्रायः अस्वीकार कर देते है जो की संविधान की परिकल्पना के विपरीत है क्योकि विधायिका और मंत्रिपरिषद का वित्तीयन जनता के धन से होता है।
- **अनुच्छेद 240 (1)** के अनुसार विधायी निकाय के निर्माण के बाद राष्ट्रपति का प्रशासनिक नियंत्रण समाप्त हो जाता है इसलिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के पास निर्वाचित प्रतिनिधियों की परिषद से अधिक शक्ति नहीं हो सकती है।

संघ शासित प्रदेश और इसका प्रशासन :

- प्रत्येक संघ शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त "प्रशासक" के माध्यम से किया जाता है।
- संघ शासित प्रदेश के "प्रशासक" के पास राज्य के राज्यपाल के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं लेकिन वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है न की राज्य का संवैधानिक प्रमुख।
- प्रशासक को लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्य आयुक्त या प्रशासक के रूप में नामित किया जा सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 239 और 239AA के तहत प्रशासक की शक्तियां और कार्यों को परिभाषित किया गया है।

VISION IAS

राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बीच शक्तियों का अंतर:

- केंद्र सरकार संघ शासित प्रदेशों के संदर्भ में राज्य सूची के सभी विषयों पर विधायी तथा कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग संभव नहीं है।
- अनुच्छेद 240 के अनुसार, राष्ट्रपति को संघ शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, जब तक कि उस राज्य के लिए कोई विधायिका न हो। यहां तक कि अगर कोई विधायिका है, तो प्रशासक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर सकता है, जो धन विधेयक को छोड़कर इसे अस्वीकार कर सकता है।
- राज्यपाल राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है लेकिन राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
- "न्यायिक आयुक्त" से सम्बंधित कुछ विधायी प्रस्तावों के लिए प्रशासक की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।
- UT सरकार के निम्नलिखित विषयों से सम्बंधित किसी विधेयक या विधेयक में संशोधन पेश करने से पूर्व प्रशासक की अनुमति आवश्यक होती है
  - टैक्स के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन से सम्बंधित विषय
  - वित्तीय उत्तरदायित्व से संबंधित किसी कानून में संशोधन के प्रस्ताव
  - UT की संचित निधि से सम्बंधित कोई विषय

लेफ्टिनेंट गवर्नर के पक्ष में तर्क:

- **पुडुचेरी सरकार के कार्यसंचालन से सम्बंधित नियम 21 (5) -** इसके अनुसार, प्रशासक किसी भी मामले से संबंधित फाइल की मांग कर सकता है और किसी संदेह या प्रश्न पर अद्यतन सूचना हेतु मुख्यमंत्री से अनुरोध कर सकता है।
- **अनुच्छेद 239AA -** परंतु LG और उसके मंत्रियों के बीच किसी विषय पर मतभेद की दशा में, उप-राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर किए गए विनिश्चय के अनुसार कार्य करेगा तथा ऐसा विनिश्चय होने तक उप-राज्यपाल किसी ऐसे मामले में, जहाँ वह विषय, उसकी राय में, इतना आवश्यक है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक है वहां, उस विषय में ऐसी कार्रवाई करने या ऐसा निदेश देने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, सक्षम होगा।
- **दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले -** दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रशासक से संबंधित मामले में दिल्ली के उच्च न्यायालय ने अगस्त 2016 में प्रशासक की सर्वोच्चता को बरकरार रखा।
- **नियम 47 -** इसके अनुसार, प्रशासक मुख्यमंत्री के परामर्श से संघ शासित प्रदेश की सरकार में सेवा करने वाले अधिकारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करता है।

पुडुचेरी और दिल्ली के प्रशासक के बीच शक्तियों मे अंतर :

- दिल्ली के प्रशासक को पुडुचेरी के प्रशासक की तुलना मे अधिक शक्ति प्राप्त है। दिल्ली के प्रशासक के पास "कार्यपालिका शक्ति है जो उसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री से परामर्श लेने के पश्चात कोई भी निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है, यदि उसे यह शक्ति अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किसी भी आदेश के तहत प्रदान की गई हो।
- दिल्ली का प्रशासक गवर्नमेंट ऑफ़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ डेल्ही एक्ट, 1991 और ट्रांजैक्शन ऑफ़ बिज़नेस ऑफ़ गवर्नमेंट ऑफ़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ डेल्ही रूल्स 1993 द्वारा निर्देशित है जबकि पुडुचेरी का प्रशासक *गवर्मेंट ऑफ़ यूनियन टेरिटरी एक्ट* 1963 द्वारा निर्देशित होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 239 एवं 239 AA और गवर्नमेंट ऑफ़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ डेल्ही एक्ट, 1991 में स्पष्ट रूप उल्लेखित है कि पुडुचेरी की तुलना मे केंद्र को दिल्ली के संबंध में अधिक अधिकार प्राप्त है।

आगे की राह

राज्य के राज्यपाल की तुलना में संघ शासित प्रदेश के प्रशासक को अधिक शक्तियां हैं। हालांकि, प्रशासक को अपनी मार्गनिर्देशन क्षमताओं द्वारा सरकार को निर्देश एवं सलाह देना चाहिए और निर्वाचित सरकार को प्रशासन में प्राथमिकता देना चाहिए।

अब, पुडुचेरी विधान मंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत केंद्र सरकार से *गवर्मेंट ऑफ़ यूनियन टेरिटरी एक्ट* 1963 मे आवश्यक संशोधन की मांग की गई है इस प्रस्ताव में निर्वाचित सरकार की शक्तियों में वृद्धि और लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियों में कमी करने की अनुशंसा की गई है।

VISION IAS

1.3. ड्रग संबंधी समस्या पर पंजाब और संयुक्त राष्ट्र सहयोग

(UN-Punjab Collaboration on Drug Menace)

सुर्ख़ियो में क्यों ?

पंजाब के स्वास्थ्य विभाग के एक विशेष कार्य बल (STF) और यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) के मध्य ड्रग के खतरे को खत्म करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

ड्रग के दुरुपयोग से निपटने की रणनीति

- कानून प्रवर्तन में सुधार कर ड्रग्स की आपूर्ति को नियंत्रित करना।
- जिला स्तर पर निवारक कार्रवाई के तौर पर ड्रग्स-विरोधी जागरुकता अभियान में छात्रों और माताओं को शामिल करके सफलता प्राप्त की जा सकती है क्योंकि अन्य देशों में भी यह प्रयास सफल साबित हुआ है।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुनर्वास सम्बंधित कार्यों की उचित व्यवस्था करना।

UNODC के संबंध में:

- यह सदस्य राष्ट्रों की क्षमता में वृद्धि के माध्यम से ड्रग्स के अवैध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सहायता करता है साथ ही यह इस क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि के लिए अनुसंधान कार्यों को संपन्न करता है। इसके अतिरिक्त यह सदस्य राज्यों को सम्बंधित संधियों को लागू करने में सहायता प्रदान करता है।
- इसके बजट का करीब 90% हिस्सा स्वैच्छिक योगदान से आता है जिसमें मुख्यतः विभिन्न देशों की सरकारों का योगदान शामिल होता है।

1.4. निर्वाचन आयोग को अवमानना के संबंध में शक्तियां

(Contempt Powers to EC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

निर्वाचन आयोग (EC) ने कानून मंत्रालय से निर्वाचन से संबंधी कानूनों में संशोधन करने का अनुरोध किया है। इस संशोधन के माध्यम से निर्वाचन आयोग द्वारा निराधार आरोप लगाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट एक्ट के प्रयोग की शक्तियों की भी मांग की गई है।

इन शक्तियों के पक्ष में तर्क

- **अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण-** अनेक देशों (जैसे: केन्या, पाकिस्तान) के निर्वाचन प्रबंधन निकाय को अवमानना कार्यवाही प्रारंभ करने की प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त है।
- **विश्वसनीयता पर प्रभाव -** इस तरह के आरोप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अभिभावक के रूप में निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं।

इन शक्तियों के विपक्ष में तर्क

- **पारदर्शिता की आवश्यकता-** गुप्त मतदान के संरक्षक निकाय को ईमानदारी और निष्पक्षता का अपना रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए अवमानना शक्तियों के बजाय पारदर्शिता का चयन करना चाहिए।
- **अलोकतांत्रिक -** प्रतियोगिता निर्वाचन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसलिए आलोचना का दमन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ -** इसी कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे लोकतान्त्रिक देशों ने निर्वाचन आयोग को अवमानना के विरुद्ध अधिकार नहीं दिया है।
- **पूर्व में भी अस्वीकृत-** तीन दशक पहले निर्वाचन सुधारों पर गठित दिनेश गोस्वामी समिति ने निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
- **जनता की संतुष्टि सर्वोच्च है -** निर्वाचन आयोग को हर राजनेता को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सार्वजनिक विश्वास और निष्पक्षता की प्रतिष्ठा प्राप्त है। इसे सिर्फ जनता तक पहुंचने और पारदर्शी ढंग से प्रक्रिया की व्याख्या करने की जरूरत है।
- **दुरुपयोग की संभावना-** भविष्य में उचित आलोचना का दमन हो सकता है। हाल के दिनों में न्यायपालिका को प्राप्त शक्तियों पर भी प्रश्न चिन्ह उठे हैं।

1.5. BCCI को RTI के दायरे में लाना

(Bringing BCCI Under RTI)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- CIC ने अपने नवीनतम आदेश में BCCI की प्रशासक समिति (COMMITTEE OF ADMINISTRATORS:COA) से उसको RTI के दायरे में लाने के लिए आग्रह किया है।

पक्ष में तर्क

- **लोक प्राधिकरण** - सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को सार्वजनिक निकाय के रूप में मान्यता प्रदान की है क्योंकि यह विभिन्न सार्वजनिक कार्यों को केंद्र और राज्य सरकारों की स्वीकृति से एकाधिकारपूर्वक सम्पादित करता है।
- **पारदर्शिता और जनता के प्रति उत्तरदायित्व** - BCCI पहले से ही लेखा परीक्षा के दायरे में आता है। अतः इसे RTI के तहत आने में संकोच नहीं करना चाहिए।
- **दोषी को सजा** -अनेक विवादों के बावजूद देश में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। अतः खिलाड़ियों के साथ साथ अधिकारियों की भी जवाबदेयता होनी चाहिए तथा अनियमितता का दोषी पाने पर उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए।
- **काले धन की भूमिका को कम करना** - पारदर्शिता, BCCI द्वारा नियमित रूप से अर्जित सार्वजनिक धन पर सरकारी नियंत्रण को और अधिक सशक्त बनाएगी।
- **सरकार ने आदेश** दिया है कि 10 लाख या इससे अधिक का अनुदान प्राप्त करने वाले सभी राष्ट्रीय खेल संघों (NATIONAL SPORTS FEDERATIONS:NSF) को RTI अधिनियम 2005 की धारा 2 (H) के तहत "लोक प्राधिकरण" के अंतर्गत माना जायेगा। हालाँकि BCCI को उपर्युक्त राशि से अधिक प्राप्तियों के बाद भी अनेक रियायतें प्रदान की गई हैं।
- **लोढ़ा समिति** ने अपनी सिफारिशों में इसका समर्थन किया है।

विपक्ष में तर्क

- **लेखा-परीक्षण** - BCCI द्वारा अपने खाते का लेखा-परीक्षण पहले ही कराया जा चुका है।
- **कार्य दक्षता को प्रभावित करेगा-** अधिकारियों के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप एवं उनकी जाँच का भय उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा। हालाँकि यह तर्क वैध नहीं है क्योंकि RTI के तहत भी कई मामलों में पर्याप्त छूट प्रदान की गई है। (बॉक्स देखें)
- **सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत** - क्रिकेट का यह राष्ट्रीय शासी निकाय तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। इस प्रकार, BCCI को एक निजी निकाय के रूप में माना जाता है।

निम्नलिखित सूचनाओं को RTI कानून के दायरे से बाहर रखा गया है

- राष्ट्रीय सुरक्षा या संप्रभुता
- राष्ट्रीय आर्थिक हित
- विदेशी राज्यों के साथ संबंध
- कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रिया
- कैबिनेट और अन्य निर्णय लेने वाले दस्तावेज़
- व्यापार रहस्य और वाणिज्यिक गोपनीयता
- व्यक्तिगत सुरक्षा
- व्यक्तिगत गोपनीयता

BCCI एक सार्वजनिक प्राधिकरण क्यों है?

- BCCI केंद्र और राज्य सरकारों से सभी प्रकार की मान्यता और सुविधाओं को प्राप्त करने वाली, 'भारतीय टीम' के रूप में नामित अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैचों का आयोजन करता है।
- सरकारी समर्थन में शामिल हैं:
  - BCCI को हजारों करोड़ रुपये की कर रियायतें
  - स्टेडियम के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा भूमि उपलब्ध कराना
  - मैचों के दौरान सुरक्षा उपलब्ध करना
  - वीजा आदि के लिए सुविधाएँ
- इसका भारत में क्रिकेट से सम्बंधित सभी गतिविधियों पर पूर्ण एकाधिकार और व्यापक नियंत्रण है।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (H) के अनुसार 'लोक प्राधिकरण' में शामिल हैं:

- ऐसी स्वशासी संस्था या प्राधिकरण या निकाय जिसकी स्थापना -
  - संविधान द्वारा
  - संसद या राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा
  - केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा की गई हो।
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण में आने वाले अथवा उनके द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय
- गैर-सरकारी संगठन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं।

VISION IAS

आगे की राह

संसद को BCCI तथा अन्य खेल निकायों को RTI के दायरे में लाने के लिए एक कानून बनाना चाहिए। यह खेल में अच्छे खिलाड़ियों, खेल-संस्कृति और व्यावसायिकता(PROFESSIONALISM) को बढ़ावा देने में सहायक होगा। यह इन निकायों के अप्रासंगिक व्यय को रोकेगा और खिलाड़ियों को उनके प्रशिक्षण के लिए हस्तांतरित राशि का उचित उपयोग करने में मदद करेगा क्योंकि ये सार्वजनिक जांच के अंतर्गत आएंगे।

1.6 विधायिका के विशेषाधिकार

(Privilege of Legislators)

सुर्ख़ियों में क्यों

हाल ही में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने अपनी "विशेषाधिकार समितियों" की सिफारिशों के आधार पर दो पत्रकारों को एक वर्ष के कारावास का आदेश दिया है। इससे पूर्व 2003 में तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने AIADMK सरकार के सम्बन्ध में आलोचनात्मक लेखों के प्रकाशन के लिए पांच पत्रकारों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया था।

विशेषाधिकार क्या हैं?

संविधान द्वारा संसद / राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों, उनकी समितियों तथा उनके सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ तथा सुरक्षा प्रदान की गई हैं।

इन्हें दो व्यापक श्रेणियों में बाँटा गया है:

1. **सामूहिक विशेषाधिकार** का प्रयोग प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इनमें, रिपोर्ट आदि प्रकाशित करने का अधिकार, बाहरी व्यक्तियों को सदन की कार्यवाही से बाहर करना, विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए सदस्यों/बाहरी व्यक्तियों को दंडित करना इत्यादि शामिल हैं।
2. **व्यक्तिगत विशेषाधिकार** सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किये जाते हैं। उदाहरणार्थ सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सत्र के दौरान न्यायिक जाँच से छूट, सत्र से 40 दिन पहले से 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से छूट इत्यादि।

विशेषाधिकारों के स्रोत: मूलतः इसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से लिया गया है। सभी विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के लिए कोई कानून नहीं है। ये पांच विभिन्न स्रोतों पर आधारित हैं: संवैधानिक प्रावधान, संसद के विभिन्न कानून, दोनों सदनों के नियम, संसदीय सम्मेलन और न्यायिक निर्वचन।

विशेषाधिकारों का उल्लंघन: विशेषाधिकारों के उल्लंघन और उसके लिए सजा के निर्धारण हेतु स्पष्ट नियमों का अभाव है। कर्नाटक विशेषाधिकार पैनल के अनुसार, कोई भी ऐसी अभिव्यक्ति अथवा कोई भी ऐसा निन्दा-लेख छापना या प्रकाशित करना विशेषाधिकार उल्लंघन के अंतर्गत आ सकता है, जो सदन, इसकी समितियों या इसके सदस्यों के चरित्र या संसद सदस्य के नाते उनके आचरण के सन्दर्भ में अपमानजनक है।

संवैधानिक स्थिति: संविधान के अनुच्छेद 105 (संसद के मामले में) और 194 (राज्य विधायिका के मामले में) के तहत विशेषाधिकारों को शामिल किया गया है।

विशेषाधिकार समिति:

- यह एक स्थायी समिति है जिसका संसद / राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदन में गठन होता है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 जबकि राज्य सभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं जिनको क्रमशः अध्यक्ष एवं सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- इसका प्रमुख कार्य, सदन अथवा सदनाध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गये सम्पूर्ण सदन या किसी सदस्य के विशेषाधिकारों के हनन से सम्बंधित प्रश्नों की जाँच करना है। यह विभिन्न तथ्यों के सन्दर्भ में विषय की जाँच करके अपनी अनुशंसाएँ सदन को सौंपती है।

महत्व

- यह सांसदों और विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और इन सदनों में होने वाले मामलों पर मुकदमेबाजी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- इन विशेषाधिकारों के बिना सदन अपने अधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रखने में असमर्थ होगा। साथ ही इनके बिना यह अपने सदस्यों को कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अवरोध से सुरक्षा प्रदान करने में भी सक्षम नहीं होगा।

आलोचना

- कभी-कभी इसका प्रयोग मीडिया द्वारा की गयी सांसदों/विधायकों की आलोचना का विरोध करने तथा कानूनी कार्यवाही के विकल्प के रूप में किया जाता है।
- विशेषाधिकार उल्लंघन के कानून राजनीतिज्ञों को उनके स्वयं के मामलों में ही न्याय करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इससे हितों के टकराव तथा अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई की आधारभूत गारंटी से वंचित करने की स्थिति बन जाती है।

आगे की राह

वस्तुतः एक कानून आवश्यक है जो विधायी विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध, विशेषाधिकार हनन की स्थिति में पैनल के कार्यों की सीमाओं का निर्धारण तथा इस हेतु एक सुनिश्चित प्रक्रिया का निर्धारण कर सके। विधायिका को अपनी शक्ति का उपयोग अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले में ही करना चाहिए ताकि सदन की स्वतंत्रता की रक्षा भी हो सके और आलोचकों की स्वतंत्रता को भी कम नहीं किया जाए।

1.7 पेड न्यूज़ और चुनाव सुधार

(Paid News and Electoral Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव खर्च खातों में गलत विवरण दर्ज करने के कारण तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उनकी सदस्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10A के तहत रद्द की गई है।

मिश्रा की अयोग्यता की मांग करने वाली याचिका 2009 में दर्ज की गयी थी। इस याचिका में उन पर यह आरोप लगाया था कि 2008 के चुनाव के बाद चुनाव आयोग के समक्ष अपने खर्च का ब्यौरा पेश करते समय उन्होंने *'पेड न्यूज'* पर किए गए खर्चों को शामिल नहीं किया था।

पेड न्यूज़ क्या हैं ?

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार *पेड न्यूज* द्वारा किसी उम्मीदवार के पक्ष में समाचार रिपोर्ट या लेख प्रकाशित कर नकद भुगतान या किसी कार्य के बदले उसका प्रचार किया जाता है। अभी तक *पेड न्यूज* को निर्वाचन अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। हालाँकि उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च सीमाओं की अनदेखी करना "गंभीर चुनावी कदाचार" माना जाता है।

प्रभाव

- यह जनता को भ्रमित कर उसकी उचित निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करती है।
- इससे मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव पड़ता है और यह उनके सूचना के अधिकार को भी प्रभावित करती है।
- यह चुनाव खर्च कानून/सीमा की अवहेलना करती है।
- यह प्रतिस्पर्धा के समान अवसरों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदम:

- 2010 के प्रारम्भ में चुनाव आयोग ने जिला और राज्य अधिकारियों को *पेड न्यूज* के मामलों की जांच, पहचान और रिपोर्ट करने के निर्देश जारी किया है।
- चुनाव आयोग ने *पेड न्यूज* की जाँच के लिए जिला और राज्य स्तर पर एक मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MEDIA CERTIFICATION & MONITORING COMMITTEE: MCMC) नियुक्त की है।
- MCMC अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही विभिन्न ख़बरों में से राजनीतिक विज्ञापन की पहचान एवं जांच करेगी। MCMC, व्यय निरीक्षकों द्वारा इसे निर्दिष्ट *पेड न्यूज* संबंधी मामलों पर सक्रिय रूप से विचार भी करेगी।

विधि आयोग की सिफारिशें: चुनाव सुधार पर रिपोर्ट संख्या 255, 2015

- "समाचार के लिए भुगतान", "समाचारों के लिए भुगतान प्राप्त करना" और "राजनीतिक विज्ञापन" आदि की परिभाषाएं 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' में शामिल की जायें।
- *पेड न्यूज* को चुनावी अपराध घोषित करते हुए दोषी की पात्रता को रद्द करने का प्रावधान किया जाये।
- सभी प्रकार के मीडिया के लिए प्रकटीकरण (DISCLOSURE) संबंधी प्रावधान: इस तरह के डिस्क्लोजर का दोहरा उद्देश्य है:
  - जनता को सामग्री की प्रकृति (भुगतान सामग्री या संपादकीय सामग्री) की पहचान करने में मदद करने के लिए;
  - उम्मीदवारों और मीडिया के बीच लेन-देन पर नजर रखने के लिए।
- राजनीतिक विज्ञापन में हितों के गैर-प्रकटीकरण से निपटने के लिए RPA में एक नया अनुभाग जोड़ा जाना चाहिए।

***पेड न्यूज़* से निपटने में चुनौतियाँ:**

- इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्यों की कमी रहती है। नकदी या अन्य प्रकार के लेन-देन का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है और पूछताछ के दौरान दोनों पक्षों द्वारा इसे नकार दिया जाता है।

VISION IAS

- मीडिया उल्लंघन, किराए के विज्ञापन (surrogate advertisement) और गैर-सूचित विज्ञापन (unreported advertisements) को कभी-कभी MCMC द्वारा *पेड न्यूज* समझ लिया जाता है।
- समय सीमा काफी कम है। हालांकि, यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तो किसी विशेष चुनाव में *पेड न्यूज़* पर खर्च का अनुमान लगाना संभव नहीं होगा।

आगे की राह

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 में संशोधन के माध्यम से *'पेड न्यूज'* को चुनावी अपराध घोषित करना चाहिए।
- इस समस्या के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए खर्च सीमा के मौजूदा तंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए।
- इस समस्या के विरुद्ध संघर्ष में राजनीतिक दलों और मीडिया सहित अन्य हितधारकों का सहयोग लिया जाना चाहिए।
- इस विषय पर लोगो में और जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिए।

1.8. गोरखालैंड मामला

[Gorkhaland Issue]

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक पृथक गोरखालैंड के निर्माण की मांग पर दार्जिलिंग में पूर्ण बंदी और हिंसक घटनाएं देखी गईं।

आंदोलन क्यों?

- तात्कालिक कारण: राज्य सरकार द्वारा 9वीं कक्षा तक बांग्ला भाषा को अनिवार्य बना दिया गया है। परन्तु गोरखा, जिनकी मूल भाषा नेपाली है, इसे अपनी पहचान के लिए खतरा मान रहे हैं।
- दीर्घकालिक कारण: गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (Gorkhaland Territorial Administration:GTA) के कामकाज में विभिन्न समस्याएं हैं। उपर्युक्त समस्या हेतु नेताओं ने राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने और GTA के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया है।

गोरखा कौन हैं?

भारतीय गोरखा स्वदेशी लोग हैं जो हिमालयी क्षेत्र और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करते हैं। गोरखाओं का स्थायी निवास जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, असम और उत्तर-पूर्व के अन्य राज्य हैं।

गोरखालैंड

गोरखालैंड में दार्जिलिंग, कालीम्पोंग, कुर्सीओंग और अन्य पहाड़ी जिलों के नेपाली भाषी लोग शामिल हैं। गोरखाओं का बंगाली समुदाय के साथ कोई संबंध नहीं है और वे नृजातीयता, संस्कृति और भाषा में भी इनसे अलग हैं।

गोरखालैंड की मांग का इतिहास

- 1780 में, गोरखाओं ने सिक्किम और अन्य क्षेत्रों जिसमें तीस्ता से सतलज तक का संपूर्ण क्षेत्र जैसे दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, शिमला, नैनीताल, गढ़वाल पहाड़ी और कुमाऊं आदि पर कब्जा कर लिया था। 35 वर्षों के शासन के बाद, 1816 में एंग्लो-नेपाल युद्ध में हार के बाद गोरखाओं ने सुगौली की संधि के अनुसार इस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया।
- 1907 में, पहली बार मॉर्ले-मिंटो सुधार मंडल के समक्ष गोरखालैंड की मांग प्रस्तुत की गई थी। बाद में, कई अवसरों पर ब्रिटिश सरकार और फिर स्वतंत्र भारत सरकार से भी इसकी मांग की गई। इसके लिए 1980 और फिर 2007 के दशक में बड़े पैमाने पर दो आंदोलन हुए हैं।

गोरखालैंड की मांग क्यों है?

- भाषा और संस्कृति में अंतर।
- भारतीय गोरखा पहचान की आकाँक्षा: 1988 में 'दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद' और 2012 में GTA की स्थापना के बावजूद ये संस्थान गोरखा पहचान की आकाँक्षा को पूरा करने में विफल रहे।
- सापेक्षिक आर्थिक पिछड़ापन।

VISION IAS

- बंगालियों द्वारा तथाकथित तौर पर दुर्व्यवहार और कोलकाता में प्रतिनिधित्व का अभाव।

गोरखालैंड की मांग का प्रत्युत्तर

- **दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (DGHC):** 1986 में शुरू हुए इस आंदोलन के बाद, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने जुलाई 1988 में एक त्रिपक्षीय समझौता किया। दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उन्नति" के लिए राज्य अधिनियम के तहत DGHC की स्थापना की गई। यह परिषद दार्जिलिंग जिले के तीन पहाड़ी सब-डिवीज़न और सिलीगुड़ी सब-डिवीज़न के भीतर कुछ मौज़ों (Mouzas) को शामिल करता है।

समस्याएँ:

- परिषद को सीमित कार्यकारी शक्तियां दी गईं हैं, लेकिन विधायी शक्तियों की अनुपस्थिति के कारण इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता है।
- परिषद में दुआर क्षेत्र (Dooars region) को शामिल नहीं करना असंतोष का एक प्रमुख कारण है।
- **गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (GTA):** 2012 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को प्रतिस्थापित करके भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार व गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (GJM) द्वारा एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर GTA का गठन किया गया। यह एक अर्ध-स्वायत्त प्रशासनिक निकाय है। इसमें प्रशासनिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां हैं लेकिन विधायी शक्तियां नहीं हैं। वर्तमान में GTA के अधिकार क्षेत्र में तीन पहाड़ी सब डिवीज़न- दार्जिलिंग, कुर्सीओंग और मिरीक तथा दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी सब डिवीज़न के कुछ इलाके एवं सम्पूर्ण कालीम्पोंग जिला आता है।

समस्याएँ:

- विधायी शक्तियों के अभाव का अर्थ है कि इस क्षेत्र के लोगों के पास स्वयं को शासित करने वाले कानूनों को बनाने का अधिकार नहीं है।
- दुआर को फिर से छोड़ दिया गया है। यहाँ "गोरखा बहुमत" क्षेत्रों की पहचान के लिए एक वेरिफिकेशन टीम का गठन किया गया है।

आगे की राह

एक अलग गोरखालैंड राज्य के आंदोलन का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। राज्य के बहुसंख्यक बांग्लाभाषी विभाजन के विरुद्ध हैं। अतः ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए जो बांग्लाभाषियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाये बिना नेपालीभाषी गोरखाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति करता हो। इसके लिए निम्नांकित कदम उठाये जा सकते हैं:

- एक बेहतर शक्ति साझाकरण समझौता: गोरखालैंड आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। पर्यटन के अतिरिक्त इसके पास बहुत से संसाधन नहीं हैं। चाय उद्योग को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए GTA के कामकाज में सुधार किया जाना चाहिए और इसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
- केंद्र और राज्य सरकार को गोरखाओं की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। उदाहरण के लिए बांग्ला भाषा को प्रत्यक्ष रूप से थोपे जाने के बजाय इसे वैकल्पिक रखना चाहिए।
- क्षेत्र का आर्थिक विकास: अस्पतालों, स्कूलों, सार्वजनिक सेवाओं की स्थापना की जानी चाहिए। मौजूदा व्यवस्थाओं में सुधार करने की भी आवश्यकता है।
- अविभाजित पश्चिम बंगाल के भीतर एक स्वायत्त गोरखालैंड राज्य का निर्माण किया जा सकता है। अनुच्छेद **244A** असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक स्वायत्त राज्य प्रदान करता है जिसकी अपनी विधायिका और मंत्रिपरिषद हैं। संविधान संशोधन से, इस अनुच्छेद की प्रयोज्यता को पश्चिम बंगाल तक बढ़ाया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 244 A के समान एक अनुच्छेद को नए अध्याय के रूप में संविधान के भाग VI में जोड़ा जा सकता है। यह वर्तमान पश्चिम बंगाल का विभाजन किये बगैर विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की स्थापना के साथ गोरखालैंड के एक स्वायत्त राज्य के सपने को साकार करेगा।

1.9. कॉममिट

(COMMIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम "प्रेरण प्रशिक्षण पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल" (Comprehensive Online Modified Modules on Induction Training:COMMIT) का शुभारंभ किया गया है।

उद्देश्य: इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र में सुधार करना तथा नागरिकों से दैनिक संवाद करने वाले अधिकारियों की क्षमता निर्माण के माध्यम से नागरिक केंद्रित प्रशासन प्रदान करना है।

विवरण

COMMIT प्रोग्राम को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने **UNDP के सहयोग से विकसित** किया है। यह राज्य सरकार के नए अधिकारियों के लिए 2014-15 में शुरू किए गए मौजूदा प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (Induction Training Program:ITP) के लिए पूरक का काम करेगा। इससे उनमें सामान्य और डोमेन विशिष्ट दक्षताएँ विकसित होंगी।

- चालू वित्त वर्ष 2017-18 में पायलट परियोजना के आधार पर शुरूआती चरण में छह राज्यों, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में COMMIT को शुरू किया जाएगा। अगले वर्ष तक इसके सम्पूर्ण भारत में लागू किये जाने की सम्भावना है।

महत्त्व

- यह लागत प्रभावी कार्यक्रम है। इसमें प्रतिवर्ष 3.3 लाख अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की क्षमता है।
- यह स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री का अनुवाद करने में भी सहायक है। इस प्रकार यह प्रशिक्षण को और अधिक उपयोगी बनाता है।
- यह अधिकारियों को सॉफ्ट स्किल और अपनी क्षमता के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सर्वोत्तम संभव उपकरण उपलब्ध कराता है।

1.10. संसद में सुधार: दक्षता बढ़ाना

(Reforms in Parliament: Increasing Efficiency)

पृष्ठभूमि:

संसद को और अधिक दक्ष एवं उत्तरदायी बनाने के लिए इसकी कार्यप्रणाली में सुधारों की त्वरित आवश्यकता है।

भारतीय संसद से संबंधित मुद्दे:

- बैठकों की कम संख्या: 1950 के दशक में संसदीय बैठकों की संख्या एक वर्ष में लगभग 140 दिन थी जो पिछले पांच वर्षों में घटकर प्रतिवर्ष औसतन 65 दिन हो गयी है।
- अनुशासन और शिष्टाचार: रुकावट और व्यवधान के कारण कभी-कभी सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। इससे न केवल सदन के समय की बर्बादी होती है, बल्कि संसद के महत्वपूर्ण उद्देश्य भी प्रभावित होते हैं। यह प्रवृत्ति अब पहले से अधिक देखी जा रही है।
- गुणवत्ताविहीन संसदीय बहस : पूर्व में संसदीय बहस, राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित हुआ करती थी। अब बहस स्थानीय समस्याओं के बारे में अधिक होती हैं एवं अक्सर संकीर्ण दृष्टिकोण से देखी जाती है।
- महिलाओं की निम्न भागीदारी: लोकसभा और राज्यसभा में अभी तक महिला सांसदों की भागीदारी 12% से अधिक नहीं है।
- विधेयक को बिना चर्चा या न्यूनतम चर्चा और ध्वनि मत द्वारा पारित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, 2008 में 16 विधेयकों को 20 मिनट से भी कम समय में बहस कर पारित कर दिया गया था। साथ ही निजी सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत विधेयकों के पारित न होने की प्रवृत्ति में भी सुधार नहीं आया है। अब तक, केवल 14 निजी सदस्यीय विधेयक पारित किए गए हैं।

संसद की भूमिका को प्रभावित करने वाले कारक:

- 1985 में दल-बदल कानून पारित होने के बाद से सांसदों के लिए संसद में जाने से पहले अपने कार्यों की तैयारी करना कम महत्त्वपूर्ण हो गया है। इसका कारण यह है कि मतदान की स्थिति में उनके लिए पार्टी व्हिप का पालन करना अनिवार्य हो गया है।
- सांसदों के पास रिसर्च स्टाफ नहीं है। संसद का पुस्तकालय भी अख़बारों की कतरनों के सिवाय कोई अनुसन्धान सामग्री सुलभ करवाने में समर्थ नहीं होता।
- गठबंधन की राजनीति के कारण विभिन्न दलों के मध्य संबंध अधिक जटिल हो गए हैं।
- मीडिया द्वारा संसद के कार्यों का सीधा प्रसारण होने से सांसदों के समूहों में दिखावटी प्रवृत्ति बढ़ी हैं। उनके संसदीय आचरण पर सुर्ख़ियों में बने रहने की उनकी आकांक्षा हावी हो जाती है।

हालाँकि कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिले हैं। 1993 में स्थायी समितियों के गठन से कानूनों की जांच करने और कार्यपालिका के कामकाज की देखरेख करने के सम्बंध में संसद की क्षमता में वृद्धि हुई है।

संसद के खराब कामकाज का प्रभाव

- **सरकार की जवाबदेही का अभाव:** यदि संसद ठीक से काम नहीं करती है, तो सरकार अपने कार्यों के लिए जवाबदेह नहीं रह जाती।

VISION IAS

- **निम्न उत्पादकता:** 2016 के शीतकालीन सत्र में लोकसभा की उत्पादकता केवल 14% तथा राज्य सभा की उत्पादकता केवल 20% थी।
- संसदीय सत्र के संचालन में सार्वजनिक खर्च की उच्च लागत के कारण, इनके ठीक से न चलने से करदाता के धन की बर्बादी होती है। परन्तु साथ ही इसकी सामाजिक लागत भी बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, GST चार साल पहले पारित हो सकता था। अगर हम यह स्वीकारते हैं कि GST लागू होने से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1% की वृद्धि होगी, तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि पिछले चार वर्षों में हम सकल घरेलू उत्पाद का 4% लाभ खो चुके हैं।
- नीति निर्माण में देरी से 'असंवैधानिक निकायों द्वारा विधायी अंतराल को भरने' को बढ़ावा मिलता है।
- लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास कम होने के कारण राष्ट्रीय नीति बनाने वाली एक संस्था के रूप में संसद की प्रासंगिकता में कमी आ जाती है।

सुझाव

- न्यूनतम कार्य दिवस: संविधान समीक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यसभा और लोक सभा की बैठकों के लिए न्यूनतम दिनों की अवधि क्रमश: 100 और 120 दिन तय की जानी चाहिए। ओडिशा राज्य विधानसभा की बैठक के लिए न्यूनतम 60 दिन अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बना है।
- यदि अवरोधों के कारण समय ख़राब हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति उसी दिन बैठक की समयावधि बढ़ाकर करनी चाहिए।
- महिला आरक्षण विधेयक (108 वां संशोधन) को पारित कर महिलाओं के लिए संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।
- विधायी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना होगा। संसदीय समितियां इस प्रक्रिया में संस्थागत महत्व ग्रहण कर सकती हैं। ये समितियाँ विधायी इंजीनियरिंग के साथ-साथ आम जनता के हित में मुद्दों को उठाने और उनका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करती हैं।
- संविधान समिति को संवैधानिक सुधार प्रस्ताव के वास्तविक मसौदे को तैयार करने से पहले प्राथमिक जांच करनी चाहिए।
- दल-बदल विरोधी कानून को पुनर्गठित किये जाने की आवश्यकता है। इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे सांसद स्व-अभिव्यक्ति के अनुसार नियन्त्रण मुक्त होकर निर्णय ले सकें। उदाहरण के लिए, UK में, एक स्वतंत्र वोट की अवधारणा है, जिसके अनुसार सांसद अपनी इच्छा से किसी विशेष विधायी विषय पर स्वतंत्र वोट दे सकता है।
- संसद की बौद्धिक संपदा में निवेश आवश्यक है। साथ ही सांसदों की सहायता करने वाले रिसर्च स्टाफ के लिए LARRDIS (पार्लियामेंट लाइब्रेरी एंड रिफरेन्स, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन एंड इनफार्मेशन सर्विस) को अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- बजट जांच प्रक्रिया में सुधार: अमेरिकी संसदीय बजट कार्यालय के समान ही भारत को भी एक संसदीय बजट कार्यालय की जरूरत है। यह एक स्वतंत्र संस्था होगी और व्यय या राजस्व जुटाने की आवश्यकताओं के साथ किसी भी अधिनियम का तकनीकी और उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण करने के लिए समर्पित होगी।
- राजनीतिक दलों को एक समान राष्ट्रीय सरोकार एजेंडा बनाना चाहिए- जिसमें गरीबी, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि शामिल हों एवं इन पर प्रारंभ से ही स्पष्ट सहमति हो।

निष्कर्ष

संसद नीति निर्माण के लिए होनी चाहिए, न कि राजनीति के लिए। भारतीय संसद परिवर्तनों से सृजित नई परिस्थितियों के अनुरूप नहीं चल रही है। इसलिए हमारी संसद को अधिक प्रतिनिधिमूलक एवं कुशल बनाने की आवश्यकता है।

1.11. टेली-लॉ इनिशिएटिव

(TELE-LAW INITIATIVE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पिछड़े समुदायों और नागरिकों के लिए कानूनी सहायता आसानी से सुलभ कराने हेतु, भारत सरकार ने 11 जून, 2017 को 'टेली-लॉ' पायलट प्रोजेक्ट का शुभारम्भ किया।

विवरण

इस पहल हेतु विधि और न्याय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। इसका उद्देश्य कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से समस्त भारत में पंचायत स्तर पर कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।

- परियोजना के पहले चरण में, उत्तर प्रदेश और बिहार में 500 CSC के माध्यम से 'टेली-लॉ' योजना का परीक्षण किया जाएगा ताकि चुनौतियों को समझा जा सके और समस्त भारत में लागू करने से पहले आवश्यक सुधार किए जा सकें।
- 'टेली-लॉ' नामक एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो CSC नेटवर्क में उपलब्ध होगा। यह लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिवक्ताओं से कानूनी सलाह प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- कानूनी सहायता पर काम कर रहे लॉ स्कूल क्लीनिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, स्वैच्छिक सेवा प्रदाताओं और गैर-सरकारी संगठनों को CSC के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है। इससे हाशिए पर स्थित लोगों तक न्याय की पहुंच मजबूत हो सकेगी। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) भी इस कार्य हेतु राज्य की राजधानियों से वकीलों का एक पैनल प्रदान करेगा।
- एक पूर्ण रूप से क्रियाशील निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली भी तैयार की जा रही है जो कानूनी सलाह की गुणवत्ता का आकलन करने में सहायता करेगी।
- प्रत्येक CSC के अंतर्गत एक पैरा लीगल वालंटियर (PLV) होगा, जो ग्रामीणों के लिए प्रथम संपर्क बिंदु होगा।

पैरा लीगल वालंटियर

- वे ग्रामीणों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होंगे, कानूनी मुद्दों को समझने में उनकी मदद करेंगे, वकील द्वारा दी गई सलाह को समझाएंगे और आवश्यक कार्रवाई में सहायता करेंगे।
- योजना के तहत महिला PLV को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

सरकार की अन्य अभिनव पहलें

'टेली-लॉ, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा घोषित तीन कानूनी सहायता और सशक्तीकरण की पहलों में से एक है। इसके अतिरिक्त अप्रैल, 2017 में न्याय विभाग द्वारा ***'प्रो-बोनो लीगल सर्विस'*** और **'न्याय मित्र स्कीम'** की घोषणा की गई है।

प्रो-बोनो लीगल सर्विस: यह एक वेब आधारित पहल है। इसकी वेबसाइट www.doj.gov.in के माध्यम से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

- जो याचिकाकर्ता कानूनी सेवाओं का खर्च नहीं उठा सकते हैं, वे प्रो-बोनो वकीलों से कानूनी सहायता और सलाह के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस ऑनलाइन पहल का मुख्य उद्देश्य संस्थागत तरीके से कानूनी सहायता की अवधारणा को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी सेवाओं के लिए स्वयंसेवा करने वाले वकीलों को मान्यता प्राप्त हो।

'न्याय मित्र' स्कीम: इस योजना का उद्देश्य चयनित जिलों में लंबित मामलों की समयावधि को कम करना है। इसके अंतर्गत 10 साल से अधिक समय से लंबित मामलों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

- यह योजना उन वादियों (litigants) की सहायता करेगा जो जांच या परीक्षण(ट्रायल) में देरी के कारण पीड़ित हैं। इन मुकदमों की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की सहायता ली जाएगी। साथ ही वादी को सरकारी एजेंसियों और सिविल सोसायटी संगठनों से जोड़ कर, विधिक सलाह प्रदान कर उनकी सहायता की जाएगी।
- यह पहल 227 जिलों में प्रारम्भ की जाएगी। इसमें 27 जिले उत्तर-पूर्व और जम्मू-कश्मीर के एवं 200 जिले उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल के शामिल हैं।

एक्सेस टू जस्टिस प्रोजेक्ट फॉर मार्जिनलाईज्ड पर्सन्स (Access to Justice Project for Marginalized Persons):

ये योजनाएँ न्याय विभाग और UNDP द्वारा लागू किये जा रहे **एक्सेस टू जस्टिस प्रोजेक्ट फॉर मार्जिनलाईज्ड पर्सन** के क्रम में हैं। झारखंड और राजस्थान में CSC के माध्यम से कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक्सेस टू जस्टिस प्रोजेक्ट ने *CSC-ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड* के साथ सांझेदारी की है।

VISION IAS

महत्व: न्याय तक सभी लोगों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग डिजिटल इंडिया पहल को सशक्त करता है। इसके साथ ही यह पहल पारदर्शिता, सुशासन और सेवाओं के डिजिटल वितरण को प्राथमिकता देती है।

यह गरीब, ग्रामीण, हाशिए पर खड़े समुदायों को एक आवाज देने और सभी के पास न्याय की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगा।

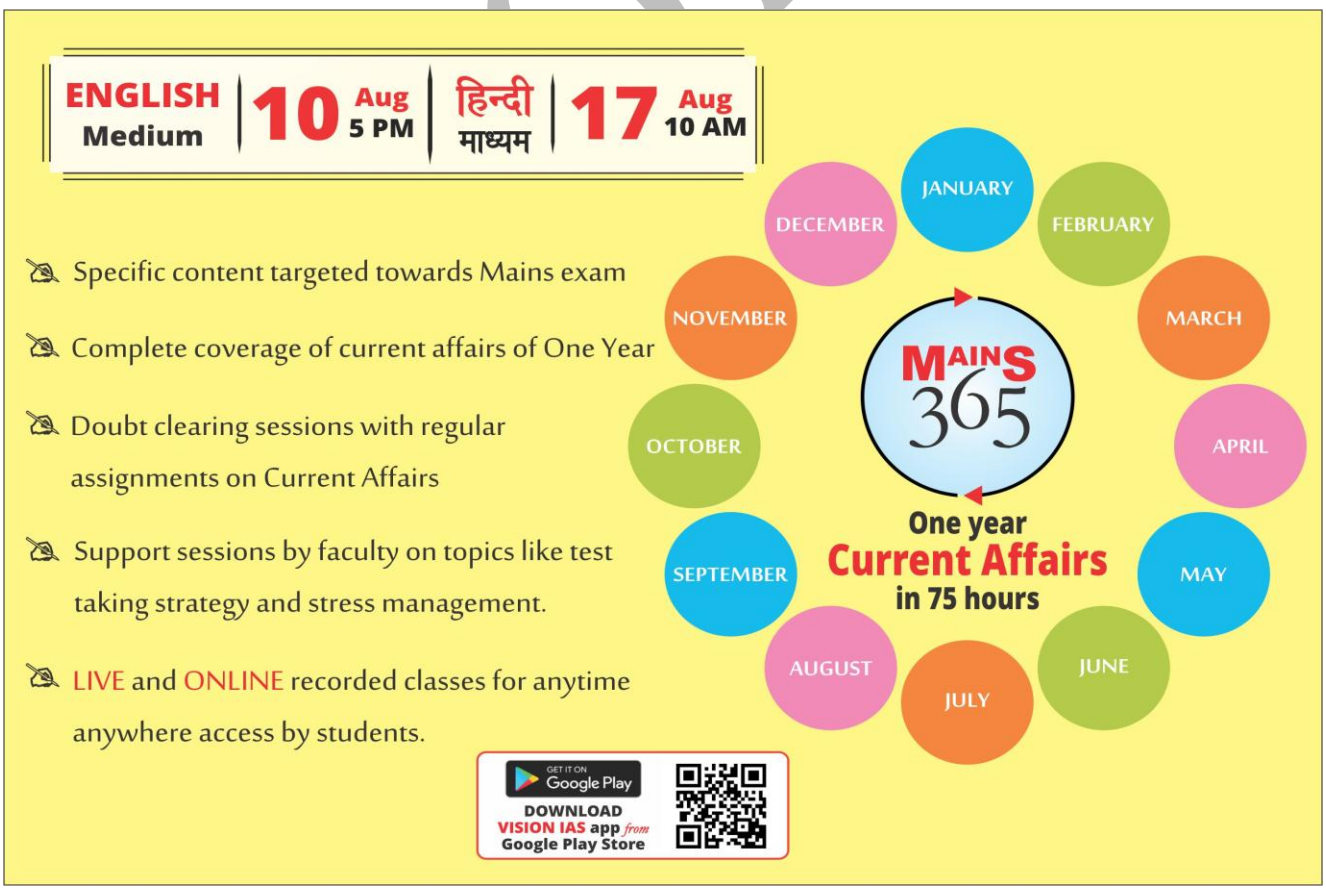

2. अंतर्राष्ट्रीय/ भारत एवं विश्व

(INTERNATIONAL/ INDIA AND WORLD)

2.1 क़तर राजनयिक संकट

(Qatar Diplomatic Crisis)

सुर्ख़ियों में क्यों?

क़तर पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए सऊदी अरब, मिस्र, UAE, यमन, लीबिया, बहरीन तथा मालदीव ने क़तर के साथ अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ दिए।

वर्तमान संकट का कारण

आतंकवाद का मुद्दा- सऊदी अरब ने क़तर पर अल-कायदा और *इस्लामिक स्टेट* जैसे आतंकवादी समूहों की सहायता करने और **पड़ोसी खाड़ी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप** लगाया है।

- क़तर ने मिस्र में होस्नी मुबारक शासन के पतन (2011 में) के बाद **मुस्लिम ब्रदरहुड** के उदय का स्वागत किया। इसके बाद इन देशों के मतभेद खुलकर सामने आ गए।
- सऊदी अरब ने क़तर पर **बहरीन** में तथा अपने शिया बाहुल्य **पूर्वी क़ातिफ** क्षेत्र में अशांति फ़ैलाने वाले मिलिटैंट्स का सहयोग करने का आरोप भी लगाया है। सऊदी अरब इन्हें **ईरान समर्थित मिलिटैंट्स** मानता है।

तेहरान के साथ सम्बन्ध: विवाद का अन्य प्रमुख मुद्दा क़तर के ईरान के साथ संबंध हैं। क़तर, ईरान के साथ विश्व का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र साझा करता है।

- वर्तमान समय में सऊदी अरब, तेहरान के प्रभाव का सामना करने के लिए सुन्नी राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में **क़तर के तेहरान के साथ सम्बन्ध** सऊदी अरब के लिए चिन्ता का विषय हैं।

क़तर की प्रतिक्रिया

क़तर ने सऊदी अरब द्वारा जारी **"नॉन नेगोशिएबल "** माँगों की सूची को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह किसी भी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा जो **उसकी संप्रभुता के विरुद्ध हो या अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन** करता हो। इसके साथ ही क़तर इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी करना चाहता है।

वर्तमान संकट का प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क़तर को अलग-थलग करने के सऊदी अरब के प्रयास के **दूरगामी आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव** हो सकते हैं।

- **इस्लामिक स्टेट के खिलाफ संघर्ष:**
  - कतर, खाड़ी क्षेत्र में **एक इकोनोमिक *पॉवर हाउस*** के रूप में स्थापित है। यहाँ अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमान का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी स्थित है। इसके अतिरिक्त **इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध अमेरिका के नेतृत्व में जारी संघर्ष का वायु सेना कमान** भी क़तर में ही स्थित है।
  - अतः क़तर को अलग-थलग करने के किसी भी दीर्घकालिक प्रयास के न केवल आर्थिक परिणाम होंगे बल्कि यह IS के विरुद्ध जारी युद्ध को भी अधिक जटिल बना देगा।
- क़तर के विरुद्ध प्रतिबंधों के बाद से तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। क़तर लिक्वीफाइड नेचुरल गैस (LNG) का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और कंडेनसेट (निम्न घनत्व युक्त तरल ईंधन) एवं प्राकृतिक गैस के अन्य उत्पादों का एक प्रमुख विक्रेता है।
- क़तर, 2.7 मिलियन की अपनी आबादी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थल और समुद्री मार्गों से होने वाले आयात पर निर्भर है। क़तर का लगभग 40% खाद्यान्न आयात सऊदी अरब की स्थल सीमा के माध्यम से होता था। इसलिए क़तर को **भोजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है**।
- संकट की शुरुआत के बाद क़तर के शेयर बाजार में 10% की गिरावट अथवा लगभग 15 बिलियन डॉलर (£12bn) का नुकसान हुआ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी **मूडीज ने क़तर की रेटिंग स्टेबल से घटा कर निगेटिव कर दी है**।
- यह संकट **ईरान के साथ एक बड़े संघर्ष** का पूर्व-संकेत साबित हो सकता है। यह विश्व के लिए चिंता की स्थिति है। भारत के लिए यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि भारत कनेक्टिविटी के निर्माण और तेल भंडारों की उपलब्धता सुदृढ करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है।

क़तर के पड़ोसी देश क्या चाहते हैं?

प्रतिबंधों को समाप्त करने के बदले में क़तर के पड़ोसी देशों ने क़तर के समक्ष 22 जून को 13 सूत्री माँगों की सूची रखी जिसमें क़तर के लिए निम्नलिखित शर्तों को शामिल किया गया :

- क़तर, ईरान के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करे एवं ईरान के राजनयिक मिशनों को बंद करे।
- सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, बहरीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा आतंकवादियों के रूप में घोषित व्यक्तियों या संगठनों के वित्त पोषण पर क़तर रोक लगाए।
- **अल जजीरा व क़तर द्वारा वित्त पोषित अन्य न्यूज़ आउटलेट्स को बंद किये जाएं।**
- **तुर्की के सैन्य अड्डे को बंद करे** और क़तर की सीमा में संचालित संयुक्त सैन्य सहयोग को रोके।
- अन्य संप्रभु देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करे।
- क़तर अपनी नीतियों के कारण हुई जन-हानि की क्षतिपूर्ति करे।
- **अन्य अरब देशों के साथ सैन्य, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सहयोग करे।**

भारत पर प्रभाव

खाड़ी क्षेत्र में शांति और स्थिरता की स्थापना से भारत के महत्वपूर्ण हित जुड़े हुए हैं। भारत ने इस क्षेत्र के देशों से क़तर संकट का रचनात्मक संवाद और वैश्विक रूप से स्वीकृत पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों के माध्यम से हल करने की अपील की है।

प्रवासी समुदाय

- इस क्षेत्र में लगभग 8 मिलियन भारतीय निवास करते हैं। क़तर में रहने वाले प्रवासियों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है। यही स्थिति दूसरे खेमे के दो प्रमुख देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भी है।
- क़तर की आर्थिक घेरेबंदी क़तर के अन्य समुदायों के साथ-साथ वहां रह रहे भारतीय समुदाय को भी प्रभावित कर सकती है।

प्रेषित धन (Remittances)

- इस क्षेत्र में रहने वाला भारतीय प्रवासी प्रति वर्ष लगभग 40 बिलियन डॉलर की राशि भारत प्रेषित करता है। यह धन भारत के चालू खाते के घाटे के प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है।
- पश्चिम एशिया भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात के प्रमुख स्थलों में से एक है। यहाँ भारत के कुल इंजीनियरिंग निर्यात का 13% निर्यात होता है।

ऊर्जा सुरक्षा

- नई दिल्ली क़तर की LNG का जापान के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीददार है। भारतीय कंपनी Petronet LNG एक दीर्घकालिक सौदे के तहत प्रत्येक वर्ष दोहा से 8.5 मिलियन टन LNG आयात करती है।

2.2 शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

(Shanghai Cooperation Organisation)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

8-9 जून, 2017 को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन अस्ताना, कजाकिस्तान में किया गया।।

- इस सम्मेलन में भारत तथा पाकिस्तान को संगठन के पूर्णकालिक सदस्य देश के रूप में दर्जा प्रदान किया गया।
- उल्लेखनीय है कि रूस के उफा में, वर्ष 2015 में हुए सम्मेलन में औपचारिक तौर पर एक प्रस्ताव पारित कर भारत और पाकिस्तान को संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

SCO के लिए भारत की सदस्यता का महत्व

चीन के वर्चस्व वाले SCO में भारत का प्रवेश एक अति महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। भारत के प्रवेश से इस संगठन को अखिल एशियाई स्वरूप प्रदान करने तथा क्षेत्रीय भू-राजनीति एवं व्यापार सम्बंधित वार्ताओं तथा गतिविधियों में और अधिक तीव्र विकास की आशा व्यक्त की गई है।

- इस विस्तार के साथ, SCO अब विश्व की कुल जनसंख्या का 40% और कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 20% भाग का प्रतिनिधित्व करेगा।
- दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत, मध्य एशियाई देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- SCO में भारत के शामिल होने से संगठन की विकासात्मक क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों, विशेष रूप से सुरक्षा, भू-राजनीति और आर्थिक मामलों में संगठन के प्रभाव में वृद्धि होगी।

VISION IAS

- विशेषज्ञों का मत है कि भारत के शामिल होने से SCO पर बीजिंग के अतिव्यापी प्रभाव में कमी आएगी।

भारत के लिए SCO की सदस्यता का महत्व

SCO की पूर्णकालिक सदस्यता प्राप्त करने से मध्य एशिया में भारत की स्थिति मजबूत होगी। इसके माध्यम से इस क्षेत्र के एकीकरण, कनेक्टिविटी एवं स्थिरता में वृद्धि की भारत के उद्देश्य की पूर्ति में भी सहायता मिलेगी।

रक्षा सहयोग: SCO सदस्य के रूप में भारत को आतंकवाद से निपटने और इस क्षेत्र में सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मुद्दों पर एक ठोस कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाने में मदद मिलेगी।

ऊर्जा सुरक्षा: SCO के विभिन्न देशों में तेल तथा प्राकृतिक गैस के व्यापक भंडार विद्यमान हैं। अतः पूर्णकालिक सदस्यता के माध्यम से मध्य एशिया की प्रमुख गैस और तेल अन्वेषण परियोजनाओं तक भारत की पहुंच सुनिश्चित करना संभव होगा।

आतंकवाद विरोधी संघर्ष: आतंकवाद के विरुद्ध भारत के संघर्ष में SCO और उसके 'रीजनल एंटी-टेररिज्म स्ट्रक्चर' (RATS) का सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध

SCO की सदस्यता भारत और पाकिस्तान को

- क्षेत्रीय सहयोग के विकास करने
- आतंकवाद विरोधी संघर्ष में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने तथा
- मतभेदों को हल करने के लिए

एक मंच प्रदान करने में सहायक हो सकता है।

2.3. बिम्सटेक के 20 वर्ष

(20 Years of BIMSTEC)

बे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकॉनोमिक कॉपरेशन (बिम्सटेक) द्वारा 06 जून, 2017 को अपनी स्थापना की 20 वीं वर्षगांठ मनाई गई।

बिम्सटेक के बारे में

बिम्सटेक की **स्थापना** लगभग दो दशक पूर्व, **जून 06, 1997** को की गई थी।

- वर्तमान में बिम्सटेक में **भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड** शामिल हैं।
- बिम्सटेक का स्थायी सचिवालय 2014 में **ढाका** में स्थापित किया गया।
- मूल रूप से इसे **'BIST-EC'** (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड - आर्थिक सहयोग) कहा जाता था।
- दिसंबर 1997 में म्यांमार को इस संगठन में शामिल करने के बाद इसका नाम परिवर्तित कर **'BIMST-EC'** कर दिया गया।
- फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान को शामिल करते हुए इस संगठन का और अधिक विस्तार किया गया।
- जुलाई 2004 में बैंकाक में इस संगठन का नाम पुनः परिवर्तित कर **BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)** कर दिया गया।
- बिम्सटेक क्षेत्र में लगभग 1.5 अरब जनसँख्या निवास करती है जो कि कुल वैश्विक आबादी का लगभग 22% है।
- बिम्सटेक एक क्षेत्रक-आधारित सहयोगात्मक संगठन है जिसमे मूल रूप से सहयोग के छह क्षेत्रों यथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन को चिन्हित किया गया था।
- 2008 में इसमें आठ अन्य क्षेत्रों कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, पर्यावरण, संस्कृति, जनसंपर्क करने और जलवायु परिवर्तन को शामिल किया गया।

भारत के लिए बिम्सटेक का महत्त्व

भारत, बिम्सटेक का संस्थापक-सदस्य है। भारत स्पष्ट रूप से बिम्सटेक में अपनी रूचि प्रदर्शित कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की प्रासंगिकता में कमी आई है। इस कारण से सार्क की तुलना में भारत द्वारा बिम्सटेक को प्रमुखता दी जा रही है।

- बिम्सटेक, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल की भांति कार्य करता है। इस क्षेत्रीय संगठन के हाल की गतिविधियों में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
- बिम्सटेक के विकास से भारत की **'लुक ईस्ट पालिसी'** को भी गति मिलेगी।
- इसके अतिरिक्त यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में भी सहायक होगा। भारत का यह क्षेत्र पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के लिए एक भौगोलिक प्रवेश द्वार है।

VISION IAS

- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और भारत-म्यांमार कलादान ***मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट*** के द्वारा इस उप-क्षेत्र में *कनेक्टिविटी* और आर्थिक सहयोग में भी वृद्धि होगी।
- भारत; म्यांमार और थाईलैंड के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय मोटर वाहन समझौता करने हेतु उत्सुक है जैसा कि जून, 2015 में बांग्लादेश, भूटान, भारत एवं नेपाल (हालाँकि, भूटान ने इससे अलग होने का निर्णय लिया है) के मध्य हुआ था। इस प्रकार के समझौते से इन राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं एवं लोगों का आवागमन आसान एवं तीव्र होगा तथा इससे व्यापार एवं उत्पादकता में भी वृद्धि होगी।
- भारत ने परिवहन और संचार, पर्यावरण और आपदा-प्रबंधन, पर्यटन और आतंकवाद-विरोधी और पार-राष्ट्रीय अपराध की रोकथाम के क्षेत्रों में अन्य राष्ट्रों की तुलना में अधिक प्रगति की है।

बिम्सटेक की क्षमतायें

बिम्सटेक में एक समूह के रूप में उभरने की व्यापक क्षमतायें विद्यमान हैं जो इस क्षेत्र में क्षेत्रीय एकीकरण, सुरक्षात्मक सहयोग और समावेशी विकास की प्रक्रिया को गति दे सकता है।

- पिछले पांच वर्षों में, बिम्सटेक के सदस्य देश वैश्विक वित्तीय मंदी के बावजूद 6.5% आर्थिक विकास दर को बनाए रखने में सफल रहे हैं।
- इस संगठन के सात राष्ट्रों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के लिए किये जा रहे प्रयासों के माध्यम से इस क्षेत्र में गैर-प्रशुल्क बाधाओं को समाप्त करने और व्यापारिक प्रगति में सहायता मिलेगी।
- इस क्षेत्र में अभी प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक, जलीय तथा मानव संसाधन है जिनका दोहन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त हिमालयी बेसिन में हाइड्रो पॉवर तथा बंगाल की खाड़ी में हाइड्रोकार्बन की अपार संभावनाएं हैं।
- सार्क के विपरीत, बिम्सटेक एक सामान्यतः विवादरहित संगठन है, जहां सभी देश विकास प्रक्रिया में सहयोग के लिए प्रयासरत हैं।
- सार्क के विपरीत, बिम्सटेक का कोई लिखित चार्टर नहीं है, जिसके कारण यह एक लचीले संगठन के रूप में स्थापित है।
- बिम्सटेक के पांच देश सार्क से और दो आसियान से संबंधित हैं। अतः बिम्सटेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य कर सकता है।

बिम्सटेक की चुनौतियाँ

1998 में, इस क्षेत्रीय समूह के दो प्रमुख साझीदारों, भारत और थाईलैंड ने क्रमशः *'लुक ईस्ट'* और *'लुक वेस्ट'* कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हुए बिम्सटेक क्षेत्र के लिए एक **मुक्त व्यापार समझौते** (FTA) की पेशकश की। हालाँकि, अभी तक बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौता मूर्त रूप नहीं ले सका है।

- बिम्सटेक के सदस्य देशों के मध्य शरणार्थियों से सम्बंधित मुद्दे और नृजातीय तनाव के मुद्दे समूह के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं।
- दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के मामले में अपनी व्यापक क्षमताओं के बावजूद, बिम्सटेक लंबे समय से संसाधनों की कमी और सदस्य राज्यों के मध्य उचित समन्वय के अभाव से ग्रस्त है।
- अभी तक, बिम्सटेक ने पिछले दो दशकों में केवल चार शिखर सम्मेलन आयोजित किए हैं।

निष्कर्ष

बिम्सटेक दक्षिण एशिया और आसियान के मध्य एक सेतु के रूप अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिसे निभाने में सार्क अभी तक असफल रहा है। बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करके तथा नियमित उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलनों को आयोजित करके अपनी व्यापक वास्तविक क्षमताओं को हासिल कर सकता है।

2.4 भारत - अमेरिका

(INDIA-USA)

26 जून 2017 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अमेरिका की आधिकारिक यात्रा की गई। यह प्रधानमंत्री मोदी की इस कार्यकाल के दौरान चौथी अमेरिकी यात्रा तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहली प्रत्यक्ष आधिकारिक बैठक थी।

यात्रा के मुख्य बिंदु

भारत और अमेरिका द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य न केवल द्विपक्षीय बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भी भारत के साथ सक्रिय सहयोग के लिए ट्रंप प्रशासन की उत्सुकता को प्रदर्शित करता है।

रक्षा सहयोग

- अमेरिका ने भारत में 22 मानवरहित गार्जियन ड्रोन (guardian drones) की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस समझौते को "*गेम चेंजर*" के रूप में भी वर्णित किया जा रहा है। 2-3 अरब डॉलर के अनुमानित मूल्य के इस समझौते को *स्टेट डिपार्टमेंट* द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

समुद्री सुरक्षा और सूचनाओं का साझाकरण

- दोनों नेताओं ने "*व्हाइट शिपिंग*" से सम्बंधित सूचना साझाकरण व्यवस्था के कार्यान्वयन पर अपनी सहमती दी। यह समझौता देशों को *मेरीटाइम ट्रैफिक* और *डोमेन अवेयरनेस* से सम्बंधित सूचनाओं को साझा करने की अनुमति प्रदान करता है।
- आगामी मालाबार नौसैनिक अभ्यास के महत्व को ध्यान में रखते हुए नेताओं ने साझा समुद्री उद्देश्यों पर अपने कार्यकलापों को विस्तारित करने और नए अभ्यासों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सहमति व्यक्त की।

आतंकवाद तथा पाकिस्तान

- दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को रोकने और 26/11 मुंबई, पठानकोट एवं पाकिस्तान-आधारित समूहों द्वारा अन्य सीमा पार आतंकवादी हमलों के आरोपी व्यक्तियों पर शीघ्रता से कार्यवाही करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति पर सहमति व्यक्त की गई।
- *यू. एस स्टेट डिपार्टमेंट* द्वारा हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन को एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित करने के लिए कदम उठाया गया। भारत द्वारा इस कदम का स्वागत किया गया।
- अमेरिका द्वारा ***यू एन कॉम्प्रेहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म*** के लिए की गई भारतीय पहल का भी स्वागत किया गया है।

जलवायु परिवर्तन

- जलवायु परिवर्तन, नरेंद्र मोदी तथा बराक ओबामा की वार्ता का प्रमुख मुद्दा था लेकिन यह ट्रंप के साथ जारी किए गए सयुंक्त वक्तव्य में प्रमुखता प्राप्त नहीं कर सका।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने की घोषणा की गई तथा इसके लिए उन्होंने भारत और चीन को दोषी ठहराया है।
- अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के साथ-साथ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह में भी भारत की सदस्यता का समर्थन किया गया।

उत्तर कोरिया

- उत्तर कोरिया का मुद्दा, वर्तमान में भारत-अमेरिका सहयोग के एक प्रमुख घटक के रूप में विकसित हुआ है। इस संदर्भ में चीन और पाकिस्तान को कथित रूप से दोषी ठहराया गया है।
- दोनों नेताओं ने उत्तर कोरिया की "लगातार उकसावे के कृत्यों" की निंदा की।

तरल प्राकृतिक गैस

- विदेश सचिव द्वारा बताया गया कि आगामी वर्ष से भारत में अमेरिका से तरल प्राकृतिक गैस का आयात किया जायेगा।

अफगानिस्तान

- डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अफगानिस्तान में लोकतंत्र, स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए "भारतीय योगदान" का स्वागत किया गया।
- अफगानिस्तान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी के महत्व को स्वीकार करते हुए दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के साथ परामर्श और सहयोग जारी रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।

चीन

- सयुंक्त वक्तव्य में भारत और अमेरिका को भारत-प्रशांत क्षेत्र में दो "लोकतांत्रिक दिग्गजों" के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता इस क्षेत्र में गैर-लोकतांत्रिक शक्तियों (चीन) के खिलाफ लोकतांत्रिक देशों के गठबंधन के निर्माण के लिए एक स्पष्ट संकेत है।

दक्षिण चीन सागर:

- संयुक्त वक्तव्य में "सम्पूर्ण क्षेत्र में नेविगेशन, विमानन और वाणिज्य की स्वतंत्रता के सम्मान के महत्व को स्वीकार किया गया है" इस सहयोगात्मक भाषा के माध्यम से राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन के साथ किये गये समझौतों के महत्व को भी दर्शाया गया।

आर्थिक मुद्दे

- **"मुक्त और निष्पक्ष व्यापार में वृद्धि "** नामक एक संपूर्ण खंड को इस वक्तव्य में शामिल किया जाना **ट्रंप प्रशासन की द्विपक्षीय व्यापार से सम्बंधित चिंताओं** को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, **"व्यापार घाटे को संतुलित करने", "नवाचार की सुरक्षा" और उन क्षेत्रों में "बाजार पहुँच में वृद्धि "** जहां अमेरिकी उद्योग भारतीय नीति के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
- राष्ट्रपति ट्रंप की पुत्री इस वर्ष के अंत में होने वाले **ग्लोबल उद्यमिता शिखर सम्मेलन (GES)** में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। वैश्विक उद्यमियों और नवप्रवर्तनकों को एक मंच पर लाने के लिए GES पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण पहल है। **अगले ग्लोबल उद्यमिता शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत** द्वारा की जाएगी।

निष्कर्ष

इस संयुक्त वक्तव्य में, उत्तर कोरिया, पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान का उल्लेख करते हुए, दोनों देशों के मध्य **"बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेन्स"** और अन्य वैश्विक मामलों पर एक साझा दृष्टिकोण अपनाने पर सहमति का निर्माण हुआ।

VISION IAS

पाकिस्तानी सीमा से होने वाली भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तान द्वारा रोकने तथा चीन द्वारा अपनी सीमा पर संचालित रोड निर्माण एवं अन्य परियोजनाओं के सन्दर्भ में भारतीय संप्रभुता से सम्बंधित चिंताओं को भी ध्यान में रखने की अपील की गई।

हालाँकि दोनों देश अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एकमत हैं। फिर भी अभी कई द्विपक्षीय विषयों पर मतभेद बने हुए हैं।

2.5 भारत - चीन

(INDIA-CHINA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

चीन की "*पीपुल्स लिबरेशन आर्मी*" द्वारा **डोकलाम पठार** पर किये जा रहे सड़क निर्माण कार्य को रोकने के लिए भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। भूटान के सीमा क्षेत्र में स्थित 269 वर्ग किलोमीटर का डोकलम पठार रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। हालाँकि बीजिंग इस क्षेत्र पर 1980 से अपना दावा कर रहा है।

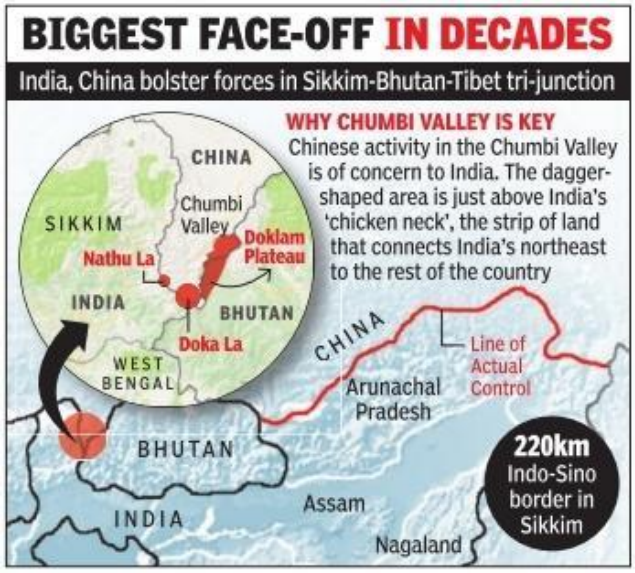

- यह **प्रथम घटना है जब भारत ने भूटान के क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए सैनिकों का इस्तेमाल** किया है।
- भारत-चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में सिक्किम सीमा के ट्राई-जंक्शन क्षेत्र में बहुत कम तनाव है। उपर्युक्त विवादों के संबंध में भारत और भूटान द्वारा चीन के साथ अलग-अलग वार्ताएं भी की जा रही हैं।

सड़क निर्माण के संबध में भारत की चिंतायें-

विश्लेषकों का मानना है कि चुम्बी घाटी के माध्यम से एक नई सड़क का निर्माण **"*चिकन नेक*" (संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारा** जो भारत के शेष हिस्सों के साथ उत्तर-पूर्व को जोड़ता है) के लिए खतरनाक होगा।

- शेष भारत एवं उसके उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मध्य संपर्क का एकमात्र मार्ग होने के कारण यह गलियारा भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह गलियारा **चुम्बी घाटी** से लगभग 500 किमी दूर है।
- भारत ने चीन सरकार को इस बात से अवगत कराया है कि विवादित **डोकलाम क्षेत्र** में सड़क निर्माण के कार्य से यथास्थिति (status quo) में महत्वपूर्ण बदलाव संभव है। साथ ही गंभीर सुरक्षा परिणाम भी देखने को मिल सकता है।
- भारत ने अपनी सुरक्षा सम्बंधित चिंताओं का हवाला देते हुए चीन द्वारा की गई **1890 की चीन-ब्रिटिश संधि** की व्याख्या को अस्वीकार कर दिया।
- चीन के सैनिकों द्वारा सिक्किम और भूटान के क्षेत्र में अनिर्धारित सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण करना, 1998 और 1999 में भूटान के साथ और 2012 में भारत के साथ यथास्थिति बनाये रखने हेतु सम्पन्न समझौते का उल्लंघन होगा। भविष्य में यथास्थिति बनाए रखने के लिए यह विशेष चिंताएं उत्पन्न करेगा।
- डोकलाम में भारत की सैन्य उपस्थिति महत्वपूर्ण रास्तों पर नजर रखने में सहायक होगी और निकट भविष्य में, युद्ध की स्थिति में ल्हासा और नाथु-ला क्षेत्र के बीच रेल जुड़ाव की निगरानी की जा सकेगी।
- हाल ही में चीन ने भूटान पर अपना दबाव बढ़ाया है। इस दबाव का उद्देश्य, डोकलाम क्षेत्र को सौंपने के लिए भूटान को राजी करना है ताकि चीन नाथू-ला से ल्हासा को जोड़ने वाली एक सड़क बना सके तथा इन विवादित क्षेत्रों से होकर रेलवे लाइन बिछाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

इस नवीनतम घटनाक्रम पर चीन की प्रतिक्रिया

चीन के अनुसार भारतीय सेना ने डोकलाम में घुसपैठ किया है। चीन के अनुसार, डोंगलांग (चीन में कहा जाता है) सिक्किम सीमा क्षेत्र में स्थित वह क्षेत्र (भाग) है जो निर्विवाद रूप से चीन की सीमा के अंतर्गत आता है।

- इस तनाव के कारण ही चीन के अधिकारियों ने **नाथू-ला दर्रे** को **कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों** हेतु बंद कर दिया है।
- चीन के अनुसार भारत ने कथित रूप से चीन की सीमा का "अतिक्रमण" किया है। इसलिए नई दिल्ली के साथ **"सार्थक वार्ता"** के लिए चीन ने भारत को अपनी सेना वापसी हेतु पूर्वशर्त रखी है।

VISION

- 1890 की चीन-ब्रिटिश संधि के आधार पर चीन ने सिक्किम क्षेत्र में सड़क के निर्माण को उचित ठहराया है क्योंकि यह बिना किसी संदेह के इसकी सीमा के अंतर्गत आता है।

भारत-चीन संबंधों में गिरावट

2014 में चीन के राष्ट्रपति (Mr. Xi) की भारत यात्रा के बाद से ही भारत-चीन संबंधो में निरंतर गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण द्विपक्षीय वार्ता की निरंतर असफलता है।

- दिल्ली ने, **चीन द्वारा भारत की संप्रभुता संबंधी चिंताओं** को अस्वीकार करने और सीमापारीय आतंकवाद पर पाकिस्तान का विरोध न करने, **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता** के लिए भारत का समर्थन न करने आदि पर निराशा व्यक्त की है।
- भारत ने ***बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव*** **(BRI)** को अस्वीकार कर दिया है और समुद्री मुद्दों पर अमेरिका के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया है।
- **दलाई लामा की तवांग यात्रा** का चीन द्वारा विरोध किया गया और यह आरोप लगाया कि भारत तिब्बत में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है।
- चीन के विदेश मंत्रालय का भारत के प्रति कटुता का कारण हिन्द महासागर में चीन की शक्ति को सीमित करने के लिए **जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका** के साथ भारत का बढ़ता सहयोग भी है।

आगे की राह

इन मुद्दों को निरंतर वार्ता के माध्यम से हल करना होगा। तत्काल उठाए जाने वाले कदमों में, **ट्राई-जंक्शन पर तनाव को कम करने** पर केंद्रित वार्ताओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

- चीन ने वार्ता के लिए पूर्व शर्त यह रखी है कि पहले भारत सेना हटाए। यह भारत के लिए अस्वीकार्य होगा जब तक PLA अपने सैनिकों और सड़क निर्माण टीमों को वापस नहीं हटा लेगा।
- यथास्थिति के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के अतिरिक्त बीजिंग को यह आवश्यक रूप से समझना होगा कि 1947 से ही **भारत और भूटान** के मध्य विशेष सम्बन्ध हैं। 2007 में हुए मैत्री संधि के तहत भारत, भूटान के हितों की रक्षा के प्रति वचनबद्ध है। साथ ही इसमें दोनों राष्ट्रों की सेनाओं के मध्य नजदीकी समन्वय बनाये रखने का भी प्रावधान है।

2.6 भारत-रूस संबध

(India-Russia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी **सेंट पीटर्सबर्ग** में **18वें 'भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन'** के साथ-साथ 'सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकॉनोमिक फोरम' में भाग के लिए उपस्थित थे।

सेंट-पीटर्सबर्ग घोषणा-पत्र

- राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत और रूस ने **सेंट पीटर्सबर्ग घोषणापत्र** पर हस्ताक्षर किए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद इस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

सेंट-पीटर्सबर्ग घोषणा-पत्र के मुख्य बिंदु

- इसमें कहा गया कि भारत और रूस ऊर्जा क्षेत्र में एक-दूसरे के पूरक हैं। साथ ही, दोनों राष्ट्रों के मध्य एक **"एनर्जी ब्रिज"** के निर्माण का प्रयास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त **परमाणु, हाइड्रोकार्बन, पनबिजली, अक्षय ऊर्जा स्रोतों सहित ऊर्जा सहयोग के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों** का विस्तार करेंगे और ऊर्जा दक्षता में सुधार करेंगे।
- दोनों देश रूस के आर्कटिक शेल्फ में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और दोहन के लिए संयुक्त परियोजना शुरू करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
- इस घोषणा-पत्र में नए विश्व व्यवस्था के सन्दर्भ में यह कहा गया है कि भारत और रूस दोनों 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहु-ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की स्थापना का सम्मान करते हैं क्योंकि राष्ट्रों के मध्य संबंधों का विकास प्राकृतिक और अपरिहार्य प्रक्रिया के रूप में हो रहा है।
- रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है।

VISION IAS

- दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की है।
- उन्होंने सभी देशों और संस्थाओं से आतंकवादी नेटवर्क एवं उनके वित्तपोषण को बाधित करने के लिए और आतंकवादियों के सीमापारीय घुसपैठ को रोकने के लिए आग्रह किया है। वैश्विक आतंकवाद निरोधक मानकों एवं कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए ***कॉम्प्रेहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म*** पर वार्ता की शुरुआत की इच्छा व्यक्त की गई है।
- रक्षा सहयोग के सन्दर्भ मे यह कहा गया है कि दोनो देशों के सहयोग को तीव्र एवं अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का संयुक्त निर्माण, सह-उत्पादन और सह-विकास के माध्यम से किया जायेगा। साथ-साथ भविष्य की उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने और साझा करने पर भी बल दिया जायेगा।
- दोनों देश हाई स्पीड ट्रेन, *डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर* और प्रभावी रेल परिवहन हेतु नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भी कार्य करेंगे।
- दोनो राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा और *ग्रीन कॉरिडोर* के कार्यान्वयन के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया गया है। हालाँकि *कनेक्टिविटी* के मुद्दे पर निर्णय सभी पक्षों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए बातचीत और सहमति से लिया जायेगा।

रूस के सन्दर्भ में भारत की चिंताएं

- **रूस-चीन संबंध-**
- भारत का चीन के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ बीजिंग के घनिष्ठ संबंधों के कारण भारत-चीन के मध्य अच्छे संबंध नहीं हैं। ऐसे मे उसके "भरोसेमंद रणनीतिक साझीदार" रूस का चीन की तरफ बढ़ता झुकाव चिंता का मुख्य कारण है।
- **रूस-पाकिस्तान संबंध-**
- पिछले साल रूस ने पाकिस्तान के साथ अपना पहला सैन्य अभ्यास आयोजित किया, जिससे भारत की चिंताएं बढ़ीं हैं।
- गत वर्ष गोवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के दो आतंकवादी समूहों पर भारत में आतंकवाद फ़ैलाने के भारत के आरोप का रूस द्वारा समर्थन न किया जाना भी चिंता का विषय है।
- **आतंकवाद के मुद्दे पर -**
- पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भूमि से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के मुद्दे पर नई दिल्ली और मॉस्को के मतों में भिन्नताएं हैं। साथ ही रूस, **भविष्य के अफगानिस्तान में तालिबान** की महत्वपूर्ण भूमिका तय करने के पक्ष में है ताकि यहाँ इस्लामिक स्टेट के उदय को रोका जा सके।

भारतीय PM की रूस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौते

भारत और रूस द्वारा अपनी "***स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप***" को पुनः अनुमोदित करते हुए निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए:

- 2017-2019 के लिए रूस के सांस्कृतिक मंत्रालय और भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान से सम्बंधित समझौता।
- ***क्रेडिट प्रोटोकॉल*** **और कुडनकुलम** NPP (KK5 और KK 6) के तीसरे चरण के निर्माण के लिए *जनरल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट*।
- ***इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ ट्रेडिसनल नालेज*** **(TKDL)** तक *रॉस्पाटेंट* विशेषज्ञों (Rospatent experts) की पहुंच प्रदान करने के लिए ***फेडरल सर्विस फॉर इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी (रॉस्पाटेंट)*** **और CSIR** के बीच समझौता।
- **नागपुर-सिकंदराबाद के बीच में हाई-स्पीड सेवा के कार्यान्वयन के लिए JSC** (रूसी रेलवे) और भारतीय रेलवे के बीच का अनुबंध।

भारत के साथ रूस की चिंता:

- अमेरिका और भारत के बीच ***मिलिट्री लोजिस्टिक्स अग्रीमेंट*** पर हस्ताक्षर होने से रूस चिंतित है।

2.7. भारत-फ्रांस

(India-France)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2017 में फ्रांस की आधिकारिक यात्रा की। यह भारतीय प्रधानमंत्री और नवनिर्वाचित फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमॅन्यूएल मैक्रॉन के बीच पहली सीधी बैठक थी।

यात्रा की मुख्य विशेषताएं

दोनों नेताओं ने रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने, आतंकवाद का मुकाबला करने और जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दों पर चर्चा की।

- भारत और फ्रांस **आतंकवाद और अतिवाद की चुनौती से निपटने** के लिए सहयोग को और बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं।
- भारत और फ्रांस, **जलवायु परिवर्तन की दिशा में मील के पत्थर, पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन** के लिए काम करने के लिए सहमत हुए है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रॉन की ***इंटरनेशनल सोलर अलायंस*** *(International Solar Alliance)* के प्रति सकारात्मक सोच की भी सराहना की।

भारत-फ्रांस सम्बन्ध

व्यापार और निवेश

- फ्रांस, भारत का 9 वां सबसे बड़ा निवेश भागीदार देश है।
- फ्रांस रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु एवं नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास और रेलवे जैसे क्षेत्रों में भारत की विकास पहलों में भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

रणनीतिक साझेदारी

- 1998 में, फ्रांस **पहला देश** था जिसके साथ भारत ने **रणनीतिक साझेदारी** की स्थापना की थी। तब से 30 से अधिक देशों के साथ इस प्रकार की रणनीतिक साझेदारी की जा चुकी है।
- यह विशेष संबंध हमेशा तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों **परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा** पर केंद्रित रहा है।

परमाणु सहयोग

- 1974 में भारत के शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने भारत के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम समाप्त कर दिए। लेकिन **फ्रांस ने भारत के तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए ईंधन आपूर्ति करना जारी रखा।**
- इसी तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों ने मई, **1998 में परमाणु परीक्षणों** के बाद भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, **परन्तु फ्रांस ने ऐसा कुछ नहीं किया**। वास्तव में, तात्कालिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने सार्वजनिक रूप से भारत का समर्थन और अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध किया।
- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) द्वारा भारत के साथ असैनिक परमाणु व्यापार करने की अनुमति देने के बाद फ्रांस भारत के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था।
- फ्रांस ने भारत में 16600 मेगावॉट के छह EPR (परमाणु रिएक्टरों) का निर्माण करने का निर्णय लिया है।

रक्षा सहयोग

फ्रांस पहला देश था जिसके साथ भारत ने **1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद 'वरुण' नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास** का आयोजन किया था।

- इसी तरह, इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) का 2003 में प्रथम द्विपक्षीय युद्धाभ्यास **'गरुड़ I'** किसी विदेशी राष्ट्र (फ्रेंच एयर फ़ोर्स) के साथ किया गया पहला अभ्यास था।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग

- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग 60 साल पहले शुरू हुआ था। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग 60 वर्ष पूर्व, फ्रांस द्वारा भारत को ***सेंटएअर साउंडिंग रॉकेट्स (Centaure sounding rockets)*** के घरेलू उत्पादन के लिए तकनीक प्रदान करने के साथ प्रारंभ हुआ।
- 1970 के दशक में फ्रांसीसी उपग्रह *सिम्फोनी* ***(Symphonie)*** का उपयोग करके पहला भारतीय *सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट Satellite Telecommunication Experimental Project (STEP)* शुरू किया गया था जिसके बाद *"एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट" (एप्पल) "Ariane Passenger Payload Experiment" (APPLE)* का प्रक्षेपण किया गया।

VISION IAS

- वास्तव में, **बड़े भारतीय उपग्रहों, विशेष रूप से INSAT और GSAT श्रंखला के उपग्रहों का प्रक्षेपण करने के लिए एरियन स्पेस पसंदीदा एजेंसी थी।**
- ***EADS एस्ट्रियम (EADS Astrium)*** जैसे फ्रांसीसी संगठनों और ***भारतीय वाणिज्यिक कंपनी एंट्रिक्स (Indian commercial arm Antrix)*** ने एक साथ मिलकर पश्चिम में *पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (Polar Satellite Launch Vehicle)* सम्बन्धी क्षमताओं का वाणिज्यीकरण करने की दिशा में कार्य किया जो दोनों देशों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ।

2.8 भारत-अफगानिस्तान

(India-Afghanistan)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में भारत और अफगानिस्तान द्वारा एक ***'डेडिकेटेड एयर फ्रेट कॉरिडोर सर्विस'*** का उद्घाटन किया गया है।

- पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरने वाले इस हवाई गलियारे का उद्घाटन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉ अशरफ गनी द्वारा एक मालवाहक विमान को उड़ान की अनुमति प्रदान कर किया गया।
- यह एयर फ्रेट कॉरिडोर, **भारत के बाजारों तक अफगानिस्तान (स्थल अवरुद्ध देश) की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने** और अफगान व्यापारियों द्वारा भारत की आर्थिक प्रगति और व्यापार नेटवर्क से लाभ प्राप्त करने में सहायक होगा।
- इसके माध्यम से अफगानिस्तान के किसानों को अपने **जल्दी ख़राब होने वाले उत्पादों के लिए भारतीय बाजारों तक त्वरित और प्रत्यक्ष पहुंच** प्रदान करना संभव होगा।

अफगानिस्तान तक पहुंच

भारत; अफगानिस्तान के साथ मिलकर **इस स्थल अवरुद्ध देश के लिए वैकल्पिक और विश्वसनीय मार्गों के निर्माण के लिए कार्य** कर रहा है।

- इस संदर्भ में, जनवरी 2015 में, भारत ने अफगान ट्रकों से अफगानिस्तान के माल को उतारने और भारतीय माल को लादने के लिए **अटारी स्थलीय चेकपोस्ट** के जरिए भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने के अपने निर्णय की घोषणा की।
- भारत **चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ सहयोग** कर रहा है। इस संदर्भ में, मई 2016 में तेहरान में तीन देशों के नेताओं की उपस्थिति में चाबहार के माध्यम से समुद्री मार्ग के विकास के लिये एक **त्रिपक्षीय परिवहन और पारगमन समझौते** पर हस्ताक्षर किए गए।

VISION IAS

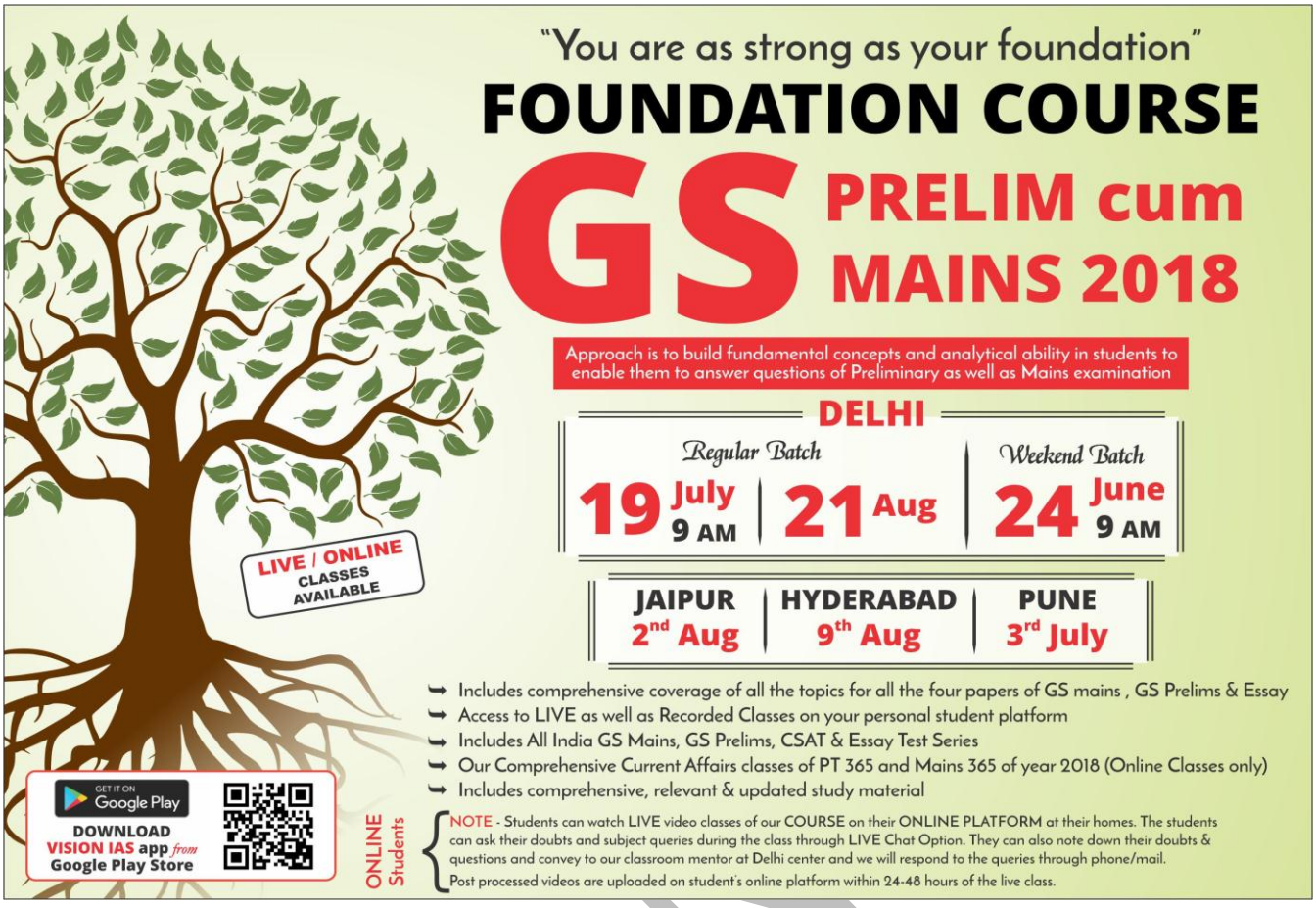
"You are as strong as your foundation"
FOUNDATION COURSE
GS PRELIM cum MAINS 2018
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
DELHI
Regular Batch
19 July 9 AM
21 Aug
Weekend Batch
24 June 9 AM
JAIPUR 2nd Aug
HYDERABAD 9th Aug
PUNE 3rd July
LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE
Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS mains , GS Prelims & Essay
Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2018 (Online Classes only)
Includes comprehensive, relevant & updated study material
GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store
ONLINE Students
NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.
Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

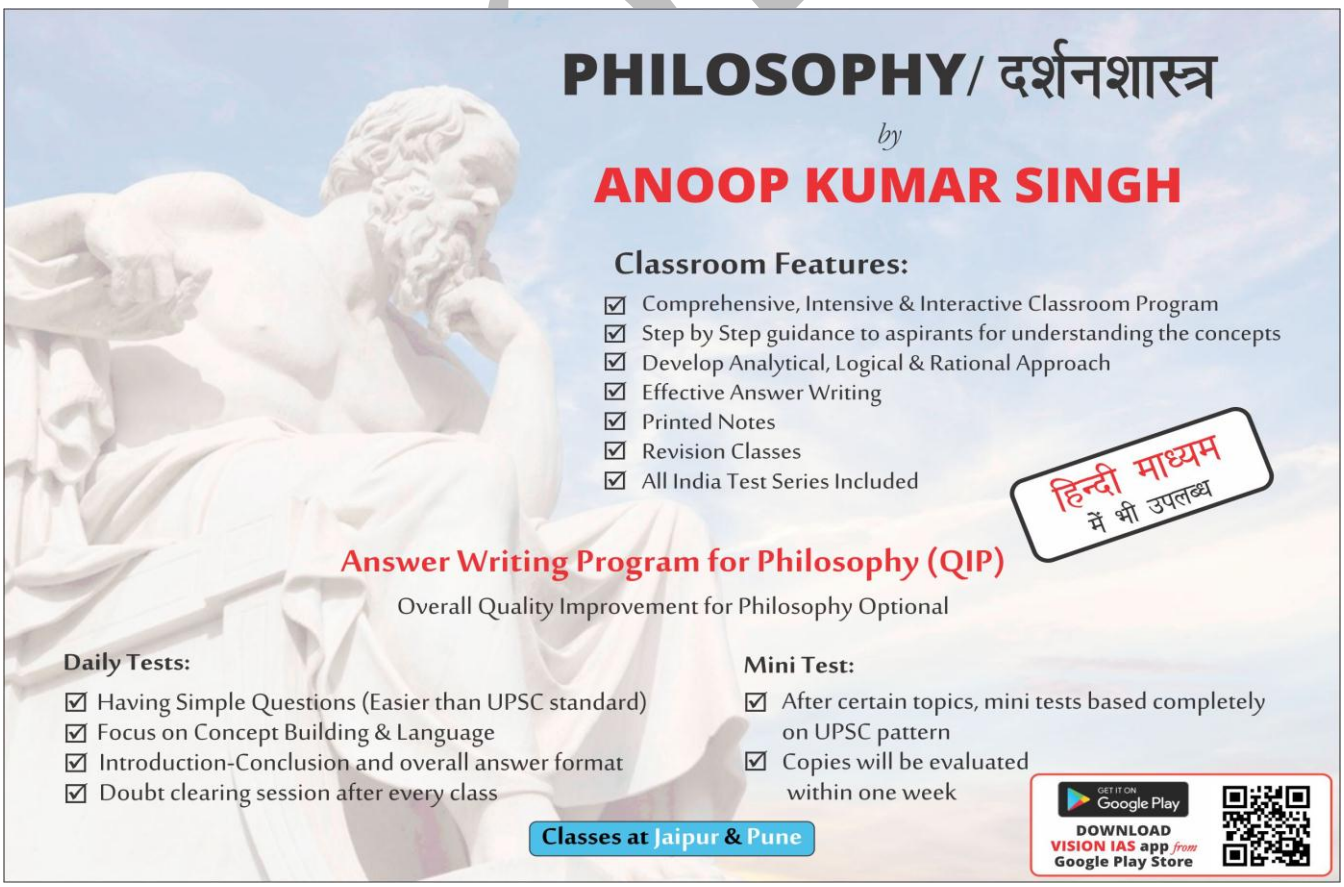
PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र
by
ANOOP KUMAR SINGH
Classroom Features:
Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program
Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts
Develop Analytical, Logical & Rational Approach
Effective Answer Writing
Printed Notes
Revision Classes
All India Test Series Included
हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध
Answer Writing Program for Philosophy (QIP)
Overall Quality Improvement for Philosophy Optional
Daily Tests:
Having Simple Questions (Easier than UPSC standard)
Focus on Concept Building & Language
Introduction-Conclusion and overall answer format
Doubt clearing session after every class
Mini Test:
After certain topics, mini tests based completely on UPSC pattern
Copies will be evaluated within one week
Classes at Jaipur & Pune
GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. कृषि पर GST का प्रभाव

(Impact of GST on Agriculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- चालू वित्त वर्ष में 1 जुलाई से GST लागू हो चुका है। कृषि, कृषि मशीनरी एवं कृषि में किए जाने वाले निवेश पर इसके मिश्रित प्रभाव पड़ने की संभावना है। हाल ही में सरकार ने कीटनाशकों को 18% GST स्लैब में रखने का भी निर्णय लिया है।

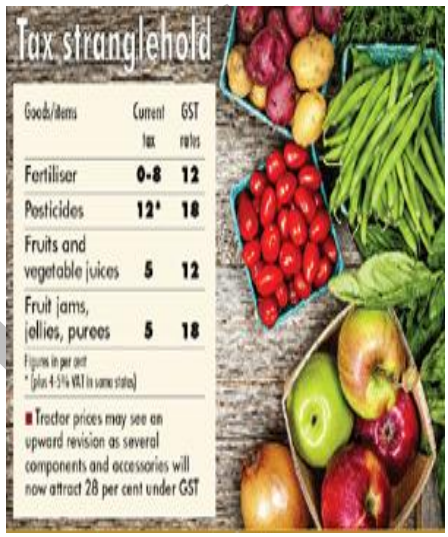

प्रभाव

कृषि के निवेश पक्ष पर प्रभाव

- उर्वरकों पर अब GST के अंतर्गत 5% की दर से कर लगेगा (अभी तक 0-8% की दर से VAT लगता था)। इसके पहले GST के अंतर्गत 12% कर आरोपित करने का प्रस्ताव था। अतः स्पष्ट है कि इससे किसानों पर कर के बोझ में कमी आएगी।
- कीटनाशकों को 18% के स्लैब में रखा गया है (अभी तक इसके ऊपर 12% की दर से उत्पाद शुल्क लगता था और कुछ राज्यों में 4-5% की दर से VAT भी लगता था)।
- जहां तक कृषि मशीनरी का संबंध है, कई पुर्जों को 28% के स्लैब में रखा गया है, जबकि ट्रैक्टर को 12% स्लैब (वर्तमान में शून्य उत्पाद शुल्क और 4-5% का VAT) के अंतर्गत रखा गया है। किन्तु अभी भी यह निश्चित नहीं है कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट कर की दर से अधिक होगा। इसलिए, ट्रैक्टर की कीमतों में कमी आने की संभावना है।

कृषि के उत्पादन पक्ष पर प्रभाव

- चावल, गेहूं, दूध, ताजे फल और सब्जियों से लेकर अधिकांश अप्रसंस्कृत कृषि-वस्तुएं शून्य कर स्लैब में रखी गई हैं। इससे कुछ राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले करों, उपकरों और आढ़तिया कमीशन (arhatiya commission) से बचने में सहायता मिलेगी।
- जहां तक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का संबंध है, अब फलों और सब्जियों के जूस पर 12% (वर्तमान में 5%) की दर से कर लगाया जाएगा और फ्रूट जैम, जेली आदि पर 18% (वर्तमान में 5%) की दर से कर लगाया जाएगा। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

महत्व

- मंडी कर तथा संबद्ध उपकर कृषि बाजार को विकृत कर रहे थे जिसके कारण निजी क्षेत्र इस बाज़ार से बाहर निकलने को विवश था। GST से कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की रूचि को पुनः जगाने में सहायता मिल सकती है।
- कृषि पर कर संरचना को तर्कसंगत बनाने से भारतीय खाद्य निगम जैसे संगठनों द्वारा वहन किए जाने वाले खाद्य सब्सिडी बिल को कम करने में सहायता मिलेगी। किन्तु इससे राज्यों के कर राजस्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- सुगम GST करव्यवस्था से कृषि वस्तुओं के परिवहन में आड़े आने वाली अंतर्राज्यीय बाधाएं दूर हो सकती हैं तथा प्रसंस्करणकर्ताओं और किसानों के बीच सीधे संबंध स्थापित हो सकते हैं।

चुनौतियां

- कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को उच्च कर स्लैब श्रेणी में डालने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे इस उद्योग से संबद्ध रोजगार पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

3.2. कृषि आय पर करारोपण

(Taxing Agricultural Income)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अपने तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा में नीति आयोग ने एक निश्चित सीमा से ऊपर कृषिगत आय पर करारोपण का विचार प्रस्तावित किया है।

VISION

आवश्यकता

- नीति आयोग का कहना है कि कृषि आय पर करारोपण न किए जाने का प्रमुख उद्देश्य किसानों की रक्षा करना था, लेकिन इस प्रावधान का उन लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, जो किसान नहीं हैं तथा केवल कर से बचने के लिए कृषि को अपनी आय का स्रोत बताते हैं।
- भारत में कराधार आबादी का लगभग 1.5% है। इसके कारण भी कृषि आय पर करारोपण आवश्यक हो जाता है ताकि कृषि में संलिप्त आबादी को भी कर के दायरे में लाया जा सके।
- हरित क्रांति से कुछ किसानों की स्थिति में सुधार आया है। इसलिए समृद्ध और सीमांत किसानों के बीच असमानता कम करने के लिए कृषि पर कराधान की आवश्यकता है।

<u>कृषि कर के सम्बन्ध में वर्तमान परिदृश्य</u>

आयकर अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत करदाताओं द्वारा अर्जित कृषि आय को भारत में करमुक्त रखा गया है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

- भारत में अवस्थित भूमि से प्राप्त कोई भी किराया या राजस्व और जिसका उपयोग कृषि से सम्बंधित प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार के कृषि कार्यों के द्वारा प्राप्त होने वाली कोई भी आय कर के दायरे में नहीं आती है। बाज़ार के लिए उपयुक्त बनाने हेतु कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण भी इसमें सम्मिलित है।
- किसी फार्म हाउस से प्राप्त होने वाली आय को भी इससे बाहर रखा गया है, हालांकि इस संबंध में इन्हें धारा 2 (1A) में निर्दिष्ट कुछ निश्चित शर्तों की संतुष्टि के अधीन रखा गया है।

पृष्ठभूमि

- 1925 में ब्रिटिश भारत में कृषि आय पर करारोपण की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए भारतीय कराधान जांच समिति (Indian taxation enquiry committee) का गठन किया गया था।
- स्वातंत्रोत्तर भारत में 1972 में के. एन. राज समिति द्वारा भी इसकी अनुशंसा की गई थी । इसके साथ ही इस समिति ने सुझाव दिया था कि यह कदम उठाने से पहले कृषि पर करारोपण की व्यवहार्यता और इसके कार्यान्वयन सम्बन्धी मुद्दों का परीक्षण किया जाना चाहिए।
- 2002 की केलकर कार्यदल की रिपोर्ट का अनुमान था कि 95% किसान कर सीमा से बाहर थे।

महत्व

- इससे कराधार का विस्तार होगा और सरकार के राजस्व में सुधार आएगा । परिणामस्वरूप सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय में वृद्धि होगी।
- इससे गलत ढंग से अन्य स्रोत से प्राप्त आय को कृषि आय के रूप में दिखाकर की जाने वाली कर चोरी पर अंकुश लगेगा।
- निश्चित आय सीमा से ऊपर के समृद्ध किसानों पर कर लगाया जा सकेगा । यह आर्थिक समता की दिशा में भी एक कदम होगा।
- कराधान के लिए खातों का नियमित और व्यवस्थित रखरखाव आवश्यक होता है। अतः इससे किसानों को दस्तावेजी रिकॉर्ड के आधार पर आवश्यकता आधारित ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- पर्याप्त औपचारिक प्रलेखन (documentation) से सरकार को भविष्य में छोटे और बड़े किसानों के बीच अंतर करने और लक्षित सब्सिडी योजनाएं लागू करने में सहायता मिलेगी।

चुनौतियां

- NSS के आंकड़ों के अनुसार 17 राज्यों में मध्यम किसानों को खेती से होने वाली औसत निवल वार्षिक आय 20,000 रुपये से कम है। इसलिए इस प्रकार की कृषि आय पर कराधान से किसानों पर नकारात्मक बाह्यताएं आरोपित हो सकती हैं।
- कृषि के विभिन्न चरणों पर अभी भी अनेक प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, अतः कृषि आय पर करारोपण आगे चलकर कृषि राजस्व संरचना को और विरूपित करेगा।
- कृषि आय मानसून पर अत्यधिक निर्भर है और इसलिए कृषि आय पर करारोपण का परिणाम नकारात्मक बाह्यताओं के रूप में सामने आ सकता है।
- किसान कर अधिकारियों के शोषण का शिकार हो सकते हैं।

आगे की राह

किसानों की आय के सम्बन्ध में आंकड़ों के संग्रहण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। आंकड़े ग्राम स्तर पर एकत्रित किए जाने चाहिए। तत्पश्चात कृषि आय पर कर लगाने के लिए सीमा निर्धारित की जा सकती है। इसके साथ ही इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को भी विश्वास में लेने की आवश्यकता है क्योंकि कृषि संविधान की राज्य सूची में उल्लखित है।

VISION IAS

3.3. पूंजीगत लाभ कर नियम

(Capital Gains Tax Rules)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पूंजीगत लाभ कर के सम्बन्ध में अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में यह स्पष्ट विनिर्देश दिया गया है कि वैसे प्रतिभूति लेनदेन जहां प्रतिभूति लेनदेन कर (Securities Transaction Tax: STT) का भुगतान नहीं किया गया है, वहां पर पूंजीगत लाभ कर लगेगा।

पूंजीगत लाभ कर

- पूंजीगत लाभ कर वह कर होता है जो किसी निवेशक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पूंजीगत लाभ या मुनाफे पर तब लगाया जाता है जब वह खरीद मूल्य से अधिक कीमत पर पूंजीगत परिसंपत्ति को बेचता है। पूंजीगत लाभ कर केवल तभी आरोपित होता है जब किसी परिसंपत्ति से आय प्राप्त की जाती है। जब निवेशक उसे धारित किए होता है तब इसे आरोपित नहीं किया जाता है ।
- भारत में दो प्रकार के पूंजीगत लाभ कर हैं; अल्पावधिक (36 माह के भीतर प्राप्त किया गया पूंजीगत लाभ) और दीर्घावधिक पूंजीगत लाभ कर (36 महीने से अधिक समय में प्राप्त)। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए, गैर-सूचीबद्ध शेयरों और अचल संपत्ति के लिए 24 महीने की धारित अवधि (होल्डिंग पीरियड) निर्दिष्ट की गयी है।

आवश्यकता

- दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर से बचने हेतु बेहिसाब आय (unaccounted income) को फर्जी लेनदेन के माध्यम से दर्शाने के व्यवहार को रोकने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया था।

पृष्ठभूमि

- आयकर अधिनियम के पिछले प्रावधानों का फायदा उठाते हुए व्यवसायी अक्सर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से उन्मुक्ति के लिए फर्जी लेनदेन के ज़रिये बेहिसाब आय (unaccounted income) की घोषणा करते थे। इस व्यवहार पर रोक लगाने के लिए हाल ही में वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया है।
- संशोधन अधिसूचना में उन लेनदेनों का उल्लेख किया गया है जिन पर कर लागू होगा और जिन पर कर छूट प्राप्त होगी।

प्रावधान

- 1 अक्टूबर 2004 के बाद किए गए इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के सभी लेनदेनों पर STT के लिए प्रभार्यता लागू नहीं होगी, हालांकि इसके निम्नलिखित कुछ अपवाद हैं: -
  - कंपनी के प्रेफेरेंशिअल इशू में सूचीबद्ध शेयर। इस सूची के शेयरों का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्राय: व्यापार नहीं किया जाता है।
  - कंपनी के उन वर्तमान सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को छोड़कर, जिनका अधिग्रहण भारत के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से नहीं किया गया है।
  - कंपनी के शेयरों के उस दौरान किये गए अधिग्रहण को छोड़कर जब उन्हें सूची से हटा दिया गया था।

महत्व

- इससे विदेशी निवेशकों, वेंचर कैपिटल हाउस और उन शेयरधारकों को लाभ होगा जिन्होंने कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग (कॉरपोरेट पुनर्गठन) पर शेयरों का अधिग्रहण किया था और जिन पर किसी भी STT का भुगतान नहीं किया गया था।

चुनौतियां

- CBDT की अधिसूचना उन कंपनियों के शेयरधारकों के लिए अत्यधिक अनुचित प्रतीत होती है जिनके शेयरों का स्टॉक एक्सचेंज में प्राय: व्यापार नहीं किया जाता है।

3.4. किसानों का विरोध-प्रदर्शन

(Farmer Protests)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल के दिनों में सोयाबीन, प्याज, सब्जी आदि विभिन्न फसलों की कीमतों में गिरावट आई है। साथ ही, विभिन्न राज्यों में बीज, श्रम, उर्वरक और परिवहन जैसी आदान लागतों (इनपुट कॉस्ट्स) में वृद्धि दर्ज की गयी है।
- अहमदनगर से लेकर नासिक और सांगली तक के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध किसानों वाले क्षेत्रों में किसान आंदोलनों में वृद्धि देखी गई है।

कारण

- बाजार में उपज की अधिकता होने से खरीद कीमतों में गिरावट।
- हाल ही में हुए विमुद्रीकरण के कारण नकदी में कमी आई है। इससे कृषि क्षेत्र में अपस्फीति (डीफ्लेशन) उत्पन्न हो गई है। जून 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा में विमुद्रीकरण के फलस्वरूप सभी कृषि जिंसों की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट होने का दावा किया गया जिसके कारण किसानों को अपनी कृषि जिंसों को औने-पौने दाम पर ही बेचना पड़ा ।
- छोटी भूजोतों की अधिकता जिसे बनाए रखना अत्यधिक खर्चीला होता है।
- अधिकांश स्थानों पर विकेन्द्रीकृत गोदामों जैसी अवसंरचनाओं की कमी भी बफर स्टॉक बनाने में एक बाधक है।
- कम होती सरकारी सहायता और बाजार की अस्थिरता में वृद्धि के फलस्वरूप भी कृषि आय में कमी आई है ।
- किसान, स्वामीनाथन समिति द्वारा सुझाए गए संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन की भी मांग कर रहे हैं।

सरकारी कदम

- महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की निम्नलिखित मांगों को दूर करने का प्रयास किया है; जैसे - उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक पर फसल की खरीद, कृषि ऋण को पूरी तरह माफ़ करना, ड्रिप / फव्वारा सिंचाई प्रणाली पर 100% सब्सिडी और दूध का न्यूनतम खरीद मूल्य 50 रुपये करना।
- सरकार ने अगले फसल चक्र के लिए तत्काल ऋण भी प्रदान किया है।

राष्ट्रीय किसान आयोग (2004-06)

- इस आयोग की अध्यक्षता M.S. स्वामीनाथन द्वारा की गई थी। इसके गठन का उद्देश्य भारत के लिए एक खाद्य सुरक्षा नीति तैयार करना था ।
- इस समिति द्वारा कृषि संकट के लिए निम्नलिखित कारणों को ज़िम्मेदार माना गया: भूमि सुधार का अधूरा एजेंडा, पानी की अपर्याप्त मात्रा और ख़राब गुणवत्ता, प्रौद्योगिकीय पिछड़ापन, संस्थागत ऋणों तक पहुंच का अभाव, उनकी अपर्याप्तता और समय पर ऐसे ऋणों का न मिलना तथा लाभकारी विपणन के अवसर की कमी और प्रतिकूल मौसम संबंधी कारक।

अनुशंसाएँ

भूमि सुधार

- अधिशेष भूमि (भूमि हदबंदी के बाद अधिशेष भूमि) और बेकार भूमि का वितरण किया जाए।
- अवस्थिति और मौसम विशिष्ट आधार पर पारिस्थितिकीय, मौसम विज्ञान संबंधी और विपणन कारकों के साथ भूमि के उपयोग सम्बन्धी निर्णयों को आपस में संबद्ध करने के लिए राष्ट्रीय भूमि उपयोग परामर्श सेवा की स्थापना की जाए।

सिंचाई सुधार - रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से पानी की आपूर्ति बढ़ाई जाए। इसके साथ ही भौम जल का पुनर्भरण अनिवार्य किया जाना चाहिए। विशेष रूप से निजी कुओं के लिए लक्षित "मिलियन वेल्स रिचार्ज" कार्यक्रम आरंभ किया जाना चाहिए।

कृषि उत्पादकता

- कृषि संबंधी अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाए।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने के साथ ही उन्नत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाया जाए।

ऋण और बीमा

- प्राकृतिक आपदाओं से राहत प्रदान करने के लिए कृषि जोखिम कोष स्थापित किया जाए।
- संपार्श्विक(कोलैटरल) के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड और संयुक्त पट्टा जारी किया जाए।
- फसल-पशु-मानव स्वास्थ्य के लिए एक एकीकृत स्वास्थ्य बीमा पैकेज का विकास किया जाए।

खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण

- सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जाए। इसके साथ ही, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को समाप्त करने के लिए एक एकीकृत फूड फोर्टिफिकेशन दृष्टिकोण अपनाया जाए।
- 'स्टोर ग्रेन एंड वाटर एव्रीवेयर' के सिद्धांत के आधार पर महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) द्वारा संचालित किए जान वाले सामुदायिक खाद्य और जल बैंकों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए।
- किसानों की समस्याओं के प्रति सरकार की गत्यात्मक प्रतिक्रिया हेतु राज्य स्तर पर किसानों के प्रतिनिधित्व से युक्त किसान आयोग का गठन किया जाए।
- फसल बीमा में सभी फसलों को कवर किया जाए जिसमे मूल्यांकन की इकाई ब्लाक नहीं बल्कि गाँव हो।
- ऐसे स्थानों पर ग्राम ज्ञान केंद्रों (VKC) या ज्ञान चौपालों की स्थापना की जाए जहाँ के किसान अत्यधिक दबाव में हैं ।
- केंद्रीकृत सेवाओं के साथ विकेंद्रीकृत उत्पादन को संयोजित करने के लिए जिंस आधारित किसान संगठनों का संवर्धन किया जाए ।
- MSP उत्पादन की औसत भारित लागत से कम से कम 50% अधिक होना चाहिए।

VISION IAS

- किसानों की "नेट टेक होम इंकम" (निवल आय) इस स्तर पर हो की सिविल सेवकों की आय से उसकी तुलना की जा सके।

जैव संसाधनों में सुधार

- जैव विविधता तक पहुंच के पारंपरिक अधिकारों का संरक्षण किया जाए।
- अवर्गीकृत पशुओं (nondescript animals) की उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्वदेशी नस्लों के निर्यात और उपयुक्त नस्लों के आयात की अनुमति दी जाए।

3.5. मैकेंज़ी इंप्लायमेंट रिपोर्ट

(Mckinsey Employment Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- मैकेंज़ी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में "इंडियाज़ लेबर मार्किट: ए न्यू एम्फेसिस ऑन गेनफुल इंप्लायमेंट " नामक अपनी रिपोर्ट जारी की।

पृष्ठभूमि

- इस रिपोर्ट में प्रदर्शित रोजगार सम्बन्धी अनुमान वस्तुतः NSSO द्वारा किए गए रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित सर्वेक्षणों के साथ-साथ श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए वार्षिक सर्वेक्षणों पर आधारित हैं।

भारत में गैर-कृषि रोजगार

- ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण, हस्तशिल्प, निर्माण, खनन, व्यापार, संचार इत्यादि जैसी सभी आर्थिक गतिविधियां गैर-कृषि क्षेत्र में आती हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने में ये गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं।
- 1980 के दशक में ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार गरीबी में होने वाली कमी के मुख्य कारणों में से एक था।
- MNREGA गैर-कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले मुख्य चालकों में से एक रहा है।
- NSSO के अनुसार हाल ही में शिक्षा, कौशल विकास इत्यादि पर ध्यान दिए जाने से निर्माण, सेवा और श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्र ने कृषि रोजगारों को अपनी ओर आकर्षित किया है।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- रिपोर्ट में "लाभप्रद रोजगार" अर्थात अधिक आय वाले बेहतर काम पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इसमें संरचनात्मक स्थानांतरण अर्थात कृषि क्षेत्र से गैर-कृषि क्षेत्र की ओर स्थानांतरण को रेखांकित किया गया है। 2011 से 2015 के बीच, कृषि रोजगार की संख्या में 26 मिलियन की कमी दर्ज की गई, जबकि गैर-कृषि रोजगार की संख्या में 33 मिलियन तक की वृद्धि हुई। ऐसा विशेष रूप से 2013 और 2015 के बीच होने वाले रोजगार सृजन के कारण हुआ।
- गैर-कृषि रोजगार में वृद्धि के बावजूद, समग्र श्रमबल भागीदारी दर जो 2011 में 55.5% थी वह 2015 में गिरकर 52.4% के स्तर तक आ गयी।
- गिग (Gig) इकॉनमी (अर्थात उपलब्ध स्वतंत्र काम के अवसरों में वृद्धि), सरकारी व्यय और बढ़ी हुई उद्यमशीलता गतिविधियों ने 2014 से 2017 के बीच 20-26 मिलियन लोगों के लिए लाभप्रद रोजगार का सृजन किया।

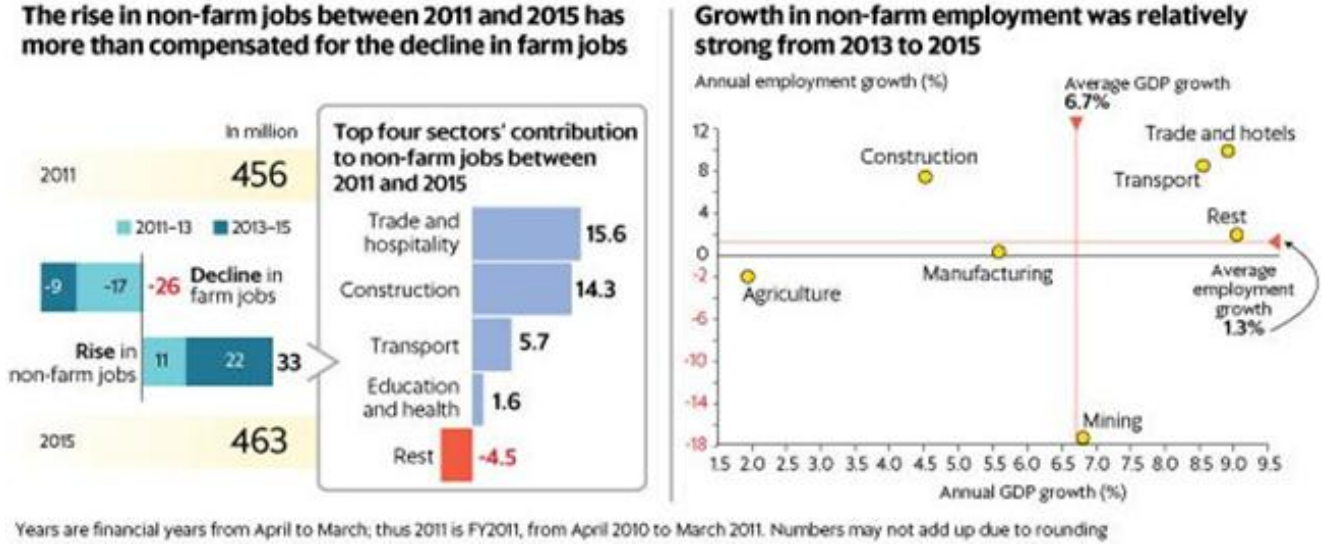

Years are financial years from April to March; thus 2011 is FY2011, from April 2010 to March 2011. Numbers may not add up due to rounding

VISION IAS

- इनमें से अधिकांश रोजगार सृजन थोक व्यापार और हॉस्पिटैलिटी, निर्माण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में हुआ, जबकि खनन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में गिरावट आई।
- स्वचालन से भारत में रोजगार के तत्काल प्रभावित होने की संभावना नहीं है क्योंकि कम मजदूरी और स्वचालन की उच्च लागत के कारण भारत में स्वचालन पीछे रहेगा।

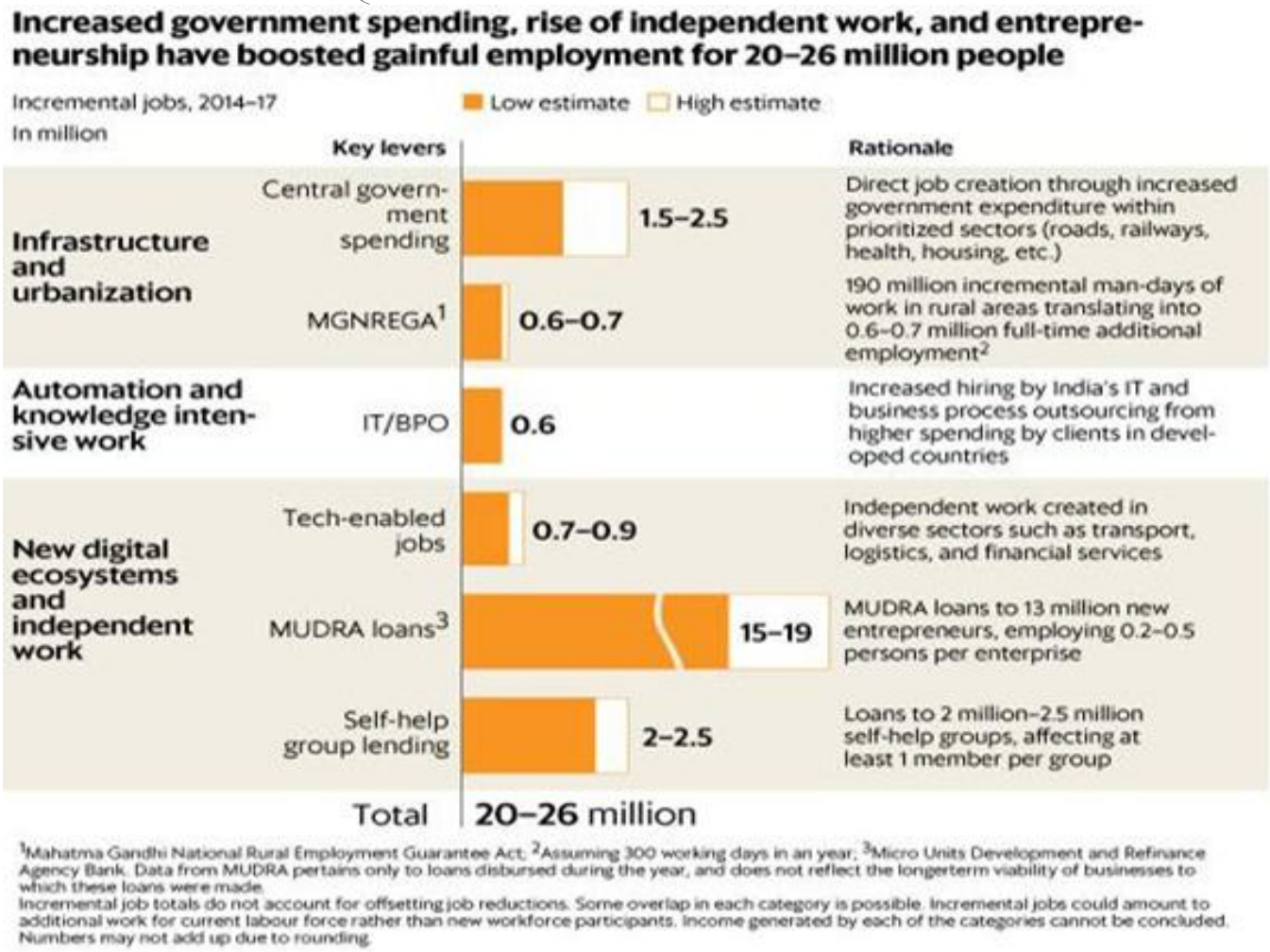

रिपोर्ट द्वारा की गई अनुशंसाएं

- इसमें अधिक लाभप्रद रोजगार अवसर पैदा करने के तीन उपायों का सुझाव दिया गया है। वे इस प्रकार हैं -
  - रोजगार का अधिक उपयुक्त सांख्यिकीय मापन
  - लक्षित सरकारी कार्यक्रम
  - निवेश और नवाचार के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना।
- इस रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से औद्योगिक टाउनशिप्स के निर्माण, विनिर्माण और पर्यटन परिपथों के विकास पर ध्यान देने से लाभप्रद रोजगार के लिए अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं।

महत्व

- लागू किए जाने पर यह रिपोर्ट कौशल की मांग और आपूर्ति के बेहतर तालमेल के साथ "लाभप्रद रोजगार" में सुधार लाने का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती है।
- यह रिपोर्ट कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार से जुड़े हाल के आंकड़ों और सांख्यिकी के लिए केंद्र बिंदु बन सकती है।

3.6. अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौते

(International Investment Agreements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इन्वेस्टमेंट-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट (ISDS) तंत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौतों (International Investment Agreements: IIA) की समीक्षा करने का विचार हाल में चर्चा का विषय रहा है।
- उल्लेखनीय है कि भारत ने वैश्विक स्तर पर वस्तु या सेवा समझौते की भांति ऐसे समझौतों को अंतिम रूप न दिए जाने पर जोर डालते हुए इन्हें संपन्न होने से रोका है।

इन्वेस्टमेंट स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट (ISDS)

- यह एक तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता प्रक्रिया है।
- इस तंत्र में निवेशक समर्थन सिद्धांतों के उल्लंघन की स्थिति में दूसरे हस्ताक्षरकर्ता राज्य के निवेशक द्वारा एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण में क्षतिपूर्ति की मांग की जा सकती है। इस न्यायाधिकरण के निर्णय बाध्यकारी होते हैं।
- ISDS तंत्र विवादास्पद हैं क्योंकि यह कंपनियों को स्थानीय विकल्पों का प्रयोग किये बिना ही देशों की सरकारों के खिलाफ मामले को अंतरराष्ट्रीय पंचाट में ले जाने का अधिकार देता है। साथ ही नीतिगत परिवर्तनों तथा ऐसे ही अन्य कारणों का हवाला देते हुए होने वाले नुकसान के बदले भारी भरकम क्षतिपूर्ति की मांग करने में उन्हें सक्षम बनाता है।

पृष्ठभूमि

- IIA {जिसे द्विपक्षीय संदर्भ में सामान्यत: द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) भी कहा जाता है} या "निवेश गारंटी समझौता (Investment Guarantee Agreement: IGA) दो हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच अधिक निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करता है और दूसरे देश के निवेशकों द्वारा किसी देश में किए गए निवेशों के लिए सुरक्षा मानदंड निर्धारित करता है।
- व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UN Conference on Trade and Development Report) की रिपोर्ट के अनुसार, 2016 के अंत तक IIA के तहत मेजबान देश के विरूद्ध लगभग 770 मामले दर्ज किए गए थे।

विरोध के कारण

- वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौते निवेशक समर्थक हैं जिसका उद्देश्य केवल पूंजी की रक्षा करना है न कि श्रम, देशी लोगों, प्रवासियों या उपभोक्ताओं की रक्षा करना।
- वर्तमान ISDS तंत्र तदर्थ, अप्रत्याशित और निरंकुश प्रकृति का है।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT)

BIT दो देशों के बीच वह समझौता है जो दोनों देशों में विदेशी निवेश के लिए नियम बनाने में सहायता करता है। BIT एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तंत्र के माध्यम से मेजबान देश को उनकी विनियामकीय शक्तियों के प्रयोग के लिए जवाबदेह बनाता है। इस प्रकार यह समझौता मेज़बान देश में विदेशी निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता है।

भारत ने 2015 में अपने मॉडल BIT संधि में परिवर्तन किया था। भारत ने 1994-2011 के दौरान 70 BITs पर हस्ताक्षर किये थे जो पूर्णतः निवेशक अनुकूल तथा मेज़बान देश के हितों के प्रतिकूल थे। किन्तु 2011 के बाद की प्रवृत्ति इसके विपरीत रही है।

BIT पर भारत का मॉडल ड्राफ्ट

2011 में व्हाइट इंडस्ट्रीज मामले में हारने के बाद भारत ने एक मॉडल BIT तैयार किया। इसके कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं-

MFN खंड को हटाना

निवेश की उद्यम आधारित परिभाषा - जिन निवेशकों ने अपने व्यापार हेतु भारत में उद्यम नहीं स्थापित किया वे BIT के अंतर्गत सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते हैं।

विवाद के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण से संपर्क करने से पहले स्थानीय न्यायालयों में जाने के विकल्प का अनिवार्य रूप से उपयोग कर लेना। अर्थात मामले को सीधे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने के पहले उसे स्थानीय न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया से गुज़ारना होगा।

स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि विषयों के सम्बन्ध में BIT के प्रावधान अमान्य होंगे।

आगे की राह

- जहां तक संभव हो घरेलू उपाय या अनिवार्य वार्ता और मध्यस्थता सहित विवाद निपटान के अन्य वैकल्पिक तरीकों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। स्थानीय उपाय समाप्त हो जाने पर ही अंतरराष्ट्रीय तंत्र तक सीधे पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए।
- साथ ही, विधि सम्मत सार्वजनिक नीति का पालन करने के लिए सरकारों के लिए विनियामकीय स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है।

3.7. ईंधन हेतु प्रशासित मूल्य तंत्र

(Fuel Administered Price Mechanism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के लिए प्रशासित मूल्य तंत्र (Administered Price Mechanism: APM) समाप्त कर दिया।

पृष्ठभूमि

- APM की व्यवस्था को समाप्त करने का विचार दो दशक पूर्व पहली बार प्रस्तुत किया गया था।
- नरसिम्हा राव सरकार ने प्रशासित मूल्य तंत्र को समाप्त करने का खाका खींचने के लिए विजय केलकर की अध्यक्षता में **"आर समिति" ('R' अर्थात रिफार्म या सुधार)** का गठन किया था।
- किन्तु इस प्रकार का तंत्र सफल नहीं हो पाया क्योंकि 21वीं सदी के प्रथम दशक में कच्चे तेल की कीमतें अत्यधिक अस्थिर हो गईं और सुधारों पर राजनीतिक आम सहमति नहीं बन पायी थी।

ईंधन हेतु प्रशासित मूल्य तंत्र

- 1970 के दशक के आरम्भ में सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों - कालटेक्स, एस्सो और बर्मा शेल का राष्ट्रीयकरण करने के बाद APM का सृजन किया गया था।
- APM के साथ ही सरकार ने आयल पूल एकाउंट्स की प्रणाली भी स्थापित की, जिसका प्रशासन तेल समन्वय समिति (Oil Cordination Committee: OCC) द्वारा किया जाता था।
- तेल शोधन कंपनियों के कामकाज की निगरानी करने के लिए OCC का दर्ज़ा घटाकर उसे पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन **पेट्रोलियम नियोजन और विश्लेषण प्रकोष्ठ** (Petroleum Planning and Analysis Cell) बना दिया गया।
- प्रशासित मूल्य निर्धारण मे कॉस्ट प्लस फ़ॉर्मूले के अंतर्गत, सभी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कच्चे तेल की खरीद और शोधन के आधार पर तय की जाती हैं।
- • पेट्रोलियम उत्पादों के बीच क्रॉस सब्सिडाईज़ेशन प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र के अंतर्गत अस्तित्व में था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और केरोसिन की कीमतों को सब्सिडी दी जाती थी।

प्रावधान

- 2014 में भारत ने डीजल पर से मूल्य नियंत्रण को हटा लिया था जबकि पेट्रोल पर मूल्य नियंत्रण 2010 में ही समाप्त कर दिया गया था जिससे सार्वजनिक कंपनियां बाजार कीमतें वसूलने लगीं। वर्तमान में सार्वजनिक कंपनियां प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े के अंत में कीमतों की समीक्षा करती हैं।
- अब से सभी पेट्रोल पंपों पर दैनिक बिक्री कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जुड़ी होगी।

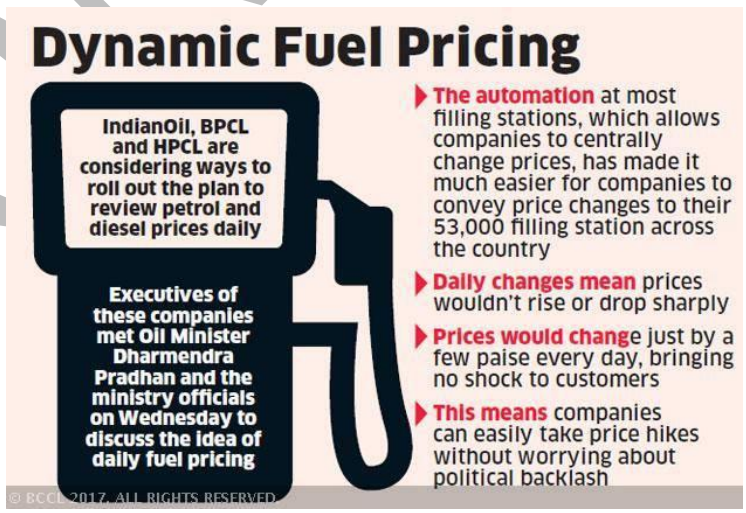

महत्व

- अब तेल कंपनियां पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत निर्धारित करने के मामले में आयात समता और बाजार बलों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय ले सकती हैं।
- इसके साथ ही भारत शीघ्र ही अधिक निजी कंपनियों के प्रवेश के साथ एक प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था बन जायेगा। इससे ईंधन जैसे दुर्लभ संसाधन के अकुशल आवंटन में सुधार आएगा।
- इससे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को तेल से लाभान्वित होने में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा सरकारी खजाने पर बोझ में भी कमी आएगी।

चुनौतियां

- कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर इस तंत्र को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
- इससे अलग-अलग राज्यों में ईंधन की कीमतों की असमानता उत्पन्न होगी। उदाहरण के लिए बाजार आधारित कीमत निर्धारण के अस्तित्व में आने पर तटीय राज्यों में ईंधन की कीमतों में कमी आएगी, जबकि आतंरिक प्रदेशों में ईंधन की कीमतों में वृद्धि होगी।
- अब मुक्त बाजार में तेल कंपनियों की सफलता के लिए तीन महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार होंगे, ये हैं- रिटेल उपस्थिति, लॉजिस्टिक्स व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन। व्यापक स्तर पर रिटेल उपस्थिति कंपनियों के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक होगी।

VISION IAS

3.8. SATH कार्यक्रम

(SATH Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

NITI आयोग ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर SATH, "सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल" (मानव पूंजी में रूपान्तरण के लिए धारणीय कार्रवाई), नामक एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।

कार्यक्रम के बारे में

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरण की प्रक्रिया का शुभारंभ करना है।
- इस सन्दर्भ में राज्यों द्वारा बहुधा नीति आयोग से तकनीकी सहायता की मांग की जाती रही है। यह कार्यक्रम राज्यों की इसी आवश्यकता को संबोधित करता है ।
- SATH का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए भविष्य के **तीन 'रोल मॉडल' राज्यों** को चिन्हित करना और उनका विकास करना है।
- NITI आयोग कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस दिशा में -
  - राज्य द्वारा किये जाने वाले आवश्यक हस्तक्षेप का मजबूत रोडमैप तैयार करने
  - कार्यक्रम प्रशासन ढांचे का विकास करने
  - निगरानी और ट्रैकिंग में सक्षम तंत्र की स्थापना करने
  - निष्पादन चरण के माध्यम से राज्य संस्थाओं को सहारा देने और
  - विभिन्न प्रकार के संस्थागत उपायों पर समर्थन प्रदान करने के लिए- अपनी राज्य मशीनरी के साथ निकट सहयोग करते हुए काम करेगा।
- इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन NITI आयोग द्वारा मैकिंजे एंड कंपनी और IPE ग्लोबल कंसोर्टियम के साथ मिलकर किया जाएगा। इन सहयोगियों को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है।

3.9. एयर इंडिया की बिक्री का प्रस्ताव

(Proposal for Sale of Air India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल शीघ्र ही सार्वजनिक स्वामित्व वाले एयर इंडिया में विनिवेश प्रक्रिया पर निर्णय लेगा।

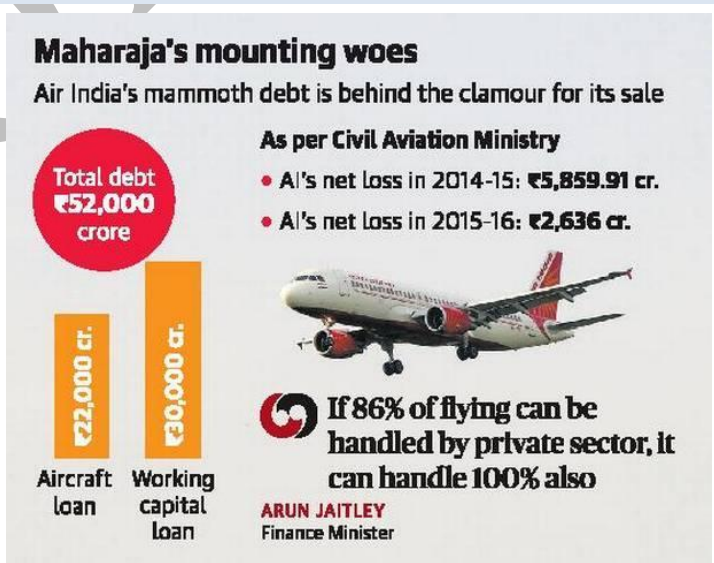

पृष्ठभूमि

- निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (Department for Investment and Public Asset Management: DIPAM) द्वारा विनिवेश के लिए सुझाये गए तीन विकल्प हैं - संपूर्ण 100% बिक्री, 74% हिस्सेदारी की बिक्री या एयरलाइन में 49% हिस्सेदारी बनाए रखना।
- ऋण के एक बड़े भाग से मुक्त होने के लिए एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPV) का निर्माण किया जा सकता है।

विनिवेश के संबंध में

- विनिवेश को किसी संगठन (या सरकार) द्वारा परिसंपत्ति या सहायक कंपनी की बिक्री या लिक्विडेशन (परिसमापन) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- इसे 'डाइवेस्टमेंट' या 'डाइवेस्टीच्योर' (divestment or divestiture) के रूप में भी जाना जाता है।
- अधिकतर मामलों में विनिवेश सामान्यत: सरकार द्वारा सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों की आंशिक या पूर्ण बिक्री को सदंर्भित करता है।

VISION IAS

भारत में विनिवेश

जुलाई 1991 में आरंभ की गई नई आर्थिक नीति में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की अत्यधिक नकारात्मक दर प्रदर्शित की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम लाभ के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारकों में से निम्नलिखित कारणों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया:

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्य नीति
- क्षमता का अल्पउपयोग
- परियोजनाओं के नियोजन और निर्माण से संबंधित समस्याएं
- श्रम, कर्मियों और प्रबंधन की समस्याएं
- स्वायत्तता का अभाव

इस दिशा में, सरकार ने **'विनिवेश नीति'** अपनाई। इस नीति को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तपोषण का बोझ कम करने का एक सक्रिय उपकरण माना गया। विनिवेश के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों को रेखांकित किया गया था:

- सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करना
- सार्वजनिक वित्त में सुधार लाना
- प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन प्रारंभ करना
- विकास का वित्तपोषण करना
- स्वामित्व की व्यापक हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करना
- अनावश्यक सेवाओं का अराजनीतिकरण करना

DIPAM ऐसी सभी नीतियों का ध्यान रखता है।

2017-18 के बजट में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश के माध्यम से 72,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।

3.10. GST सुविधा प्रोवाइडर्स

(GST Suvidha Providers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने GST सुविधा प्रदाता (GST suvidha providers: GSP) को उन करदाताओं और अन्य हितधारकों को नवाचारी और सुविधाजनक विधियां प्रदान करने के लिए अनुमति प्रदान की है जो इस नयी कर प्रणाली के साथ अंतर्क्रिया करने के इच्छुक हैं।

ये सुविधा प्रदाता कौन हैं?

- ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स हैं जिन्हें GST के अंतर्गत कर प्रशासन को प्रक्रिया सुचारू बनाने के लिए GSTN द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।
- GSTN ने रिटर्न दाखिल करने और GST से संबंधित अन्य अनुपालनों हेतु अतिरिक्त चैनल प्रदान करने के लिए 34 GSPs का चयन किया है।
- GSTN पोर्टल 100-200 चालानों की प्रविष्टि करने वाले छोटे करदाताओं का भार संभालने में सक्षम होगा, किन्तु वे करदाता जिनके चालान हजारों की संख्या में होते हैं, उनके लिए GSP अनुशंसित मार्ग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि GSTN पोर्टल सिर्फ 80 लाख करदाताओं की आवश्यकता पूरा कर सकता है।
- GSP से जटिल आंतरिक प्रक्रियाओं वाले बड़े व्यापारों को GST करव्यवस्था का अनुपालन करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
- GSTN ने GSP के लिए अनुपालनीय व्यापक दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं, किन्तु इसने कीमत निर्धारण का निर्णय बाजार पर ही छोड़ दिया है।

वस्तु और सेवा कर नेटवर्क

- GSTN एक जटिल किन्तु अनूठी IT पहल है।
- यह पहल अनूठी इसलिए है क्योंकि यह पहली बार करदाताओं के लिए एक समान इंटरफ़ेस तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच एक समान और साझी IT अवसंरचना स्थापित करना चाहती है।
- इस पोर्टल का लक्ष्य स्वयं को एक विश्वसनीय नेशनल इनफार्मेशन यूटिलिटी (NIU) के रूप में स्थापित करना है जो वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए विश्वसनीय, कुशल और मजबूत IT समर्थन उपलब्ध कराने में सक्षम हो।

VISION IAS

3.11. रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म

Reverse Charge Mechanism

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने GST के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत किया।

रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म क्या है?

- GST व्यवस्था में रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म के अंतर्गत एक प्रमुख प्रावधान यह है कि जब कोई अपंजीकृत व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करेगा, तो उस स्थिति में कर भुगतान का दायित्व आपूर्तिकर्ता की बजाय वस्तु और सेवाओं के प्राप्तकर्ता पर होगा।
- आम तौर पर आपूर्तिकर्ता पर ही कर का भुगतान करने का दायित्व होता है और वही इनपुट टैक्स क्रेडिट (यदि लागू हो तो) का लाभ भी ले सकता है। किन्तु रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यह स्थिति उलट जाती है।
- इसके साथ ही GST परिषद ने रिवर्स चार्ज के लिए सेवाओं की 12 श्रेणियां निर्दिष्ट की हैं जिसमें रेडियो टैक्सी, एकल अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की फर्म आदि द्वारा प्रदान की गई सेवाएं सम्मिलित हैं।
- यदि यही सेवाएं ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएं, तो वह कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। CBEC द्वारा वस्तुओं के रिवर्स चार्ज के लिए कोई अलग सूची नहीं जारी की गई है।
- यदि वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों GST के अंतर्गत करमुक्त है, तो रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म के अंतर्गत कर का भुगतान करने का दायित्व प्राप्तकर्ता पर नहीं होगा।
- हालांकि, CGST कानून उन लोगों के लिए पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है, जिनके लिए रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान अनिवार्य है, भले ही उनका कारोबार 20 लाख की सीमा से कम हो।

3.12. राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन

(National Biopharma Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में **इनोवेट इन इंडिया (i3)** नामक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसे राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के नाम से भी जाना जाता है।

मिशन की आवश्यकता

भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल उद्योग अभी भी विकसित देशों के अपने समकक्ष उद्योगों के मुकाबले 10-15 साल पीछे है। भारत को इस क्षेत्र में चीन, कोरिया तथा अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

यह कमी मुख्यतः इसलिए है क्योंकि:

- **उत्कृष्टता केंद्र असंबद्ध हैं।**
- **रूपान्तरण संबंधी अनुसंधान पर कम ध्यान दिया जा रहा है।**
- **वित्त पोषण सुचारू नहीं है।**

इस प्रकार समावेशी नवाचार सुनिश्चित करने के लिए देश में उत्पाद की खोज, रूपान्तरण संबंधी अनुसंधान और प्रारंभिक चरण वाले निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समेकित प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की तात्कालिक आवश्यकता का अनुभव किया गया है।

बायोफार्मास्यूटिकल, जिसे जैविक चिकित्सा उत्पाद के रूप में भी जाना जाता है, जैविक स्रोतों से निष्कर्षित या अर्धसंश्लेषित कोई भी औषधीय उत्पाद है।

मिशन के संबंध में

- इसके द्वारा भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन आने की सम्भावना है।
- यह मिशन इस क्षेत्रक में उद्यमशीलता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सक्षमकारी वातावरण के निर्माण हेतु कार्यरत है।
- इस मिशन का उद्देश्य भारत को बायोफार्मास्यूटिकल उत्पादों और समाधानों (सोलूशन्स) के डिजाइन और विकास का नवीन, किफायती तथा प्रभावी केंद्र बनाना है।
- वर्तमान में वैश्विक बायोफार्मास्यूटिकल बाजार में भारत की भागीदारी केवल 2.8% है। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप यह बढ़कर लगभग 5% हो जाएगी। इससे 16 बिलियन अमरीकी डालर का अतिरिक्त व्यापार अवसर उत्पन्न होगा।
- यह मिशन उत्पाद का विकास करने वाले अनुसंधानों की गति बढ़ाकर संपूर्ण उत्पाद विकास मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने और सहायता देने के लिए समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

- इस मिशन का कार्यान्वयन जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council: BIRAC) द्वारा किया जाएगा। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह मिशन उत्पाद विकास मूल्य श्रृंखला के माध्यम से संभावनाओं से भरे समाधानों पर आगे बढ़ने हेतु रणनीतिक मार्गदर्शन और दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञताएं एक साथ लाएगा।
- इस प्रकार यह कार्यक्रम अपने दृष्टिकोण में विशिष्ट है। यह वैज्ञानिक खोजों को नया रूप देने, सह-निर्माण करने और सह-सुविधा प्रदान करने हेतु महत्त्वपूर्ण सहायता देगा और युवा उद्यमियों को इस उद्योग से सर्वश्रेष्ठ तरीकों से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा।

3.13. DAY-NRLM का प्रभाव आकलन

(Impact Assessment of DAY-NRLM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में इंस्टिट्यूट ऑफ़ रूरल मैनेजमेंट आणंद (IRMA) द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का मूल्यांकन अध्ययन किया गया है।

आणंद (गुजरात) में स्थित इंस्टिट्यूट ऑफ़ रूरल मैनेजमेंट आणंद एक स्वायत्त संस्थान है। इसे **ग्रामीण संगठनों के व्यवसायिक प्रबंधन** में योगदान देने के लिए अधिदेशित किया गया है।

अध्ययन के निष्कर्ष

इस अध्ययन के अनुसार:

- NRLM के अंतर्गत कवर किये गए परिवारों के पास कवर न किये गए परिवारों की तुलना में अधिक संख्या में पशुधन संपत्ति है;
- NRLM के अंतर्गत कवर किये गए परिवार औपचारिक संस्थानों में बचत करने की उच्च तत्परता प्रदर्शित करते हैं;
- NRLM के अंतर्गत कवर किये गए परिवारों का ऋण आकार उच्च (कवर न किये गए क्षेत्रों में ऋण आकार की तुलना में लगभग 67% अधिक) है और इनके द्वारा औपचारिक वित्तीय स्रोतों से उधार लेने की अधिक संभावना होती है;
- NRLM के अंतर्गत कवर किये गए परिवार भोजन उपभोग पर कम लेकिन शिक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। हालांकि, कुल घरेलू उपभोग व्यय कवर किये गए और कवर न किये गए क्षेत्रों में एक जैसा है।
- NRLM के अंतर्गत कवर किये गए परिवारों की शुद्ध आय कवर न किये गए परिवारों की तुलना में 22% अधिक है। इसका मुख्य कारण उद्यमों से होने वाली आय है।

कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट बताती है कि यह मिशन ब्लॉक स्तर तक संवेदनशील समर्थन संरचना का निर्माण करने में काफी हद तक सफल रहा है।

DAY-NRLM के संबंध में

- इसका उद्देश्य देश में सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को संगठित करना और जब तक वे गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ जाते हैं, तबतक उनका लगातार देखभाल और सहायता करना है।
- इस हेतु प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को स्व-सहायता समूह (SHG) में संगठित किया जाता है। इसके लिए यूनिवर्सल सोशल मोबिलाइजेशन का सहारा लिया जा रहा है।
- भारत के सभी 29 राज्य और 5 केंद्रशासित प्रदेशों (नई दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के 556 जिलों के 3,814 ब्लॉकों में इस मिशन का कार्यान्वयन कर रहे हैं।
- 2024-25 तक सभी ग्रामीण गरीब परिवारों (लगभग 9 करोड़) को इस मिशन के अंतर्गत शामिल करने की आशा की गयी है।

3.14. अजी बांध का उद्घाटन

(Inauguration Of AJI Dam)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने SAUNI योजना के अंतर्गत राजकोट के निकट अजी बांध का उद्घाटन किया है।

SAUNI योजना के संबंध में

- SAUNI का पूरा नाम 'सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन' है।
- SAUNI योजना के अंतर्गत दक्षिणी गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध से अधिप्रवाहित (ओवरफ्लो) होने वाले बाढ़ के पानी का मार्ग परिवर्तित कर शुष्क सौराष्ट्र क्षेत्र के 115 बड़े बांधों को भरने की परिकल्पना की गई है।

- इस योजना के अंतर्गत इन बांधों तक नर्मदा का जल ले जाने के लिए 12,166 करोड़ रुपये की लागत से 1,125 किलोमीटर लम्बा पाइपलाइन नेटवर्क बनाना तथा 4.13 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना सम्मिलित है।
- सौराष्ट्र के कई हिस्से सूखा प्रवण हैं तथा इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा भी है।

3.15. स्टार्टअप इंडिया हब

(Startup India Hub)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया वर्चुअल हब का शुभारंभ किया है।

स्टार्टअप इंडिया हब क्या है?

- यह उद्यमिता तंत्र (entrepreneurial ecosystem) के सभी हितधारकों, जैसे- स्टार्टअप, निवेशक, सलाहकार(मेंटर्स), शिक्षाविद(एकेडेमिया), इनक्यूबेटर, एक्सीलरेटर, कॉर्पोरेट, सरकारी निकाय; के लिए एक कॉमन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। इसके जरिये ये सब एक दूसरे को खोज सकते हैं (डिस्कवर), आपस में जुड़ सकते हैं (कनेक्ट) तथा एक दूसरे के साथ कार्य कर सकते (एंगेज) हैं।

लाभ

- यह विशेषकर टियर II और टियर III शहरों में स्थापित नवीनतम एंट्रेप्रेंयोरल इकोसिस्टम्स में ज्ञान, उपकरण, विशेषज्ञों और वित्तपोषण तक पहुँच में कमी तथा सूचना विषमता (इनफार्मेशन एसिमेट्री) की समस्या का समाधान करने में सहायक होगा।
- यह यूज़र्स को इकोसिस्टम के हितधारकों से जुड़ने तथा फ्री लर्निंग रिसोर्सेज तक पहुँच की सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही इसके द्वारा वे विधिक (लीगल), मानव संसाधन (HR), लेखांकन (एकाउंटिंग) तथा विनियामकीय (रेगुलेटरी) मुद्दों से सम्बंधित उपकरण एवं टेम्पलेट्स प्राप्त कर सकेंगे। वे डिस्कशन फ़ोरम्स में आवश्यक मुद्दों पर चर्चा भी कर सकेंगे।

विशेषताएँ

- स्टार्टअप इंडिया हब वस्तुतः इन्वेस्ट इण्डिया के अंतर्गत आता है। इन्वेस्ट इण्डिया भारत में निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिदेशित भारत सरकार की आधिकारिक निवेश प्रोत्साहन और सुविधा प्रदाता एजेंसी है।
- इस हब ने लगभग 50 प्रासंगिक सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों को संयुक्त किया है। अपने अगले चरण में यह विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी गयी योजनाओं को संयुक्त करेगा।

3.16. वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017

(Financial Resolution And Deposit Insurance Bill 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- इस विधेयक का व्यापक उद्देश्य RBI, SEBI, IRDA या PFRDA द्वारा विनियमित किसी ऐसी वित्तीय फर्म की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना है जो संकटग्रस्त होने वाली है। इसके द्वारा ऐसी फर्म के संकटग्रस्त होने की स्थिति में अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

पृष्ठभूमि

- 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, सरकार के लिए बैंकरप्सी तथा इन्सोल्वेंसी (दिवालियापन और दिवालिया होने) के प्रकरणों से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना महत्वपूर्ण हो गया था। सरकार ने हाल ही में गैर-वित्तीय संस्थाओं के दिवालिया होने के प्रस्तावों के लिए इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 अधिनियमित किया है।
- प्रस्तावित विधेयक वित्तीय क्षेत्र के लिए रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क प्रदान कर इस सहिंता के लीए पूरक का काम करेगा। लागू होने पर, इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के साथ मिलकर यह विधेयक अर्थव्यवस्था के लिए एक कॉम्प्रेहेंसिव रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क प्रदान करेगा।
- हालाँकि ये दोनों ही कंपनियों के दिवालिया होने पर उत्पन्न परिस्थिति से सम्बंधित हैं तथापि प्रस्तावित विधेयक केवल बैंक और बीमा कंपनियों जैसी वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों से संबंध रखता है। वहीं इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अन्य सभी क्षेत्रों की कंपनियों से संबंध रखता है।

विशेषताएँ

- यह विधेयक बैंक, बीमा कंपनियों और वित्तीय कंपनियों जैसी विनिर्दिष्ट वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं को दिवालियापन की स्थिति से निपटने के लिए एक कॉम्प्रेहेंसिव रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
- अधिनियमित किए जाने पर, इसके द्वारा एक रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन (समाधान निगम) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।

- इसके परिणामस्वरुप 'डिपाजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन एक्ट, 1961' को निरस्त कर, इसके डिपाजिट इंश्योरेंस के अधिकारों एवं कर्तव्यों को रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन को स्थानांतरित कर दिया जायेगा।

रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन (समाधान निगम)

- यह कॉर्पोरेशन किसी फर्म का परिसमापन या विघटन करने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगा। एक बार यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने के उपरांत यह प्राप्तकर्ता (रिसीवर) की भांति कार्य करेगा अर्थात यह जमाकर्ताओं को एक निश्चित सीमा तक उनकी जमाओं पर उपलब्ध बीमा के आधार पर धन प्रदान करेगा तथा कर्जदारों एवं इक्विटी होल्डर्स (शेयरधारकों) के दावों को समायोजित करेगा।
- यह एक कोष धारण करेगा। इस कोष के दो महत्त्वपूर्ण घटक होंगे:- (1) सरकार द्वारा किया गया अंशदान (2) नवीन कानून के अंतर्गत शामिल की गयी फर्मों द्वारा बीमा प्रीमियम के रूप में किया गया भुगतान।
- यह कॉर्पोरेशन वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व और दृढ़ता का संरक्षण करेगा और एक तर्कसंगत सीमा तक बाध्यताओं के दायरे में उपभोक्ताओं का संरक्षण करेगा। यह एक संभव सीमा तक लोगों के धन का भी संरक्षण करेगा।
- यह उन सभी वित्तीय फर्मों को कवर करेगा जिनका विनियमन RBI, SEBI, IRDA या PFRDA द्वारा किया जाता है।

लाभ

- इसके द्वारा वित्तीय संकट में फंसे वित्तीय सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
- इसका उद्देश्य वित्तीय संकट की स्थिति में वित्तीय सेवा प्रदाताओं को अनुशासित करना है, क्योंकि इसके द्वारा संकटग्रस्त संस्थाओं को बेल आऊट करने के लिए किये जाने वाले सार्वजनिक धन के उपयोग को सीमित किया गया है।
- इस विधेयक का उद्देश्य बड़ी संख्या में खुदरा जमाकर्ताओं के लाभ के लिए जमा बीमा के वर्तमान ढांचे को मजबूत और सुगम बनाना है।
- इस विधेयक का उद्देश्य संकटग्रस्त वित्तीय संस्थाओं के विघटन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है।

3.17. BEPS रोकने हेतु भारत ने OECD के बहुपक्षीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया

(India Signs Oecd Multilateral Convention To Prevent Beps)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत ने हाल ही में बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) (आधार अपक्षरण एवं लाभ स्थानांतरण) को रोकने के लिए कर संधि से संबंधित उपाय लागू करने हेतु बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)

- यह उन कर नियोजन रणनीतियों को संदर्भित करता है जिनमें कर नियमों में अंतर का फायदा उठा कर बहुत कम या नगण्य आर्थिक गतिविधियों वाले स्थानों पर लाभ को कृत्रिम रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके चलते निगम कई बार बहुत कम कर भुगतान या समग्र रूप से शून्य निगम कर का भुगतान करते हैं।
- विकासशील देशों के लिए BEPS अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि वे बहुराष्ट्रीय निगमों से प्राप्त होने वाले निगम कर पर अत्यधिक निर्भर होते हैं।

BEPS रोकने के लिए कर संधि से संबंधित उपाय लागू करने हेतु बहुपक्षीय कन्वेंशन

- बहुपक्षीय कन्वेंशन का उद्देश्य BEPS उपायों से संबंधित संधियों का त्वरित और सुसंगत कार्यान्वयन करना है।
- यह कन्वेंशन वस्तुतः OECD/G20 BEPS प्रोजेक्ट का एक परिणाम है। इस कन्वेंशन की परिकल्पना एक ऐसे बहुपक्षीय साधन के रूप में की गई थी जो सभी द्विपक्षीय कर संधियों में BEPS उपाय लागू करने हेतु तेजी से संशोधन करेगा।

कन्वेंशन का महत्व

- इस कन्वेंशन का प्रभाव हस्ताक्षरकर्ता के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अधिकांश द्विपक्षीय कर संधियों पर पड़ेगा। यह BEPS पैकेज के अंतर्गत संधि से सम्बंधित मानकों के आधार पर उनमें संशोधन कर सकता है। इस संशोधन के आधार होंगे: कृत्रिम कर वंचन को रोकना, संधि के दुरुपयोग की रोकथाम और विवाद समाधान में सुधार लाना।
- कन्वेंशन यह सुनिश्चित करेगा कि संधि के दुरुपयोग की रोकथाम और अंतरराष्ट्रीय कर विवाद समाधान प्रक्रिया में सुधार के संबंध में न्यूनतम मानक सभी कर समझौतों में शीघ्र लागू किए जाएं।

3.18. DoNER ने पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरंभ किया

(DoNER Launches Hill Area Development Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (Ministry for Development of North Eastern Region: DoNER) ने पूर्वोत्तर के लिए 'पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम' (Hill Area Development Programme: HADP) का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य कम विकसित पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है।
- इसे मणिपुर के पहाड़ी जिलों में प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया जाएगा। पूर्वोत्तर के 80 जिलों में से मणिपुर के 3 पहाड़ी जिले 'कंपोजिट डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स' में सबसे निचले स्थान पर हैं।

कार्यक्रम आरंभ करने का कारण

- मणिपुर, त्रिपुरा और असम के पहाड़ी जिलों तथा घाटी के जिलों के मध्य अवसंरचना, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि की गुणवत्ता में व्यापक अंतर है। इसका कारण वहाँ की विशिष्ट स्थलाकृति है।
- अतः इस सम्बन्ध में सरकार ने दोहरा दृष्टिकोण अपनाया है। पहला है: प्रत्येक क्षेत्र, समाज के प्रत्येक वर्ग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहने वाली प्रत्येक जनजाति का समतापूर्ण विकास सुनिश्चित करना तथा दूसरा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों को शेष भारत के अधिक विकसित राज्यों के समतुल्य स्तर पर लाना है।

कंपोजिट डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स

- इसका निर्माण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व में अन्तःक्षेत्रीय विषमता को कम करने के लिए योजनाओं तथा परियोजनाओं का बेहतर लक्ष्यीकरण करना है।
- यह 7 मुख्य संकेतकों पर आधारित है:
  - परिवहन सुविधाएं
  - ऊर्जा
  - जलापूर्ति
  - शिक्षा
  - स्वास्थ्य सुविधा
  - संचार अवसंरचना
  - बैंकिंग सुविधाएं
- यह इंडेक्स भारत सरकार द्वारा विभिन्न विकास नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में एक उपयोगी मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।

4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1. भारत में हवाला लेन-देन और आंतकवाद

(Hawala Transactions and Militancy in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंसर्जेंसी सेल ने जानकारी दी है कि कश्मीर में आतंकवाद एवं अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए हवाला के माध्यम से धन का लेनदेन किया जा रहा है। सेल के अनुसार 1990 के दशक से विद्रोही समूहों को हवाला के माध्यम से धन प्राप्त हो रहा है।

पृष्ठभूमि:

आतंकवादी गतिविधियों के लिए **वित्तपोषण के स्रोत** इस प्रकार हैं:

- छोटे और बड़े व्यवसायियों के द्वारा छोटे **हवाला लेनदेन।**
- सूत्रों के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकवादी संगठनो को 35% हवाला राशि प्रत्यक्ष रूप से तथा 40% हवाला राशि विदेशी धार्मिक और धर्मार्थ संगठनों के माध्यम से पहुंचती है।
- ऐसा माना जाता है कि 2008 से **नियन्त्रण रेखा (LoC) के पार** जो व्यापार प्रारम्भ हुआ है, वह अब मनी लांडरिंग करने वालों के हाथों में आ चुका है।
- **जाली करेंसी का प्रसार**

हवाला व्यवस्था क्या है?

- "हवाला" शब्द का अर्थ "विश्वास" होता है।
- यह एक **वैकल्पिक या समानांतर प्रेषण व्यवस्था** है जो बैंकों के चक्र और औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से बाहर रह कर कार्य करती है। इसे **"भूमिगत बैंकिंग"**के नाम से भी जाना जाता है।
- हवाला,भारत की एक प्राचीन धन हस्तांतरण व्यवस्था है। वर्तमान में हवाला व्यवस्था का सम्पूर्ण विश्व में उपयोग किया जा रहा है।
- हवाला लेनदेन में किसी भी प्रकार की नकदी का आदान-प्रदान नहीं होता है। हवाला व्यवस्था हवालादार या हवाला संचालकों के तन्त्र के माध्यम से संचालित होती है।
- धन हस्तांतरण का इच्छुक व्यक्ति हवाला संचालक के स्रोत स्थान पर उससे सम्पर्क करता है। हवाला संचालक स्रोत स्थान पर धन हस्तांतरण के इच्छुक व्यक्ति से धन प्राप्त कर लेता है। उसके पश्चात वह धन स्थानान्तरण करने वाले गन्तव्य स्थान या देश में अपने समकक्ष अथवा अन्य हवाला संचालक से बात करता है।
- **काला धन प्रेषण, आतंकवाद, मादक दवाओं की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु धन जुटाने के लिए हवाला व्यवस्था का विश्व भर में व्यापक उपयोग किया जा रहा है।**

भारत में हवाला की स्थिति:

- हवाला को **भारत में अवैध** घोषित किया गया है, क्योंकि यह मनी लांडरिंग का एक रूप है, तथा इसका उपयोग अज्ञात रूप से संपदा हस्तान्तरण के लिए किया जा सकता है।
- हवाला लेनदेन बैंको एवं सरकारी संस्थाओं के माध्यम से नहीं होता है अतः RBI द्वारा इसे विनियमित नहीं किया जा सकता है।
- **भारत में FEMA (*फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट*) 2000 और PMLA (*प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लांडरिंग एक्ट*) 2002 दो प्रमुख कानून हैं, जो इस प्रकार के किसी भी लेनदेन को अवैध घोषित करते हैं।**

4.2. महिलाओं को सेना में मिलेगी युद्धक भूमिका

(Women to get Combat Role in Army)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में भारतीय थलसेना ने घोषणा की है कि सेना के सभी भागों में महिलाओं को युद्धक भूमिकाओं में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी।

इस प्रस्ताव का महत्त्व:

- विश्व के सर्वाधिक पुरुष वर्चस्व वाले पेशे में **लैंगिक समानता** लाने हेतु यह एक क्रांतिकारी कदम होगा।

- ध्यातव्य है कि अमेरिका, इजरायल सहित विश्व के सभी देशों में जहां भी महिलाओं को सशस्त्र बलों में युद्धक भूमिका प्रदान की गयी है,उन देशों में यह कार्य क्रमिक रूप से ही संपन्न हुआ है। अतः महिलाओं को सशस्त्र बलों में युद्धक भूमिका प्रदान करने की भारतीय प्रक्रिया भी इन्हीं वैश्विक परम्पराओं के अनुरूप है।

चिंताएं:

- सैन्यबलों में महिलाओं की **सुरक्षा** और गरिमा को सुनिश्चित करने से सम्बन्धित चिंताएं।
- दृष्टव्य है कि सैन्यबलों से संबंधित न्यायाधिकरण की संरचना में भी **पुरुषों का वर्चस्व** रहा है, इन परिस्थितियों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों में समुचित कार्यवाही को लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं।
- शत्रु द्वारा पकड़े जाने की स्थिति में तथा अंग्रिम पंक्ति पर तैनाती से उत्पन्न दबावों का सामना करने में महिलाओं की शारीरिक और मानसिक क्षमता संबंधी चिंता।

इस निर्णय का औचित्य:

- सेना की सरंचना नीति 'देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने' के एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित होनी चाहिए। लिंग की परवाह किये बिना उन्हें सर्वश्रेष्ठ और सबसे योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए रिसोर्स पूल को आधी जनसंख्या तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।
- महिलाओं को सम्मलित न किये जाने के पीछे मुख्य तर्क है-इसमें प्रयुक्त होने वाली क्रूर हिंसा। द्रष्टव्य है कि **आधुनिक युद्ध परिदृश्य में** परिष्कृत शस्त्रों के प्रयोग तथा गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करने के साथ ही साइबर वर्ल्ड में युद्ध लड़े जाते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की हिंसा या शक्ति प्रयोग की आवश्यकता अब नहीं रह गयी है।
- तकनीकी विकास क्रम में सिमुलेशन जैसी तकनीकों के आ जाने के कारण महिलाओं को युद्धकला के किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौती का सामना करने के लिए मोड्यूलर ट्रेनिंग प्रदान की जा सकती है।
- अंततः देश को अपनी सेवाएं समर्पित करने के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए उसकी लैंगिक पहचान बाधक नहीं होनी चाहिए। जो महिलाएं इन चुनौतियों से अवगत हैं और फिर भी इन सेवाओं में सम्मलित होने के लिए तैयार हैं उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए।

आगे की राह

- देश की सुरक्षा से जुडी सभी चिन्ताओं पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए।
- इसलिए, सेवाओं में महिलाओं को सम्मलित करने की सम्पूर्ण अवधारणा पर एक समग्र और वस्तुपरक ढंग से विचार किया जाना आवश्यक न कि केवल लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष्य से।
- पुरुष और महिला सैनिकों, दोनों के निरंतर और आवधिक प्रदर्शन परीक्षण (पीरियाडिक परफॉरमेंस ऑडिट) के आधार पर ही महिलाओं का क्रमिक रूप से सेना में समेकन होना चाहिए।

4.3. म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन के संबंध में अध्ययन के लिए पैनल

(Panel to Study Free Movement Along Myanmar Border)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने म्यांमार सीमा पर मुक्त गतिविधियों के दुरूपयोग को रोकने के उपायों की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया है।

पृष्ठभूमि:

- भारत-म्यांमार सीमा पर एक अनूठी व्यवस्था है जिसे **फ्री मूवमेंट रेजीम (FMR)** कहा जाता है।
- FMR व्यवस्था के अंतर्गत सीमा के निकट रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के पार 16 किमी आने जाने की अनुमति प्राप्त है।
- जहाँ इस व्यवस्था ने जनजातियों को अपने पुराने सम्बन्धों को बनाये रखने में सहायता की है, वहीं यह सुरक्षा सम्बन्धी चिंता का कारण भी बन गया है।
- विद्रोही लम्बे समय से FMR का लाभ उठाते आ रहे हैं। शस्त्रों का प्रशिक्षण प्राप्त करने, सुरक्षित आश्रयस्थली स्थापित करने के लिए वे म्यांमार जाते हैं और विध्वंसात्मक आक्रमण करने के लिए भारत में पुन: प्रवेश करते हैं।
- वर्षों से यह **सीमा हथियारों और उच्च स्तर की हेरोइन की तस्करी** का प्रमुख मार्ग बन गयी है।
- एफेड्रिन और स्यूडो -एफेड्रीन जैसे मादक पदार्थों के साथ ही पूर्वोत्तर भारत से महिलाओं और बच्चो की तस्करी इस सीमा के माध्यम से बढ़ती जा रही है। इन्हें इस मार्ग से म्यांमार तथा दक्षिणपूर्व एशिया के अन्य भागो में ले जाया जाता है।

भारत-म्यांमार सीमा:

- भारत और म्यांमार के बीच 1643 किमी लम्बी बाड़हीन सीमा है।

- अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम चार राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं।
- यद्यपि 1967 की सीमा संधि के पश्चात दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को औपचारिक रूप से सीमांकित किया जा चुका किन्तु **इसे अभी तक धरातल पर निश्चित नहीं किया गया है।**
- यह सीमा ऐसे क्षेत्र से गुजरती है **जो उग्रवाद के विविध रूपों से ग्रसित है।**
- नीति निर्माताओं ने भारत - म्यांमार सीमा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। इसलिए इस सीमा से संबंधित मुद्दों का प्रबन्धन अत्यधिक खराब है।
- सामान्य व्यापार के लिए नामित दो बिन्दुओं मोरेह और जोखावातर पर **आधारभूत सुविधाएँ** अपर्याप्त हैं।
- भूमि सीमा शुल्क स्टेशन पर स्क्रीनिंग और डिटेक्शन मशीनों, संचार उपकरणों, बैंकिंग सुविधाओं, गोदामों, पार्किंग और संगरोधन सुविधाओं (क्वारंटीन फैसिलिटीज़) का अभाव है।

अनुशंसाएं:

- सर्वप्रथम सरकार को सीमा की सुरक्षा का कार्य एकल कमान्ड के अंतर्गत रखना चाहिए। इसे या तो पूर्णतः असम राईफल्स को प्रदान कर देना चाहिए अथवा सीमा सुरक्षा बल (BSF) जैसे अन्य सुरक्षा बल को इसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी बनाना चाहिए।
- सरकार को FMR के संशोधन के कार्य को प्रारम्भ करना चाहिए और उस दूरी को कम करना चाहिए जहा तक अप्रतिबंधित आवागमन की अनुमति दी गयी है।
- अन्य मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ **समेकित जाँच चौकियों का निर्माण** कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए।
- अंत में भारत को म्यांमार के साथ सार्थक रूप से शेष सभी मुद्दों पर वार्ता करनी चाहिए और पारस्परिक सीमा के बेहतर प्रबन्धन के लिए सहयोग की मांग करनी चाहिए।

4.4. पृथ्वी–2 मिसाइल

(Prithvi-2 Missile)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी II बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण भारतीय थल सेना के यूजर ट्रायल के रूप में चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से किया गया।

मिसाइल के सम्बन्ध में:

- पृथ्वी-II मिसाइल 500 किग्रा से लेकर 1000 किग्रा तक भार वाले वारहेड को अपने साथ ले जाने में सक्षम है।
- इसे तरल प्रणोदन पर आधारित दोहरे इंजिनों द्वारा थ्रस्ट प्रदान किया जाता है।
- परिशुद्धता के साथ अपने लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए प्रक्षेप को गति देने हेतु यह एडवांस इनर्शिअल गाइडेंस सिस्टम तथा मैन्युवरिंग ट्रेजेक्ट्री का उपयोग करती है।
- एकल चरण तरल इंधन वाली पृथ्वी-II मिसाइल, एकीकृत मिसाइल कार्यक्रम के अंतर्गत DRDO द्वारा विकसित की जाने वाला पहली मिसाइल है।
- यह एक परमाणु मिसाइल है।

एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम:

- एकीकृत निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम (IGMDP) को 1983 में **त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी और अग्नि-I** (मध्यम दूरी वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल) जैसी पांच मिसाइले विकसित करने के लिए प्रारम्भ किया गया था।
- 1990 में दशक में इस कार्यक्रम में लम्बी दूरी की **अग्नि** मिसाइल, **सागरिका** (बैलेस्टिक मिसाइल) **सूर्या** (अग्नि बैलेस्टिक मिसाइल का मध्यम दूरी का संस्करण) और **धनुष** (पृथ्वी का नौसेना संस्करण) जैसी मिसाइलों के विकास को भी शामिल कर लिया गया।

4.5. म्यांमार और NSCN-K का युद्ध विराम समझौता

(MYANMAR NSCN-K Ceasefire Pact)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में गृह सचिव ने वक्तव्य दिया कि भारत, म्यांमार को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-खाप्लांग **(NSCN-K)** के साथ युद्ध विराम समझौता रद्द करने के लिए कह सकता है।

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालैंड-खाप्लांग (NSCN-K)

- यह उत्तर-पूर्व क्षेत्र का प्रतिबंधित विद्रोही संगठन है।

- इसका उद्देश्य भारतीय संप्रभुता से मुक्ति एवं नागालैंड गणराज्य (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड) की स्थापना करने के लिए सशस्त्र संघर्ष करना है।
- तत्कालीन NNC (नागा नेशनल काउंसिल) द्वारा भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित **1975 के शिलांग समझौते** का विरोध किया गया।
- 1988 में यह दो गुटों अर्थात् SS खाप्लांग के नेतृत्व में NSCN (K) एवं इसाक और मुइवा के नेतृत्व में NSCN (IM) में विभाजित हो गया।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य नागा बहुल क्षेत्रों को शामिल करने वाले **ग्रेटर नागालैंड** की स्थापना करना है।
- यह नागालैंड के पूर्वी भागों, पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के पूर्वी भागों में सक्रिय है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- म्यांमार विभिन्न विद्रोही गुटों के लिए एक सुरक्षित स्थल है।
- भारत सरकार विद्रोही गतिविधियों का दमन करने के लिए कूटनीतिक मंच का उपयोग करेगी।
- NSCN - K का म्यांमार के साथ युद्ध विराम समझौता है इसलिए इस संगठन को इस क्षेत्र में भू- आधारित विद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा देने का अवसर प्राप्त हुआ है।
- विद्रोही समूहों ने हथियारों की तस्करी और अन्य भारत विरोधी गतिविधियों के लिए सीमा के दोनों ओर एक नेटवर्क स्थापित किया है।

नागा आंदोलन

- यह आंदोलन नागा क्लब द्वारा 1918 में आरम्भ किया गया था।
- 1973 में नागा लोगों द्वारा सोलह सूत्री समझौते एवं नागालैंड के निर्माण को स्वीकार नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन क्षेत्रों में नागा लोग बसे हुए थे, उन्हें नए राज्य में शामिल नहीं किया गया था।
- यह आन्दोलन एक पृथक जातीय पहचान पर जोर देता रहा है एवं ग्रेटर नागालिम (असम, अरुणाचल एवं मणिपुर में ऐसे क्षेत्रों का एकीकरण जहाँ नागा लोग बसे हुए हैं) के रूप में स्वतंत्र होम लैंड की मांग कर रहा है।

2005 का नागा शांति समझौता

- नागालिम-इसाक-मुइवा की नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल [NSCN(IM)] एवं भारत सरकार के बीच 3 अगस्त, 2015 को एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- NSCN(IM) के नेतृत्व ने पूर्ण संप्रभुता के अपने लक्ष्य में संशोधन करने की बात को स्वीकार किया है।
- स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना के माध्यम से नगालैंड के बाहर स्थित जिन क्षेत्रों में नागा बसे हुए हैं, उन क्षेत्रों को अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए फ्रेमवर्क।
- नॉन-टेरीटोरिअल फ्रेमवर्क अपनाए जाने की संभावना नागालैंड के बाहर स्थित उन क्षेत्रों की संस्कृति, इतिहास और स्वायत्तता की सुरक्षा करेगी जहाँ नागा बसे हुए हैं।

आगे की राह

- नॉन-टेरीटोरिअल रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर की आशंकाएं दूर करेगा।
- यह एग्रीमेंट इन राज्यों को, नागा-निवास क्षेत्रों में उनके विकास हेतु आवश्यक विशेषाधिकारों को नयी नॉन-टेरीटोरिअल बॉडी को हस्तांतरित करने में समर्थ बनाएगा।
- नागा शांति समझौते का मणिपुर पर विशेष प्रभाव पड़ेगा । यह बात उल्लेखनीय है कि सरकार ने इसके महत्व को समझा तथा इस सन्दर्भ में आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों पर भी विचार किया।

4.6. पेट्या रैंसमवेयर साइबर हमला

(PETYA Ransomware Cyber Attack)

CERT-In या ICERT (भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम)

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत।
- साइबर घटनाओं पर सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार
- साइबर सुरक्षा की घटनाओं का पूर्वानुमान और चेतावनी
- साइबर सुरक्षा की घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय

VISION IAS

- साइबर इन्सिडेन्स रिस्पांस एक्टिविटीज़ का समन्वय।
- इनफार्मेशन सिक्युरिटी प्रैक्टिसेज़, रोकथाम, अनुक्रिया एवं साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग के संबंध में दिशा निर्देश, परामर्श, श्वेत पत्र इत्यादि जारी करना।

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने हाल ही में विश्व भर में कंप्यूटर सिस्टम को प्रभावित करने वाले रैंसमवेयर हमलों में नवीनतम **पेट्या (Petya) या पेट्ररेप (Petrwrap)** के विषय में एक एड्वाईजरी जारी की है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- एजेंसी ने उपयोगकर्ताओं एवं संगठनों से विंडोस सिस्टम हेतु माइक्रोसॉफ्ट सुरक्षा बुलेटिन MS17-010 के अनुसार पैच प्रयोग करने के लिए कहा है।
- वर्म जैसी क्षमताओं से युक्त पेट्या रैंसमवेयर तेज़ी से फैल रहा है।
- इसकी प्रसार क्रियाविधियाँ वान्नाक्राई (WannaCry) हमलों जैसे-इटर्नल ब्लू (EternalBlue) सेक्सेक (Psexec), विंडोस मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के समान है।

नोट: अधिक जानकारी के लिए 16-31 मई करेंट अफेयर के सुरक्षा खण्ड का अध्यन करें।

4.7.आधार और राष्ट्रीय सुरक्षा

(Aadhaar and National Security)

आधार और राष्ट्रीय सुरक्षा के मध्य सकारात्मक संबंध

- **राष्ट्रीय सुरक्षा के आलोक में आधार की शुरुआत :** राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने वाली कारगिल समीक्षा समिति ने संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को "बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान" कार्ड जारी करने की अनुशंसा की थी। आगे चलकर इसका विस्तार सभी नागरिकों तक करने का निर्णय लिया गया।
- **आसान निगरानी -** आतंकवाद, तस्करी आदि जैसी गतिविधियों हेतु अवैध लेन-देन करने के लिए बॉयोमीट्रिक्स या अन्य आंकड़ों का दुरूपयोग करने वाले व्यक्ति का अब पता लगाना अधिक आसान होगा।
- **संसाधनों का दोहराव समाप्त-** आधार कार्ड के माध्यम से संसाधनों का दोहराव समाप्त होगा, जिससे सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।
- **मजबूत सामाजिक सुरक्षा -** यह कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मजबूत, कुशल और द्रुत प्रणाली है। यह सामाजिक सुरक्षा के दायरे में अधिक लोगों को लाने में सक्षम है।

हालांकि, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि संपूर्ण आबादी का डाटाबेस बनाने से राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिम में वृद्धि न हो। इस प्रकार, सरकार को इससे उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित सम्भावित समस्याओं का अंत करने का प्रयास करना चाहिए :

- **बड़े पैमाने पर निगरानी का डर -** आधार कार्ड से बड़े पैमाने पर निगरानी का भय बना रहता है। हालांकि लक्षित निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, किन्तु बड़े पैमाने पर निगरानी से इसे हानि होती है। इसका एक खतरा यह भी है कि कोई भी किसी व्यक्ति की सहमति लिए बिना उस व्यक्ति की तथा उसकी पहचान की अवैध निगरानी भी कर सकता है।
- **साइबर सुरक्षा की समस्या -** साइबर हमलों या पहचान तथा डेटा चोरी आदि खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है जैसे फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी बैंक खाते द्वारा की गयी साइबर डकैती या लगभग 150 देशों को प्रभावित करने वाला वानाक्राई रैंसमवेयर आदि साइबर सुरक्षा के लिए चुनौती हैं।
- **वित्तीय सुरक्षा में समस्याएं -** वर्तमान में चूँकि बैंक खाता, पैन कार्ड आदि को आधार से जोड़ा जा रहा है अतः संभव है UID डेटाबेस के अतिक्रमण से व्यक्तियों और कंपनियों की संवेदनशील वित्तीय जानकारी भी सामने आये जैसे *एक्सिस बैंक, ईमुद्रा* आदि के द्वारा भुगतान लेनदेन करने के लिए आधार बायोमैट्रिक्स के गैर कानूनी भंडारण का प्रकरण आदि।
- **आंतरिक मिलीभगत -** एक खोजी वेबसाइट ने छोटी-मोटी रिश्वत के लिए पहचान या पते के प्रमाण के बिना आधार कार्ड बनाए जाने की सूचना दी है। इससे अवैध प्रवासियों के लिए भी आधार प्राप्त करना संभव हो जाता है जिससे इसका उद्देश्य विफल हो सकता है।
- **भौतिक आधार कार्ड में सुरक्षा विशेषताएं -** आधार कार्ड पर कोई भी होलोग्राम या डिजिटल हस्ताक्षर नहीं होता है बल्कि सिर्फ एक QR कोड होता है, जो टेक्स्ट का चित्रात्मक निरूपण मात्र है। अतः अपने भौतिक रूप के समान ही इसकी रंगीन फोटोप्रति मूलप्रति जितनी अच्छी प्रतीत हो सकती है।

- **राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा -** "राष्ट्रीय सुरक्षा" को परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि आधार कानून की धारा **32** में दी गई व्यापक 'राष्ट्रीय सुरक्षा' धारा का दुरुपयोग न हो।

सरकार ने भी आधार प्रणाली में विभिन्न सुरक्षा उपाय किए हैं, जैसे :

- किसी भी लेन-देन के दौरान आधार प्रणाली को लेनदेन कर्ता, व्यक्ति या कंपनी के उद्देश्य पता नहीं चलता है।
- प्रत्येक डेटा पैकेट को एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहित किया जाता है जो पारगमन के दौरान गैर-परिवर्तनीय होता है, इस प्रकार यह किसी भी अन्य प्रणाली /व्यक्ति के लिए पूरी तरह से अगम्य है।
- एन्क्रिप्शन किसी भी डिजिटल युक्ति में चिप के स्तर पर होता है, जिससे किसी के लिए इसमें सेंध लगाना असंभव हो जाता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा से भिन्न किसी भी अन्य कारण से सूचना का प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में किसी सूचना का प्रकटीकरण करने से पहले संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी लिखित रूप में कारण अभिलेखित करेगा। इसके निरीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है।
- पोर्टल पर **UID** डेटा प्रकाशित करने के लिए तीन वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है।

अनुशंसाएँ

- **ठोस गोपनीयता कानून-** इससे प्रणाली में नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बड़े पैमाने पर उनकी कोई निगरानी नहीं की जायेगी। साथ ही डेटा हैंडल करने वाली कंपनी पर उत्तदायित्व आरोपित करने के लिए **IT** कानूनों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।
- **स्मार्ट कार्ड के लिए बॉयोमीट्रिक** - इससे केंद्रीकृत बायोमेट्रिक डाटाबेस की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। फलस्वरूप विदेशियों या अपराधियों द्वारा दूर से ही लोगों की पहचान किये जाने और उस पहचान का दुरुपयोग किये जाने का जोखिम कम हो जाएगा।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना (**Critical Infrastructure**) की परिभाषा में आधार डाटाबेस को सम्मिलित किया जाए-** यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य है कि शांतिकाल या सशस्त्र संघर्ष के दौरान **CI** पर हमला नहीं किया जाता है।
- **ऐप-सुरक्षा-** सभी आधार आधारित एप्लीकेशनों का सुरक्षा परीक्षण किया जाना चाहिए जैसे **BHIM ऐप** आदि।
- **मोबाइल-लैपटॉप सुरक्षा-** मोबाइल और लैपटॉप के लिए उपकरण के स्तर पर ही एन्क्रिप्शन को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधार से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी या लेनदेन को हैकिंग के माध्यम से लक्षित न किया जा सके।
- **आपात स्थिति के लिए प्रतिक्रिया दल-** आधार कार्ड पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की निगरानी करने के लिए आपात स्थिति प्रतिक्रिया दल बनाया जाना चाहिए।

VISION IAS

5. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

5.1. UN ओशन कांफ्रेंस

(UN Ocean Conference)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में न्यूयॉर्क में प्रथम *यूनाइटेड नेशन्स ओशन कांफ्रेंस* का आयोजन किया गया।

- भारत की तट-रेखा की लम्बाई 7,500 किलोमीटर से अधिक है। भारत में समुद्री मत्स्य उद्योग की अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता 4.412 मिलियन मीट्रिक टन है। इस सम्पदा का अनुमानित मौद्रिक मूल्य लगभग 65,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है।
- भारत में लगभग 4 मिलियन लोग आजीविका के लिए मत्स्यन पर निर्भर हैं।
- वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 6.3% (नदी और समुद्री) है। यह क्षेत्रक GDP में 1.1% और कृषि GDP में 5.15% का योगदान करता है।

आवश्यकता

- महासागरीय संसाधनों के सम्बन्ध में दशकों से अवहनीय दोहन प्रारूप, क्षमता से अधिक उपयोग, प्रशासनिक हस्तक्षेप की अक्षमता, जलवायु परिवर्तन तथा समुद्र के तापमान में वृद्धि इत्यादि समस्याओं के परिणामस्वरूप समुद्र तथा इसके संसाधन एसिडीफिकेशन, कोरल ब्लीचिंग तथा निरंतर बदलते वाइल्डलाइफ पैटर्न जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
- महासागरों का ताप प्रतिरूप जलवायु और मौसम प्रणाली के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव गतिविधियों के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन के लगभग आधे भाग को अब तक महासागरों ने ही अवशोषित किया है।
- SDG 14 के अंतर्गत समुद्री व तटीय पारिस्थितिक तंत्रों के प्रबंधन और संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- अतः *अंडरवाटर रिसोर्सेज* के संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

ग्लोबल ओशन कमीशन

यह 2013 में प्रारंभ की गयी एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। यह जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ ही महासागरों के क्षरण की समस्या से निपटने हेतु आवश्यक कार्यवाही को प्रोत्साहित करता है। यह स्वस्थ और उत्पादक महासागर के निर्माण में सहयोग भी प्रदान करता है। इसका ध्यान मुख्यतः हाई सीज (High Seas) पर केन्द्रित होता है। हाई सीज महासागरों के वे विशाल भाग हैं जो किसी भी राष्ट्र के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में नहीं आते।

कांफ्रेंस के निष्कर्ष

- कांफ्रेंस में एक **14-सूत्री 'कॉल फॉर एक्शन'** के मसौदे को स्वीकार किया गया। इसमें भाग लेने वाले राष्ट्र-प्रमुखों ने महासागरों के संरक्षण और संधारणीय उपयोग के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- सागरों और महासागरों में प्लास्टिक प्रदूषण से लेकर महासागरों के एसिडीफिकेशन व अवैध मत्स्यन सहित विभिन्न विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार-विमर्श किया गया। ये विषय गरीबी उन्मूलन, भुखमरी मिटाने, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने, जल और सैनिटेशन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों से भी संबंधित हैं।

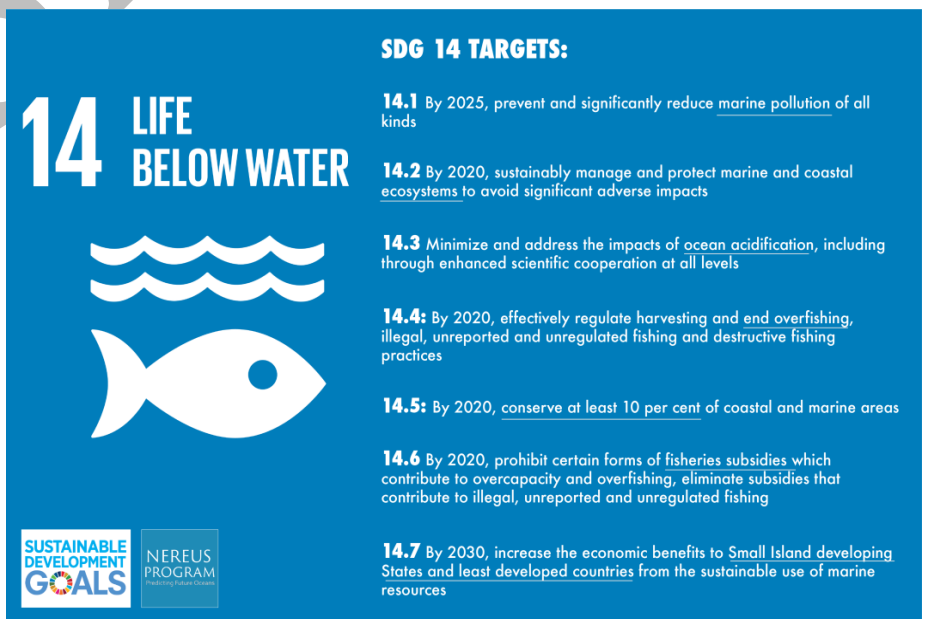

VISION IAS

- *इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन (ISWA)* ने भी कांफ्रेंस के दौरान समुद्री कचरे के निपटारे के लिए एक *टास्क फ़ोर्स* के गठन की घोषणा की।

अनुशंसाएँ

- *ग्लोबल ओशन कमीशन* द्वारा महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र को सुधारने के लिए की गयी कुछ प्रमुख अनुशंसाएँ निम्न हैं:
  - उन सब्सिडी को समाप्त करना जिनसे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुँच रही है।
  - अवैध, अविनियमित तथा असूचित मत्स्यन को रोकना।
  - बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक और दायित्व तय करना।

आगे की राह

- उन क्षेत्रों में जहाँ सरकारें धारणीय मत्स्य संसाधन और स्वस्थ महासागर उपलब्ध कराने में असमर्थ रहीं हैं, वहाँ मौजूदा विनियमों, नीतियों एवं उनके क्रियान्वयन में व्याप्त कमियों को दूर किए जाने की आवश्यकता है।
- ग्लोबल ओशन कमीशन द्वारा महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र को सुधारने हेतु की गयी अनुसंशाओं पर विचार करना।
- इसके साथ ही जुलाई 2017 में द यूनाइटेड नेशन्स हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक बैठक प्रस्तावित है। इसमें SDG 14 के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी और ओशन कांफ्रेंस के निष्कर्षों का मूल्यांकन किया जाएगा।

5.2. NCR पक्षियों के लिए डेथ ट्रैप बनता जा रहा है: रिपोर्ट

(NCR Becoming A Death Trap For Birds: Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में *एमिटी यूनिवर्सिटी* ने दक्षिणी हरियाणा की अरावली श्रेणी में प्रवासी और स्थानिक पक्षियों की घटती आबादी पर एक रिपोर्ट जारी की है।
- रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में पक्षियों का *सर्वाइवल रेट* 5% है। यह अनुमान लगाया गया है कि इस क्षेत्र के 70% से अधिक पक्षी समाप्त हो चुके हैं।

पक्षियों के संरक्षण हेतु पहल

- ***वर्ल्ड स्पैरो डे*** **(20 मार्च)**
  - संरक्षण हेतु जागरूकता का सृजन करना।
- ***भारतीय वन्यजीव अधिनियम (इंडियन वाइल्डलाइफ एक्ट)*** **1972**
  - मोर, *ग्रेट इंडियन बस्टर्ड*, गौरैया इत्यादि पक्षियों के शिकार के विरुद्ध वैधानिक संरक्षण उपलब्ध कराना।
- **मोबाइल टावर्स से रेडिएशन के सम्बन्ध में पर्यावरण मंत्रालय के निर्देश।**
  - नए टावर **प्रवासी पक्षियों** के मार्ग में अवरोध न उत्पन्न करें।
  - वन्य-क्षेत्रों और प्राणी-उद्यानों के आसपास टावर लगाने से पहले वन विभाग से विचार-विमर्श करना अनिवार्य है।
- **बॉन कन्वेंशन**
  - अंतर्सरकारी संधि।
  - भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है।
  - यह संधि *यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम* के तत्वाधान में संपन्न हुई है।
- **IUCN** ***रेड डाटा बुक***
  - पक्षियों के संरक्षण-स्तर की सूची प्रकाशित करती है।
  - इस सूची को तैयार करने का काम *बर्ड लाइफ इंटरनेशनल* करता है।

पक्षियों की जनसंख्या में कमी आने के विभिन्न कारण

- वायु की गुणवत्ता एवं तालाबों व वेटलैंड्स जैसे जलस्रोतों की गुणवत्ता में गिरावट।
- मानेसर और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास **शोर का स्तर**।
- ***मोबाइल टॉवर्स से नॉन-आयोनाइज्ड माइक्रोवेव रेडिएशन-*** दीर्घ काल तक निम्न स्तर के *रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन (FER)* में एक्सपोजर के कारण पक्षियों के तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा प्रणाली और उनकी *नेविगेशन* क्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।
- ***अनलेडेड पेट्रोल*** के दहन से उत्पन्न होने वाले ***मिथाइल नाइट्राइट*** जैसे यौगिक कीटों के लिए अत्यधिक विषैले होते हैं। ये कीड़े-मकोड़े गौरैया के बच्चों का मुख्य आहार हैं।
- ***गार्डन पेस्टीसाइड्स*** का व्यापक उपयोग, घास के मैदानों का लुप्त होना, वायु के तापमान में वृद्धि।

VISION IAS

- ***बर्ड-अनफ्रेंडली आर्किटेक्चर*** जैसे इमारतों में काँच और पेंट्स का अत्यधिक उपयोग, और घरों में पक्षियों के लिए घोंसले के स्थान (नेस्टिंग प्लेस) बनाने की प्रवृत्ति में आई कमी।
- पशु-पक्षियों के लिए **जल और अनाज रखने की परंपरा में गिरावट** आ रही है। NCR और आस-पास के क्षेत्रों में पक्षियों और वन्य-पशुओं के लिए समर्पित अस्पतालों की संख्या बहुत कम है।
- ग्रीष्म और शीत ऋतु की शुरुआत में दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में **फसल अवशेषों का दहन** पक्षियों के जीवन के लिए एक संभावित खतरा है।
- पक्षियों के जीवन तथा प्राकृतिक संसाधनों, मनुष्यों व पक्षियों के मध्य अंतर्संबंधों को बेहतर ढंग से समझने हेतु सर्वेक्षणों का अभाव।

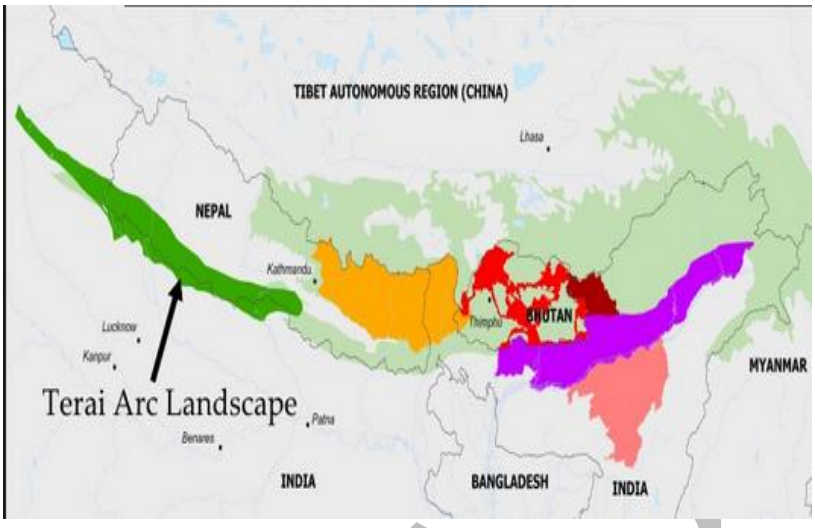

5.3.ओरांग टाइगर रिज़र्व

(Orang Tiger Reserve)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- ओरांग टाइगर रिज़र्व में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गयी है। यहाँ पर 2013 में बाघों की संख्या 17 थी जो 2017 में बढ़कर 28 हो गयी है।
- ***नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी*** (NTCA) ने *आल-इंडिया टाइगर एस्टीमेशन प्रोग्राम* के फेज IV के दौरान इन आंकड़ों की जानकारी प्रदान की।

- ओरांग टाइगर रिज़र्व असम में है। यह **50 राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्रों में** सबसे छोटे कोर एरिया वाला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका कोर एरिया 78.28 वर्ग किलोमीटर है।
- इसे 2016 में अधिसूचित किया गया। यह दारांग व सोनितपुर जिलों में फैला हुआ है।
- ओरांग में बाघों का घनत्व पूरे देश में सर्वाधिक है।
- अरुणाचल प्रदेश का **कामलांग टाइगर रिज़र्व** भारत का 50वां टाइगर रिज़र्व है। यह नवीनतम अधिसूचित टाइगर रिज़र्व है।

सम्बंधित तथ्य

- *ऑल-इंडिया टाइगर एस्टीमेशन* प्रत्येक 4 वर्ष पर *टाइगर टास्क फोर्स* के अनुमोदन के आधार पर किया जाता है।
- टाइगर रिजर्व में बाघों की निगरानी ***स्पेशल फ़ील्ड प्रोटोकॉल*** **(फेज-IV मॉनिटरिंग)** के माध्यम से की जाती है। इसके अंतर्गत प्रतिदिन *कैमरा ट्रैप्स* द्वारा खींचे गए बाघों के चित्रों को संयोजित कर *फील्ड एविडेंसेस* को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए *थर्मल* कैमरों और *इनफ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूव्ड सुर्विलांस* ***(e-आइ सिस्टम)*** का प्रयोग किया जाता है।
- कुछ रिज़र्व्स में M-STrIPES जैसे *स्मार्ट पैट्रोलिंग प्रोटोकॉल्स* का उपयोग करने के साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में बाघों के मल के सैंपल एकत्र किया जाता है।
- ***'स्टेटस ऑफ़ टाइगर्स, को-प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया'*** पर NTCA की रिपोर्ट के अनुसार काजीरंगा नेशनल पार्क में बाघों का घनत्व 12.72 प्रति 100 वर्ग किमी था। इसके बाद उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (11) और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान (10.28) का स्थान था।
- इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों के साथ ही ***तराई आर्क लैंडस्केप*** में भी बाघों को अच्छे चारागाह और शिकार जैसे कि हॉग डियर, जंगली सुअर और जंगली भैंसे भी अच्छी संख्या में उपलब्ध हैं।
- चौथे चरण की निगरानी में बाघों की सर्वाधिक आबादी कर्नाटक में पायी गयी।

बाघों की जनसंख्या (घटते क्रम में)

1. कर्नाटक: बांदीपुर, नागरहोल।
2. उत्तराखंड: जिम कॉर्बेट।

3. मध्य प्रदेश : कान्हा, बाँधवगढ़, पेंच।
4. तमिलनाडु: मुदुमलै, अन्नामलाई।
5. असम: काजीरंगा, मानस, नमेरी।
6. केरल: पराम्बिकुलम, पेरियार।

5.4. विशाखापत्तनम में प्रदूषण में वृद्धि

(Rising Pollution in Visakhapatnam)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस, के अवसर पर विभिन्न NGOs और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विशाखापत्तनम में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता व्यक्त की।
- ***कॉम्प्रीहेंसिव एनवायरमेंट पाल्यूशन इंडेक्स*** **(CEPI)**
  - *इसका* आंकलन *सेंट्रल पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड* द्वारा किया जाता है।
  - CEPI के लिए चार संकेतक:
    - *स्केल ऑफ़ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑबज़र्व्ड वैल्यू ऑफ़ पॉल्यूशन इन एयर।*
    - *स्केल ऑफ़ एक्सीडेंस ऑफ़ एनवायरमेंट क्वालिटी।*
    - स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़े।
    - उद्योगों द्वारा नियमों के अनुपालन की स्थिति।
  - यह 0 और 100 के बीच एक परिमेय संख्या होती है।

CEPI तीन पद्धतियों पर आधारित होता है।

A : स्रोत	B: पाथवे	C: अभिग्राहक (Receptor)
1. टोक्सिन की उपस्थिति	1. एक्सपोजर का स्तर	1.मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव
2.औद्योगिक गतिविधि का स्तर		

सम्बंधित तथ्य

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2009 में जारी किए गए *कॉम्प्रीहेंसिव एनवायरमेंट पाल्यूशन इंडेक्स* में विशाखापत्तनम को ***क्रिटिकली पॉल्युटेड क्लस्टर टैग*** दिया था।
- यह नगर विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रहा है। इसके समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों में जल की गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित करना और ग्रीन कवर को नष्ट होने से बचाना है।
- विशाखापत्तनम के तीन ओर से औद्योगिक क्षेत्र हैं तथा चौथी तरफ से यह समुद्र घिरा है। इस नगर की स्थलाकृति चम्मच के आकार की है जो किसी बड़ी आपदा के समय लोगों के बच निकलने की संभावना को बहुत कम कर देता है।

क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्लस्टर टैग

- 70 या उससे अधिक CEPI स्कोर को *क्रिटिकली पॉल्यूटेड क्लस्टर टैग* माना जाता है।
- 60 से 70 के बीच CEPI स्कोर को *सीवियरली पॉल्यूटेड इंडस्ट्री* के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर के औद्योगिक क्षेत्र की कुछ औद्योगिक परियोजनाओं के विकास पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है।

5.5. नीलगिरी तहर

(Nilgiri Tahr)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नीलगिरि तहर की **पहली** राज्यव्यापी गणना की गई जिसमें इस एनडेंजर्ड प्रजाति की कुल जनसंख्या 1,420 पाई गई।

नीलगिरी तहर

- यह तमिलनाडु का राज्य पशु है।
- स्थानिक: पश्चिमी घाट में नीलगिरी से कन्याकुमारी तक पायी जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है।
- IUCN स्थिति: एनडेंजर्ड का दर्जा प्राप्त (वयस्क पशुओं की संख्या 2,500 से कम है)।
- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 द्वारा इसे संरक्षित (अनुसूची-I) सूची में रखा गया है।

शोला वन के ऊँचाई वाले स्थानों में एक संकीर्ण पट्टी तक सीमित हैं।

सम्बंधित तथ्य

- 2013 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थायी समिति ने नीलगिरि तहर को **मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व** में वापस छोड़ने की योजना बनाई थी।
- मुन्नार के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी तहर की अधिकांश आबादी निवास करती है। जहाँ इनकी संख्या लगभग 664 है।
- यह एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, आदिमाली वन (इडुक्की), साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान तथा मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में पाया जाता है।

नीलगिरि तहर को ख़तरा

- मंदिर पर्यटन।
- इसके मांस की कीमत बहुत अधिक होती है। इन्हें इनके प्राकृतिक निवास स्थानों में कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है।
- घासभूमियों में यूकेलिप्टस, एकेसिया और पाइन की कृषि के साथ साथ चाय के बागान लगाए जा रहे हैं जो नीलगिरी तहर के प्राकृतिक आवास हेतु अनुपयुक्त हैं।

5.6. भारत की जैव विविधता में वृद्धि

(Increase in India's Biodiversity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के **ऐनिमल डिस्कवरी-2016,** न्यू स्पीशीज ऐन्ड रिकार्ड्स तथा बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के **प्लांट डिस्कवरी-2016** के अनुसार पिछले वर्ष देश के विभिन्न क्षेत्रों में 313 जंतु की प्रजातियों एवं 186 वनस्पति प्रजातियों की खोज की गई है।

जैव विविधता हॉटस्पॉट

- यह अवधारण **नॉर्मन मायर्स** द्वारा दी गई है।
- **कंजर्वेशनल इंटरनेशनल** (अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन) जैवविविधता हॉस्ट-स्पॉट क्षेत्र घोषित करता है।
- **मानदंड:**

✓ संवहनीय पादपों की कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियाँ (विश्व की कुल प्रजातियों के 0.5% से अधिक) होनी चाहिए।

✓ इनके मूल निवास स्थान का कम से कम 70% नष्ट हो चुका हो।

- पृथ्वी पर कुल 36 जैव विविधता हॉट-स्पॉट स्थल (4 भारत में) हैं।
- **क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड (CEPF)** हॉट-स्पॉट के प्रबंधन कार्य हेतु फण्ड प्रदान करता है।
- **CEPF** '*एजेन्स फ्रैन्काइज डे डेवलपमेंट*', 'कंज़र्वेशन इंटरनेशनल', 'यूरोपीय संघ', 'ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी', 'जापान सरकार', 'मैकआर्थर फाउंडेशन' और 'विश्व बैंक' की एक संयुक्त पहल है।

सम्बंधित तथ्य

VISION IAS

- इन प्रजातियों में से अधिकांश की खोज पश्चिमी घाट (17%) में की गई है। इसके बाद क्रमशः अन्य क्षेत्रों, जैसे - पूर्वी हिमालय (15%), पश्चिमी हिमालय (13%), पूर्वी घाट (12%) और पश्चिमी तट (8%) में नई जातियाँ पायी गयी हैं।
- इनके अतिरिक्त अगस्त्यमलाई पहाड़ी से 'मनोहरन्स बुरोविंग फ्रॉग: फेज़ेरवार्या मनोहारानी (Manoharan's Burrowing Frog: FEJERVARYA MANOHARANI) और वझाचल के जंगलों से कदर बुरोविंग फ्रॉग:फेज़ेरवार्या कदर (Kadar Burrowing Frog:FEJERVARYA KADAR) की खोज की गई है।
- जैव विविधता की नई प्रजातियाँ देश के चार **जैविक हॉटस्पॉट** क्षेत्रों में पायी गयी हैं:

✓ **हिमालय:** इसमें सम्पूर्ण भारतीय हिमालयी क्षेत्र सम्मिलित है।
✓ **भारत-बर्मा:** असम और अंडमान द्वीप समूह को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरी-पूर्वी भारत सम्मिलित है।
✓ **सुंडालैंड:** इसमें निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है।
✓ **पश्चिमी घाट और श्रीलंका:** इसमें सम्पूर्ण पश्चिमी घाट को सम्मिलित किया गया है।

सुंडालैंड: सुंडालैंड हॉटस्पॉट में भारत-मलाया द्वीपसमूह के लगभग आधे पश्चिमी भाग को सम्मिलित किया जाता है। यह 17,000 भूमध्यरेखीय द्वीपों का एक आर्क क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से दो सबसे बड़े द्वीप बोर्नियो (725,000 वर्ग किमी) और सुमात्रा (427,300 वर्ग किमी) हैं। इसमें सम्मिलित हैं:

- दक्षिणी थाईलैंड का एक छोटा सा हिस्सा (पट्टनी, यला और नारथीवाट के प्रांत)
- लगभग सम्पूर्ण मलेशिया
- सिंगापुर।
- ब्रुनेई दारुस्सलाम।
- मेगाडाइवर्सिटी वाले देश इंडोनेशिया का लगभग आधा पश्चिमी क्षेत्र जिसमें कालीमंतन (बोर्नियो, सुमात्रा, जावा और बाली) शामिल है।
- निकोबार द्वीप समूह, भारत।

बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया	**जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया**
• स्थापना: 1890, मुख्यालय: कलकत्ता • रॉयल बॉटनिक गार्डन से विकसित: सर जॉर्ज किंग • पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत • वनस्पतियों के गहन सर्वेक्षण का कार्यक्रम चलाना • वैज्ञानिक शोध के लिए सामग्रियों को एकत्रित करना, पहचानना और उन्हें वितरित करना। • स्थानीय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर वनस्पतियों के प्रामाणिक संग्रहों के अभिरक्षक की भूमिका निभाता है।	• स्थापना: 1916, मुख्यालय: कलकत्ता • बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी और भारतीय संग्रहालय की जीव-विज्ञान शाखा से विकसित: सर विलियम जोन्स • पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत • देश के विभिन्न राज्यों, पारिस्थितिकी तंत्रों और संरक्षित क्षेत्रों में प्राणिजात की विविधता का अन्वेषण, सर्वेक्षण, विस्तृत सूची निर्माण और निगरानी करना। • संकटापन्न और स्थानिक प्रजातियों की स्थिति की नियमित समीक्षा करना। • भारत के जीवों और राज्यों के जीवों के लिए रेड डाटा बुक तैयार करना।

5.7. ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम

(Green Building Rating System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पर्यावरण अनुकूल भवनों के निर्माण को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) द्वारा विकसित ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली को अंगीकृत किया गया है। IGBC भारतीय उद्योग परिसंघ (कन्फेडरशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री: CII) का एक भाग है।

महत्व

- भवनों के निर्माण कार्य में प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को कम करने पर जोर दिया गया है।
- पर्यावरण-अनुकूल निर्माण कार्य सुनिश्चित करना।

VISION IAS

CII

- गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग-आधारित और उद्योग-प्रबंधित संगठन
- नीतिगत मुद्दों पर सरकार के साथ मिलकर काम करता है
- 2017-18 की CII थीम है: **इंडिया टुगेदर: इंक्लूसिव, अहेड, रेस्पोंसिबल**
- सदस्यता: कोई भी फर्म जो भारत में विनिर्माण गतिविधियों या परामर्श सेवाएं प्रदान करने का कार्य कर रही है।

ग्रीन बिल्डिंग के पारंपरिक पद्धति:

- पकी मिट्टी के लाल रंग की खपरैल से बने घर।
- ग्रामीण भारत में चिकनी मिट्टी, लकड़ी, जूट की रस्सियों आदि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग किया जाता है।

- इसमें ग्रीन बिल्डिंग से संबंधित डिजाइन, निर्माण और संचालन से संबंधित पूर्वनिर्धारित मापदंडो को शामिल किया गया है।

भारत में ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग से संबंधित तीन प्राथमिक एजेंसियाँ है:

ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटैट असेसमेंट : GRIHA

- टेरी (द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टिट्यूट:TERI) और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विकसित।
- **रेटिंग मानदंड:** (1) साइट चयन और साइट नियोजन, (2) संसाधनों का संरक्षण और कुशल उपयोग, (3) भवन संचालन और रखरखाव, और (4) नवाचार

इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC)

- इस काउंसिल का लक्ष्य है, "सभी के लिए संधारणीय निर्माण परिवेश (sustainable built environment) का सृजन करना तथा 2025 तक भारत को संधारणीय निर्माण परिवेश के ग्लोबल लीडर्स में से एक बनाना"।
- यह विभिन्न सेवाएँ प्रदान करती है, जिसमें - नए ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग कार्यक्रमों का निर्माण, प्रमाणीकरण सेवाएं और ग्रीन बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित है। यह ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का भी आयोजन करती है जो ग्रीन बिल्डिंग पर इसका एक वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
- निर्माण उद्योग के सभी हितधारक जैसे - आर्किटेक्ट, डेवलपर्स, उत्पाद निर्माता, कार्पोरेट, सरकार, शैक्षणिक समुदाय और नोडल एजेंसियाँ परिषद् के कार्यक्रमों में स्थानीय शाखाओं के माध्यम से भाग लेते हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)

- विद्युत मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 के तहत अधिदेशित; नियामक और प्रचार कार्य
- इसके द्वारा ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक (EPI) विकसित किया गया है।
- यह 1 से 5 स्टार स्केल के आधार पर बिल्डिंग को रेटिंग प्रदान करता है।

5.8. गोवा में नए जैव-विविधता क्षेत्र

(New Biodiversity Areas in Goa)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में *बर्ड लाइफ इंटरनेशनल* ने गोवा में जैवविविधता को संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से तीन नए स्थलों को हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्रदान की है जिसके बाद गोवा में कुल 7 हॉटस्पॉट स्थल हो गये हैं। इन स्थलों को **"महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों"** की सूची में सम्मिलित किया गया है।

संबंधित तथ्य

- नई साइट्स: बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, नवेलिम आर्द्रभूमि और नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य।
- गोवा में पहले से ही 4 मान्यता प्राप्त जैव विविधता क्षेत्र हैं: भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य एवं मोलेम नेशनल पार्क, कराम्बोलिम आर्द्रभूमि, कोटीगाव वन्यजीव अभयारण्य और महादेई वन्यजीव अभयारण्य।
- बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा इन स्थलों की अद्यतन सूची प्रकाशित की जाती है।
- गोवा में *लेसर एडजुटेंट* और *नीलगिरी वुड पिजन* की एक विशाल आबादी निवास करती है।

VISION IAS

- पक्षीयों की जैव विविधता प्रत्यक्ष तौर पर स्वस्थ आर्द्रभूमियों से जुड़ी हुई है।
- किसी स्थल को एक महत्त्वपूर्ण पक्षी और जैव-विविधता क्षेत्र के रूप में घोषित करना, यह सुनिश्चित नहीं करता है कि साइट को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गयी है और लोगों के आवागमन को पूर्णतः बाधित कर दिया गया है।

लेसर एडजुंट **(Lesser Adjutant)**

- IUCN स्थिति: वल्नरबल
- कृषि क्षेत्रों में ताजे जल की आर्द्रभूमियों और तटीय क्षेत्रों में मॉडफ्लैट (mudflats) एवं मैंग्रोव क्षेत्रों में पाया जाता है। (पश्चिमी घाट और हिमालय)
- खतरा: उन वृक्षों की कटाई जहाँ ये घोंसले बनाते है, मांस एवं अंडों के लिए इनका शिकार करना, जलकुंभीयों (water hyacinth) का प्रसार आदि।

नीलगिरी वुड पिजन **(Nilgiri Wood Pigeon)**

- IUCN स्थिति: ***वल्नरबल***
- आर्द्र सदाबहार, अर्ध-सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वनों (पश्चिमी घाट और नंदी पहाड़ी) में पाया जाता है।
- खतरा: भोजन और मनोरंजन के लिए शिकार करना, स्थानांतरित कृषि, लकड़ियों का संग्रह करना।
- जलविद्युत संयंत्र और पवन ऊर्जा फार्म जैसी परियोजनाएं।

बर्ड लाइफ इंटरनेशनल

- ब्रिटेन की 'संरक्षण संगठनों की वैश्विक भागीदारी' वाली संस्था है।
- पहचान: महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में
- प्रत्येक बर्ड लाइफ पार्टनर एक गैर-लाभ आधारित स्वतंत्र पर्यावरणीय सहभागी या NGO है।
- एक त्रैमासिक पत्रिका वर्ल्ड बर्डवॉच प्रकाशित करता है
- IUCN के लिए पक्षियों की रेड सूची को प्रबंधित करता है।

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी **(BNHS)**

- भारत में स्थित गैर-सरकारी संगठन है जो संरक्षण से संबंधित अनुसंधान कार्यो में लगी हुई है।
- पक्षियों का इंटरनेट(Internet of Birds) बनाने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनी एस्सेंचर के साथ सहयोग कर रही है।
- पक्षियों का इंटरनेट: पक्षी प्रेमीयों के लिए एक ऑनलाइन उपकरण है जो पक्षियों की पहचान उनके फोटोग्राफ के आधार पर करता है।

5.9. अमीनपुर झील: देश का पहला जैवविविधता विरासत स्थल

(Ameenpur Lake: The First Biodiversity Heritage Site in The Country)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अमीनपुर झील को नवंबर 2016 में 'जैव विविधता अधिनियम-2002' और 'तेलंगाना राज्य जैव विविधता नियम-2015' के तहत तेलंगाना सरकार द्वारा 'जैवविविधता विरासत स्थल' घोषित किया गया था। जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला यह भारत का प्रथम जलीय निकाय है।

विशेषताएँ

- यह तेलंगाना राज्य में हैदराबाद के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है।
- एक मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण इब्राहिम कुतुब शाह के शासनकाल में किया गया था, जिसने गोलकुंडा राज्य पर 1550 ई. और 1580 ई. के बीच शासन किया था।

लाभ

यह झील बड़ी संख्या में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों को आकर्षित करती है। हालाँकि यह अतिक्रमण, औद्योगिक प्रदूषकों के विसर्जन, अपशिष्ट प्रवाह जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। 'जैवविविधता विरासत' का दर्ज़ा प्राप्त होने के बाद झील का बेहतर संरक्षण हो सकेगा। अब झील का प्रबंधन स्थानीय रूप से गठित जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा तथा झील के रखरखाव के साथ-साथ सुरक्षा के लिए भी धन उपलब्ध कराया जायेगा।

VISION IAS

जैव विविधता विरासत स्थल (BHS)

- ये जैव विविधता की दृष्टि से महत्व क्षेत्र है जिसमें जो समृद्ध जैवविविधता, फसलों की जंगली प्रजातियों से समृद्ध क्षेत्र सम्मिलित है। इसमें सामान्यतः संरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क से बाहर स्थित क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य पहले से ही निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों को कवर नहीं करना है।
- जैव विविधता अधिनियम की धारा 37, राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय निकायों के परामर्श से BHS की अधिसूचना से संबंधित है।

5.10. सोलर स्पेक्ट्रम का पूर्ण उपयोग

(Harnessing the Solar Spectrum)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- जुलाई 2017 में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्राकृतिक संसाधन शोधकर्ताओं और विभिन्न **वैज्ञानिक रिपोर्टस** ने खाद्य, ऊर्जा और जल की समस्याओं के समाधान हेतु सौर ऊर्जा के एकीकृत उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

आवश्यकता

- जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी और खपत की आदतों से जुड़े बदलाव के कारण भोजन, ऊर्जा और जल संसाधनों पर अभूतपूर्व दबाव पैदा होगा।
- वर्तमान कार्यप्रणाली में सोलर स्पेक्ट्रम का ज्यादातर भाग व्यर्थ हो जाता है क्योंकि किसी एक स्थान पर आने वाला सूर्य प्रकाश केवल एक ही उद्देश्य के लिए उपयोग हो रहा हैं जैसे या तो कृषि या ऊर्जा उत्पादन या जल शुद्धीकरण में।
- पारंपरिक फोटोवोल्टिक पैनल अपने नीचे एक छाया क्षेत्र का निर्माण करता है जिसके कारण पौधों की वृद्धि और फसल की उपज में कमी हो जाती है।
- इस नए दृष्टिकोण में एक ही भूभाग का निम्नलिखित उपायों द्वारा अलग-अलग प्रयोजन के लिए उपयोग करने के बजाय एक साथ तीन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जायेगा।
  - नवाचारी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग
  - स्पेक्ट्रम को तीन खंडों में विभाजन

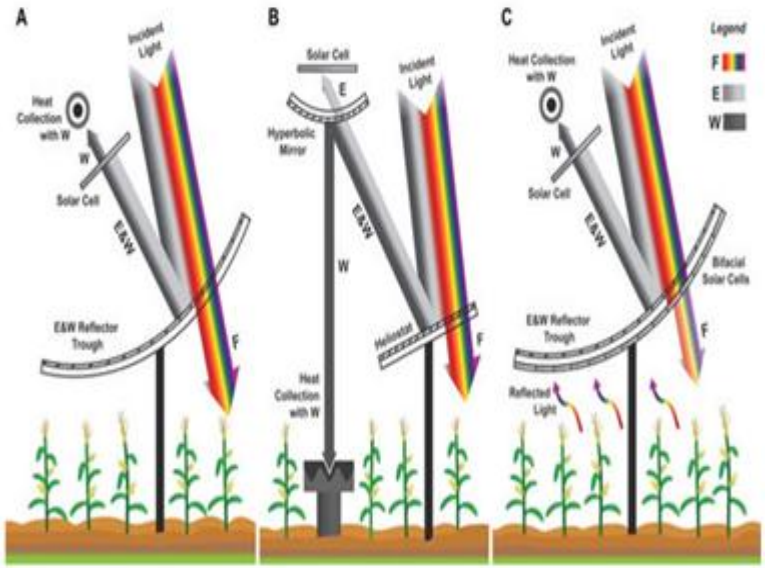

सोलर फोटॉन अनबंडलिंग सिस्टम में प्रस्तावित तीन परिवर्तन

प्रस्तावित फोटोवोल्टिक डिजाइन

- पौधों की वृद्धि के लिए ज़िम्मेदार फोटॉन का प्रेषण (ट्रांसमिट) करेगा।
- कुछ फोटॉन विद्युत् उत्पादन में सहायक हो सकते हैं।
- शेष *फोटॉन एनर्जी रिकवरी* और *जल शुद्धिकरण* के लिए ऊष्मा को एकत्रित करेगा।

5.11. घायल वन्यजीवों के लिए रेस्क्यू वार्ड

(Rescue Ward for Injured Wildlife)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में राजस्थान सरकार ने थार रेगिस्तान के वन्य जीवों के लिए जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में *वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू वार्ड* की स्थापना गई है।

वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू वार्ड

- यह वार्ड सड़क दुर्घटना, कुत्ते के काटने और बर्ड फाइट में घायल पशुओं को त्वरित उपचार प्रदान करेगा।
- थार रेगिस्तान में लगभग 60% मृत्यु परिवहन की कमी के कारण हो जाती है।
- इसके कारण चिंकारा (इंडियन गजेल) जैसे वन्यजीवों की कमी हो रही है।
- वन विभाग ऐसे 17 वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू वार्ड की स्थापना कर रहा है जो पश्चमी राजस्थान के बिशनोई समुदाय की सहायता करेगा।
- बिशनोई चिंकारा को शिकारियों से बचने एवं घायल जानवरों को जोधपुर तक पहुँचाने के लिए अपने जीवन को भी जोखिम में डाल देते है।

बिशनोई समुदाय

- बिशनोईवाद में अनुयायी बनाने की परम्परा की शुरुआत 1485 ईस्वी में संत गुरु जम्भेश्वर द्वारा की गई थी।
- ये पश्चिमी राजस्थान में निवास करते है और पर्यावरण संरक्षण इनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- **अमृता देवी बिशनोई**: 1730 ईस्वी का प्रारंभिक चिपको आंदोलन (खेजरी पेड़ की रक्षा करते हुए मृत्यु)
- पर्यावरण मंत्रालय द्वारा **अमृता देवी बिशनोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार** का प्रारंभ किया गया है।
- यह समुदाय पेड़ों को नहीं काटता बल्कि केवल नष्ट/मृत पेड़ो की लकड़ियों को ही इकट्ठा करते हैं।
- पेड़ों को बचाने के लिए यह समुदाय मृतकों के अंतिम संस्कार की धार्मिक परंपरा का विरोध करता है।
- ये अनावश्यक रीति-रिवाज, मूर्तिपूजा और जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते है।

5.12. 30 नई स्मार्ट सिटी घोषित

(30 New Smart City Announced)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) द्वारा ***अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन*** पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में 30 नयी स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई।
- इस अवसर पर एक ***सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स*** भी प्रारंभ किया गया है जिसमें देश के 116 बड़े शहरों को **जीवन की गुणवत्ता** के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाएगी।
- 2016-17 के दौरान शहरी सुधारों को लागू करने में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 16 राज्यों को प्रोत्साहन के तौर पर 500 करोड़ रुपए प्रदान किये गए।
- इस सूची में सर्वाधिक अंको के साथ आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। इसके बाद क्रमशः ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का स्थान रहा।
- अगले तीन वर्षों में भावी पीढ़ी के शहरी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना फंड को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।

सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स **क्या है?**

- शहरों में रहने योग्य मानकों का आंकलन करने वाले संकेतकों का एक समूह है।
- इसके द्वारा राजधानी शहरों के साथ-साथ दस लाख से अधिक की आबादी वाले 116 बड़े शहरों में जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जायेगा।
- शहरों का मूल्यांकन 79 मानदंडो के व्यापक समूह के आधार पर किया जाएगा।
- प्रोत्साहनों की मात्रा प्राप्त रैंकिंग के आधार पर तय होगी।
- 4 मुख्य क्षेत्रों, भार और अवयवों में विभाजित

4 मुख्य क्षेत्र	भार (प्रतिशत)	अवयव
सामाजिक	20	स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि
संस्थागत	30	गवर्नेंस, टैक्स, ऑडिट, आदि
आर्थिक	5	वित्त, आदि
भौतिक	45	जल, ऊर्जा, अपशिष्ट उपचार आदि

- नीति आयोग के द्वारा भी देश भर के शहरों के लिए "*अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स*" तैयार किया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी क्या है?

- इसकी कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। यह संकल्पना विकास के स्तर, सुधारों की इच्छा और शहरी विकास के लिए सुधार एवं आकांक्षा पर आधारित है।
- इसमें कुछ महत्वाकांक्षाओं जैसे संपूर्ण अवसंरचना, धारणीय *रियल एस्टेट* और संचार एवं बाजार व्यवहार्यता के संदर्भ में अत्यधिक उन्नतशीलता आदि की एक अभीष्ट सूची को भी शामिल किया गया है।
- *स्मार्ट सिटी* "***स्मार्ट सॉल्यूशन***" के चारों ओर घूमती है।

संबंधित अन्य तथ्य

- *ई-गवर्नेंस*, ऊर्जा प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, अवसंरचना विकास (सड़क, रेल) और अन्य परियोजनाएं जैसे कि कौशल विकास केंद्र, टेली शिक्षा सेवाएं और व्यापार केंद्र जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल।
- शहर,अपनी स्थानीय संकल्पना, संसाधन और महत्वाकांक्षा के आधार पर *स्मार्ट सिटी* के लिए अवधारणा, दृष्टि, मिशन और योजना (प्रस्ताव) तैयार करने के लिए स्वतंत्र है।
- SCM सरकार के अन्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसे स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और AMRUT के साथ भी जुड़ा हुआ है।
- AMRUT और SCM के बीच मुख्य अंतर यह है कि AMRUT कार्यक्रम के तहत पुरे शहर के कोर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है जबकि के SCM तहत विकास के लिए विशेष क्षेत्रों का चुनाव किया जाता है।

5.13. किसानों के लिए खतरा, वनों के लिए वरदान

(Menace to Farmer Boon to Forest)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- तमिलनाडु सरकार द्वारा वन विभाग के कर्मियों को सीमित समय के लिए जंगली सूअरों की जनसंख्या को नियंत्रित करने की अनुमति प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

सम्बंधित मुद्दे

- पारिस्थितिक वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जंगली सूअर को मारने से जैव विविधता को नुकसान होगा।
- जंगली सूअर: खाद्य श्रृंखला में *स्कावेंजर*
- जंगली सूअर मांसाहारी जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण शिकार होता है। इस योजना से इन मांसाहारी जानवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।
- जंगली सूअर वनीय क्षेत्रों में कुछ बीजों के अंकुरण में भी सहायक होते है।
- हालाँकि जंगली सूअर किसानों को नुकसान पहुँचाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारको में से एक है। ये कसावा, केला, चावल और तिलहन जैसी फसलों को नष्ट कर देते हैं।

वर्मीन क्या है?

- कोई भी जानवर जो मानव और इसकी आजीविका विशेषकर कृषि, के लिए खतरा पैदा करते है उन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की अनुसूची-V के तहत वर्मीन के रूप में वर्णित किया सकता है।
- राज्य सरकार जंगली जानवरों की एक सूची केंद्र सरकार को भेज सकती है ताकि उन्हें चयनात्मक वध के लिए वर्मीन घोषित किया जा सके।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972, प्रत्येक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को पशुओं को मारने के लिए सशक्त बनाता है।

- जंगली सूअर, नीलगाय और रीसस बंदर को अनुसूची-2 एवं 3 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है लेकिन विशेष परिस्थितियों में इनका शिकार किया जा सकता है।

5.14. जलवायु परिवर्तन: उष्णकटिबन्धीय क्षेत्र में वर्षा

(Climate Change: Rainfall in Tropical Region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- NASA के एक नए शोध में यह चेतावनी दी गई है कि पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होने के कारण उष्ण-कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि होगी।

सम्बंधित मुद्दे

- वर्षा की मात्रा केवल वर्षा करने वाले बादलों की उपलब्धता से ही नहीं बल्कि पृथ्वी के ऊर्जा बजट (उष्मा बजट) से भी सम्बंधित है। उष्मा बजट का आशय पृथ्वी को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा और पृथ्वी से मुक्त होने वाली ऊर्जा के तुलनात्मक मान से है।

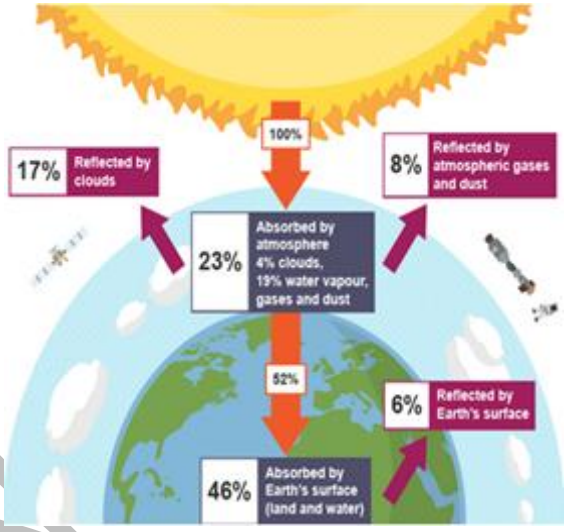

पृथ्वी का ऊष्मा बजट

- उच्च-तुंगता वाले उष्णकटिबंधीय बादल वायुमंडल में उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। इन बादलों में कमी के परिणामस्वरूप उष्णकटिबंधीय वायुमंडल अपेक्षाकृत ठंडा हो जाएगा।
- पृथ्वी की सतह के गर्म होने के कारण उच्च-तुंगता वाले बादलों के निर्माण में कमी आने की सम्भावना है।
- इससे उष्ण-कटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा में भी वृद्धि होगी तथा बादलों की कमी के कारण हुए शीतलन को संतुलित करने के लिए गर्म पवनों का संचार होगा।
- जल पृथ्वी की सतह से वाष्पीकृत होकर जलवाष्प के रूप में वायुमंडल तक पहुँचता है। इसके साथ वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा भी वायुमंडल में पहुँचती है।
- ऊपरी शीतल वायुमंडल में पहुँचने पर जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदों अथवा हिमकणों में परिवर्तित हो जाते है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त होकर वायुमंडल को गर्म करती है।
- पृथ्वी की सतह के गर्म होने के परिणाम-स्वरूप वायु प्रवाह में भूमंडलीय स्तर पर व्यापक परिवर्तन आता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च-तुंगता वाले बादलों में आयी कमी को वायु प्रवाह में हुए इस परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है।
- इन व्यापक प्रवाहों को 'सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण' कहा जाता है। इस परिसंचरण में विषुवत रेखा के निकट ऊपर उठती वायु का एक विस्तृत क्षेत्र सम्मिलित है।
- पिछले 30 से 40 वर्षों के अवलोकन से पता चलता है कि जलवायु के गर्म होने के कारण इस क्षेत्र के विस्तार में कमी आयी है। इसके कारण उच्च तुंगता वाले बादल कम हो रहे हैं।

5.15. ग्रीन ग्रोथ की प्राप्ति की धीमी प्रगति

(Slow Progress in Achieving Green Growth)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- जून 2017 में OECD ने "***ग्रीन ग्रोथ इंडिकेटर 2017***" नामक एक रिपोर्ट जारी की जिसमें *ग्रीन ग्रोथ* में हुई धीमी प्रगति पर प्रकाश डाला गया।

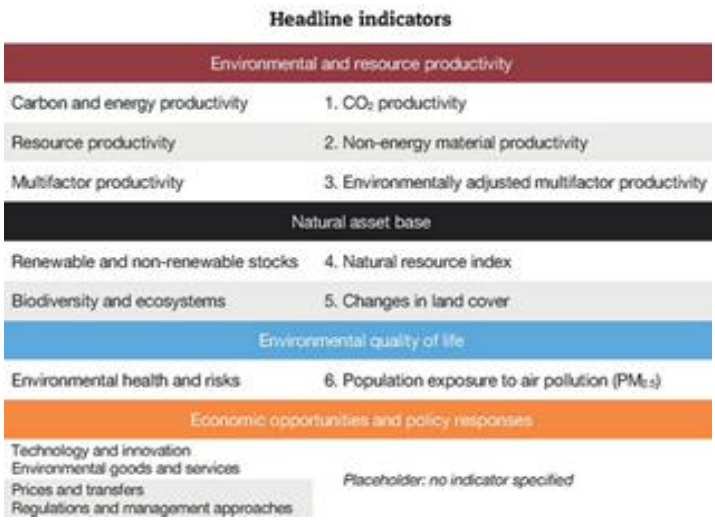

ग्रीन ग्रोथ इंडिकेटर 2017

ग्रीन ग्रोथ क्या है?

- ग्रीन ग्रोथ से आशय ऐसी आर्थिक संवृद्धि और विकास को बढ़ावा देने से है जिसके तहत मानव के कुशलतापूर्वक जीवनयापन हेतु आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखना है।
- *ग्रीन ग्रोथ* का मापन ***ग्रीन ग्रोथ इंडीकेटर्स*** से किया जाता है। इसमें भूमि उपयोग के तरीके, CO_2 उत्पादकता और नवाचार जैसे सभी तत्व शामिल होते हैं।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- अक्षय ऊर्जा में BRIICS की औसत हिस्सेदारी 14.8% है जो कि OECD की 9.6% की तुलना में अधिक है, किन्तु 1990 से BRIICS की हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की जा रही है।
- ग़ैर-ऊर्जागत अपरिष्कृत सामग्री (non energy raw material) का सर्वाधिक निष्कर्षण चीन और अमेरिका द्वारा किया जाता हैं। इसके बाद भारत और ब्राजील (अधिकांशतः बायोमास) तथा दक्षिण अफ्रीका और कनाडा (अधिकांशतः धातुएँ) का स्थान आता है।
- विश्व में नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। यहां तक कि उच्च नगरीकृत देशों में भी यह प्रवृति विद्यमान है। OECD राष्ट्रों में जनसंख्या की तुलना में इमारतों से घिरे हुए क्षेत्रों की वृद्धि अधिक तीव्रता हो रही है।
- वायु प्रदूषण का स्तर असुरक्षित रूप से उच्च बना हुआ है। OECD देशों में तीन में से एक देश WHO के सूक्ष्म पार्टिकुलेट मैटर से सम्बंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। इसके साथ ही चीन और भारत में भी प्रदूषण का स्तर उच्च है।
- लगभग 90% ग्रीन टेक्नोलॉजीज को OECD देशों में विकसित किया जाता है, किन्तु इसमें चीन और भारत का योगदान में तीव्रता से वृद्धि हो रही है।
- विभिन्न देश पर्यावरण संबंधी करों का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग कर रहे हैं किन्तु 1995 से कुल कर राजस्व में इन करों के योगदान में कमी देखी गई है।

***ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूशन* (GGGI)**

- GGGI सिओल (साउथ कोरिया) स्थित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है किन्तु इसके अनुसंधान कार्यों से जुड़ा है।
- 2012 में *रिओ+20 यूनाइटेड नेशन्स कांफ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट* में **GGGI** की स्थापना की गई।
- इसका UNFCCC के साथ मिलकर कार्य करना सहयोग के लिए एक *फ्रेमवर्क* प्रदान करता है।

TERI (*द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट*)

- यह भारत और दक्षिणी विश्व के संधारणीय विकास के लिए एक अनुसन्धान संस्थान है।
- इसके फोकस क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन, प्रदूषण प्रबंधन, संधारणीय कृषि और *क्लाइमेट रेसिलिएंस* हैं।

***ग्रीन ग्रोथ* के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम**

- **अनुसन्धान**
  - ***ऐन इनिशियेटिव ऑन ग्रीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया,*** GGGI और TERI की एक साझा परियोजना है।
- **मिशन**
  - ***नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया*** *नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज* (NAPCC) के तहत संचालित 8 मिशनों में से एक है।
- **अवसंरचना**
  - *ग्रीन हाइवेज (प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटीफ़िकेशन एंड मेंटेनेंस) पॉलिसी*।
  - ***स्मार्ट सिटीज़ मिशन*** के तहत हरित अवसंरचना (*ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर*) पर बल।
- **कर एवं अन्य उपाय**
  - 2014 से पेट्रोल और डीजल पर *एक्साइज टैक्स* में 150 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है, इसे दरअसल ***कार्बन टैक्स*** माना जा सकता है।
  - **कोयला उपकर जो कोयले के खनन की कुल लागत के पाँचवे हिस्से के बराबर है।**
  - **सभी विद्युत वितरण कम्पनियों और विद्युत् उत्पादकों पर *रिन्यूएबल पर्चेज ऑब्लीगेशन्स* का आरोपण।**

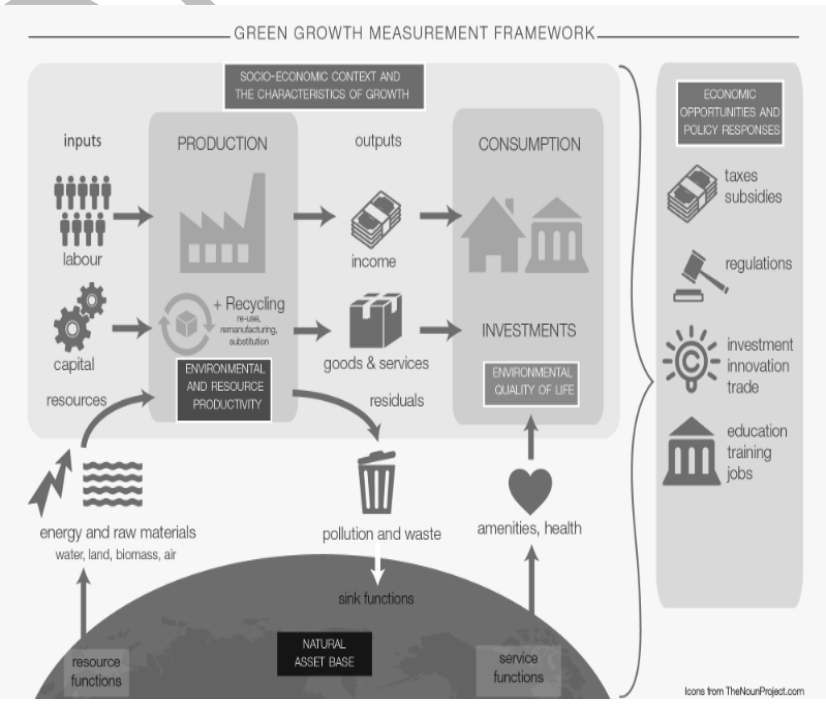

5.16. महाराष्ट्र हाईकोर्ट: नर-भक्षी बाघ

(Maharashtra HC: Man-Eater Tiger)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा चंद्रपुर के ब्रह्मपुरी जंगल की एक बाघिन को देखते ही मारने हेतु दिया गया आदेश *(शूट-एट-साइट ऑर्डर)* रद्द कर दिया गया है। ऐसा मानना था कि इस बाघिन ने दो व्यक्तियों को मार दिया था इसी कारण इसे "नर-भक्षी" माना जाने लगा था।

इस निर्णय के बारे में

- याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बाघिन की वजह से जो 2 मौतें हुईं है वह आरक्षित क्षेत्र/बफर ज़ोन में हुई हैं। इस क्षेत्र में मानवों का प्रवेश सामान्यतः वर्जित है अतः बाघिन को एक 'नर-भक्षी' नहीं माना जाना चाहिए।
- न्यायालय के अनुसार बाघिन को मारने का यह आदेश ग़ैरक़ानूनी था तथा "यह विधि की उचित प्रक्रिया (due process of law) का पालन किए बिना पारित किया गया था। इसके साथ ही यह आदेश राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन भी करता है।"
- न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मानव सुरक्षा और बाघ संरक्षण के गंभीर मुद्दे पर वन अधिकारियों के "लापरवाह और संवेदनहीन" दृष्टिकोण के लिए उन्हें फटकार लगाई हैं।

NTCA के दिशा-निर्देशों के अनुसार

- बाघ की हत्या किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए लेकिन यदि बाघ नर-भक्षण का आदि है तो उस परिस्थिति में हत्या की जा सकती हैं।
- बाघ को पकड़ने के सभी प्रयासों के विफल होने के बाद ही किसी बाघ को 'नर-भक्षी' घोषित कर उसे मारा जाये।
- *प्रिंसिपल चीफ कन्सर्वेटर ऑफ़ फॉरेस्ट्स* को उन सभी कारणों का लिखित रूप में रिकॉर्ड रखना चाहिए जिस आधार पर किसी बाघ को नर-भक्षी घोषित किया जाता है।
- बाघों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए DNA *प्रोफाइलिंग* (जिसके तहत बालों/मल के सैंपल इकट्ठे किये जाते हैं) के अतिरिक्त पहचान हेतु गठित समिति की सलाह लेनी चाहिए तथा साथ ही *कैमरा ट्रैपिंग, डायरेक्ट साइटिंग* या *पग इम्प्रेशन* का भी उपयोग करना चाहिए।

5.17. एनर्जी कंज़र्वेशन बिल्डिंग कोड-2017

(Energy Conservation Building Code-2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में ऊर्जा मंत्री द्वारा *एनर्जी कंज़र्वेशन बिल्डिंग कोड-2017* (ECBC 2017) का शुभारम्भ किया गया।

पृष्ठभूमि

- प्रारंभ में भारत सरकार द्वारा 27 मई 2007 को 'नए वाणिज्यिक भवनों' हेतु ECBC विकसित किया गया था।
- ECBC उन व्यावसायिक भवनों के लिए 'न्यूनतम ऊर्जा मानक' तय करता है जिन पर 100 KW या इससे अधिक का लोड अथवा 120 KVA या उससे अधिक की *कॉन्ट्रैक्ट डिमांड* है।
- ये स्वैच्छिक प्रकृति के हैं और 22 राज्यों द्वारा इन्हें स्वयं के संशोधनों के बाद स्वीकार कर लिया गया है।

ECBC के बारे में अन्य तथ्य

- इसे BEE द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) की तकनीकी सहायता से विकसित किया गया हैं। यह सहयोग US-इंडिया बाईलेटरल पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी- डिप्लॉयमेंट टेक्निकल असिस्टेंस (PACE-DTA) प्रोग्राम के तहत किया गया।
- ECBC 2017, अप्रतिरोधी डिजाइन रणनीतियों को शामिल करके, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को इमारतों के डिजाइन में शामिल करने के लिए बिल्डरों, डिजाइनरों और निर्माताओं के लिए मानक एवं पैमाने निर्धारित करती हैं।
- यह नियमावली निवासियों के सुविधानुसार और जीवनचक्र मूल्य प्रभावकारिता की वरीयता के अनुसार व्यावसायिक इमारतों को ऊर्जा तटस्थ बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण के परिवर्धन को लक्षित करती है।
- ECBC-कॉम्प्लायंट का दर्ज़ा हासिल करने के लिए इमारत को कम से कम 25% ऊर्जा बचत प्रदर्शित करनी होगी।
- ऊर्जा दक्षता के प्रदर्शन में अतिरिक्त सुधार करके ECBC प्लस या सुपर ECBC स्टेटस जैसे उच्च ग्रेड प्राप्त किये जा सकेंगे, जिससे क्रमशः 35% और 50% की अतिरिक्त ऊर्जा बचत होगी।

THE REAL RACE BEGINS. ARE YOU READY?

ADVANCED COURSE

GENERAL STUDIES

MAINS 2017

- Targeted towards those students who are aware of the basics but want to improve their understanding of complex topics, inter-linkages among them, and analytical ability to tackle the problems posed by the Mains examination.
- Covers topics which are conceptually challenging.
- Approach is completely analytical, focusing on the demands of the Mains examination.
- Includes comprehensive, relevant & updated study material.
- Mains 365 Current Affairs Classes
- Sectional Mini Tests
- Includes All India G.S. Mains & Essay Test Series.
- Duration:13-14 Weeks, 5-6 classes a week

GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store

"The Secret To Getting Ahead Is Getting Started"

ALTERNATIVE CLASSROOM PROGRAM *for*

GS PRELIMS & MAINS 2019 & 2020

Regular Batch		*Weekend Batch*
19 July 9 AM	21 Aug	24 June 9 AM

- Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of G.S. Mains , GS Prelims & Essay
- Includes comprehensive, relevant & updated study material

LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE

- Access to recorded classroom videos at personal student platform
- Includes All India G.S. Mains, Prelim, CSAT & Essay Test Series of 2018, 2019, 2020
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2018, 2019, 2020 (Online Classes only)

GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

6.1. GSLV MK III का प्रक्षेपण

(GSLV MK III)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से **GSLV MK III** D1 रॉकेट **(GSAT 19)** का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है।

आवश्यकता

- वर्तमान में ISRO का भू-तुल्यकालिक उपग्रह (GSLV MK II) मात्र दो टन वजन वाले उपग्रहों का भार वहन कर सकता है।

पृष्ठभूमि

- 2014 में LVM3 की पहली प्रयोगात्मक उड़ान LVM3-X/CARE मिशन ने श्री हरिकोटा से उड़ान भरी एवं उड़ान के वायुमंडलीय चरण का सफल परीक्षण सम्पन्न हुआ। इस उड़ान में 'क्रू मॉड्यूल एटमोस्फियरिक रीएंट्री' प्रयोग भी किया गया था। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का पहला परीक्षण था।

विशेषताएं

- यह भारत से अब तक लांच किया गया **सर्वाधिक वजन वाला रॉकेट** है। यह 4000 किग्रा तक के पेलोड को भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा (जिओसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट) एवं 1000 किग्रा तक के पेलोड को निम्न भू कक्षा (लो अर्थ ऑर्बिट) में ले जा सकता है।
- यह स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन **(C25)** से युक्त

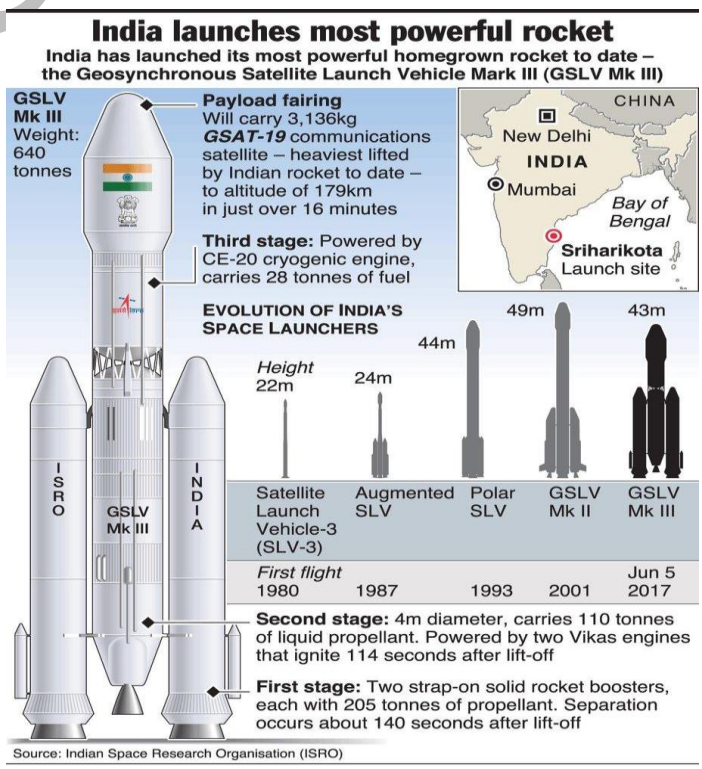

तीन चरणीय यान है। इसे अपेक्षाकृत अधिक भारी संचार उपग्रहों को जिओसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

- अपर क्रायोजेनिक स्टेज के अतिरिक्त इस यान में **दो ठोस स्ट्रेप-ऑन मोटर (S200)** एवं एक **कोर लिक्विड बूस्टर (L110)** हैं।
- पहली बार **उपग्रह पर कोई ट्रांसपोंडर नहीं होंगे**। यह डेटा को पृथ्वी पर प्रेषित करने के लिए मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बीम्स जैसी नई तकनीक का उपयोग करेगा। इसलिए इसे **"हाई थ्रुपुट उपग्रह"** (**"a high throughput satellite"**) कहा जाता है।
- पहली बार इसमें स्वदेश निर्मित लिथियम आयन बैट्री का प्रयोग किया जाएगा।
- इस अंतरिक्ष यान में उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया गया है जैसे मिनिएचराइज़्ड हीट पाइप (miniaturized heat pipe), फाइबर ऑप्टिक गायरो, माइक्रो इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम्स (MEMS) एवं त्वरणमापी (ऐक्सेलरोमीटर)।

महत्व

- यह भारत के संचार संसाधनों को बढ़ावा देगा क्योकिं भारत में संचार उद्योग में तेजी आई है तथा अंतरिक्ष संबंधी क्षेत्र में ट्रांसपोंडर की मांग अत्यधिक बढ़ी है।
- वर्तमान में भारत के भारी संचार उपग्रह फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किये जाते हैं। इस तथ्य को देखते हुए यह सरकार के **विदेशी मुद्रा भंडार** की भी बचत करेगा।
- यह अंतरिक्ष में **लोगों/अंतरिक्ष यात्रियों की यात्रा** के लिए कैरियर (वाहक) के रूप में भी कार्य करेगा।
- रॉकेट के स्वदेशी घटक भारत को प्रौद्योगिकी के मामले में **आत्मनिर्भर** बनने में सहायता करेंगे। विकसित स्वदेशी बैट्रियों का प्रयोग **भारत में विद्युत वाहनों को ऊर्जा-आपूर्ति करने के लिए** भी किया जा सकता है।
- इसरो (ISRO) द्वारा प्रदान की जाने वाली GSLV MK III की सेवाओं का विदेशी ग्राहकों द्वारा उपयोग किया जायेगा जिससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी।
- क्रायोजेनिक इंजन से प्रक्षेपण की लागत में भी कमी आएगी।

आगे की राह

- स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन भारत की संचार प्रणालियों की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में पहला चरण है। अब भारत को लगभग 6-7 टन के पेलोड वहन करने हेतु प्रौद्योगिकी को विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए (कई विकसित देशों के पास यह क्षमता है)। यह देश की जनसंख्या की बढ़ती आकांक्षाओं के साथ भारत में दूरसंचार घनत्व (telecommunication density) में भी सुधार करेगा।

6.2. प्रतिजैविक दवा प्रतिरोध : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा एंटीबायोटिक्स प्रोटोकॉल की समीक्षा

(Antibiotic Resistance: WHO Revises Antibiotics Protocol)

सुर्खियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने प्रतिजैविक दवा प्रतिरोध (एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस) पर अंकुश लगाने के लिए एंटीबायोटिक्स प्रोटोकॉल की समीक्षा की है। अनिवार्य औषधि सूची (EML) में यह सबसे बड़ा संशोधन है।

आवश्यक औषधियाँ ऐसी दवाएं हैं जो ''जनसंख्या की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं''।
ये ऐसी दवाएं हैं जिन तक लोगों की सदैव पर्याप्त मात्रा में पहुँच होनी चाहिए। कीमतें आम तौर पर सस्ती होनी चाहिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (**WHO**) 1977 से प्रति दो वर्ष में **आवश्यक औषधिओं की मॉडल सूची** प्रकाशित करता है। इसे विभिन्न देशों द्वारा आवश्यक औषधि की अपनी स्थानीय सूचियों का विकास करने के लिए उपयोग किया जाता है।

विवरण

WHO ने दवाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है— **उपलब्ध (access), निगरानी के अंतर्गत उपलब्ध (watch), अति विशिष्ट स्थिति हेतु आरक्षित (reserve)**।

- **'उपलब्ध' श्रेणी** में सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक दवाओं को सम्मिलित किया गया है। ये दवायें विस्तृत सामान्य संक्रमणों के उपचार हेतु प्रत्येक समय उपलब्ध होंगी।
- **'निगरानी के अंतर्गत उपलब्ध'** दवा छोटी संख्या के संक्रमणों के उपचार के लिए पहले या दूसरे विकल्प के रूप में अनुशंसित की जाती है। ऐसी दवाओ की अनुशंसा कम होनी चाहिए ताकि भविष्य में और अधिक प्रतिरोध का विकास न हो सके।
- **'अति विशिष्ट स्थिति हेतु आरक्षित' श्रेणी** में ऐसी प्रतिजैविक दवाएं सम्मिलित हैं जो अंतिम विकल्प मानी जाती हैं। इसका प्रयोग अत्यधिक गंभीर परिस्थितियों जैसे कि बहुऔषध-प्रतिरोधी जीवाणु के कारण होने वाले घातक इन्फेक्शन आदि में किया जाता है।

VISION IAS

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित विशेषीकृत एजेंसी है।
- इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। लीग ऑफ नेशन्स की स्वास्थ्य संगठन नामक एजेंसी इसकी पूर्ववर्ती थी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन, **विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट** प्रकाशित करता है।

WHO "ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस" 2015: इस कार्य योजना के 5 रणनीतिक उद्देश्य हैं:

- जीवाणुरोधी प्रतिरोध (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस) के प्रति जागरूकता और समझ में सुधार करना।
- निगरानी और शोध को बढ़ावा देना।
- संक्रमण के मामलों में कमी लाना।
- एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।
- एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सामना करने के लिए संधारणीय निवेश सुनिश्चित करना।

महत्व

नई सूची स्वास्थ्य प्रणाली योजनाकारों एवं चिकित्सकों को यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगी कि जिन लोगों को प्रतिजैविक औषधियों की आवश्यकता है उन्हें दवा तक पहुँच हो। इसके साथ ही उन्हें सही औषधि प्राप्त हो ताकि प्रतिरोध की समस्या और अधिक गंभीर न हो सके।

प्रतिजैविक दवा प्रतिरोध

यह क्या है? प्रतिजैविक औषधियां ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग जीवाणु संक्रमण को रोकने तथा उपचार करने के लिए किया जाता है। प्रतिजैविक दवा प्रतिरोध तब उत्पन्न होता है जब जीवाणु इन औषधियों के उपयोग के प्रति अपनी अनुक्रिया में परिवर्तन कर लेते हैं।

ऐसा क्यों होता है? प्रतिजैविक औषध प्रतिरोध प्राकृतिक रुप से होता है, किंतु प्रतिजैविक दवाओं का मानवों तथा जंतुओं में दुरुपयोग इस प्रक्रिया को तीव्र कर देता है। संक्रमणों का निम्नस्तरीय उपचार एवं नियंत्रण इस प्रक्रिया को और अधिक तीव्र करता है।

प्रभाव

- वैश्विक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और विकास के लिए संकट।
- संक्रमणों की बढ़ती संख्या - जैसे निमोनिया, तपेदिक आदि- का उपचार अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है क्योंकि उनका उपचार करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक दवाएं कम प्रभावी होती जा रहीं हैं।
- उपचार के लिए अस्पताल में अधिक समय तक रूकना, उच्च चिकित्सा लागतें एवं मृत्यु दर का बढ़ना।

इससे कैसे निपटा जाए?

- लोगों को प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग केवल चिकित्सकों के परामर्श पर करना चाहिए। साफ-सफाई रखकर संक्रमण की रोकथाम करनी चाहिए।
- नीति निर्माताओं को प्रतिजैविक दवा प्रतिरोध से निपटने के लिए ठोस राष्ट्रीय कार्य योजना सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रतिजैविक दवा प्रतिरोधी संक्रमणों की निगरानी में सुधार करना चाहिए।
- चिकित्सा पेशेवरों को प्रतिजैविक औषधियों का परामर्श केवल आवश्यकता होने पर ही देना चाहिए।
- कृषि क्षेत्रक: पशुओं को केवल पशु चिकित्सकों के पर्यवेक्षण में प्रतिजैविक दवाएं दी जानी चाहिए, प्रतिजैविक दवाओं की आवश्यकता को कम करने के लिए पशुओं का टीकाकरण करना चाहिए और उपलब्ध होने पर प्रतिजैविक दवाओं के विकल्पों का प्रयोग करना चाहिए।

भारत में स्थिति

भारत दवा प्रतिरोधी जीवाणु उत्पन्न करने वाली प्रतिजैविक दवाओं के आवश्यकता से अधिक उपभोग के साथ-साथ निर्धनों एवं सुभेद्य लोगों को प्रतिजैविक दवाओं की सरल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दोहरी चुनौती का सामना करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक प्रतिजैविक दवा प्रतिरोध के कारण भारत में की मृत्यु की घटनाओं में 20 लाख प्रतिवर्ष वृद्धि हो सकती है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- देश में **एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR)** की निगरानी का तंत्र सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के राष्ट्रीय डाटा का संकलन करने के लिए भारतीय चिकित्सा शोध समिति (ICMR) ने नेशनल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड सर्विलांस नेटवर्क (AMRRSN) स्थापित किया है।
- औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 को 2013 में नई अनुसूची एच-1 को सम्मिलित करने के लिए संशोधित किया गया था। इनकी बिक्री केवल चिकित्सकीय परामर्श पर ही की जाएगी। इन पर लाल रेखा भी अंकित की जाती है (रेड लाइन अभियान)।

VISION IAS

- सरकार ने 2011 में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया था तथा वर्ष 2017 में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सामना करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है।

6.3. बच्चों के अनुकूल एच.आई.वी. दवा को सरकार की सहमति प्राप्त

(Child-Friendly HIV Drug Gets Government NOD)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने HIV की दवा lopinavir/ritonavir (LPV/r) के के फार्मूलेशन को पंजीकृत किया है जो बच्चों के अनुकूल, ताप-स्थिर और ओरल पेलेट (oral pellet) के रूप में है।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

बच्चों के अनुकूल HIV औषधि की कमी वयस्कों और बच्चों के बीच उपचार अंतराल का प्रमुख कारण है। इस अंतराल के कारण बच्चों में HIV को उपेक्षित रोग माना जाता है। इन गोलियों (pellets) का पंजीकरण एक सकारात्मक संकेत है क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है।

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)

यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय औषधियों एवं चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नियामक संस्था है।

इसके प्रमुख कार्यों में सम्मिलित हैं: दवाओं के आयात, नई दवाओं के अनुमोदन एवं नैदानिक परीक्षणों पर नियामिकीय नियंत्रण; औषध परामर्शदात्री समिति (DCC) एवं दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) की बैठकों के संबंध में नियामिकीय नियंत्रण; कुछ लाइसेंस का केंद्रीय लाइसेंस के रूप में अनुमोदन।

6.4. क्रिप्टोकरेंसी

(Cryptocurrency)

पृष्ठभूमि: चीन, दक्षिण कोरिया और जापान ने कुछ विनियमों के साथ बिटक्वाइन के उपयोग को अपना लिया है।

क्रिप्टोकरेंसी क्या हैं?

- क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल या आभासी करेंसी है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफ़ी का उपयोग करती है। इसलिए इसकी जाली करेंसी बनाना कठिन होता है। यह किसी केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं की जाती है, अतः सैद्धांतिक रूप से इसमें किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप या हेरफेर नहीं किया जा सकता।
- लोगों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय होने वाली पहली क्रिप्टोकरेंसी बिटक्वाइन (Bitcoin) थी। इस करेंसी को सतोषी नाकामोतो के छद्मनाम वाले व्यक्ति या समूह द्वारा वर्ष 2009 में लांच किया गया था। बिटक्वाइन की सफलता से प्रेरित होकर बाद में कई प्रतिस्पर्धी क्रिप्टोकरेंसियां जैसे लाइटक्वाइन (Litecoin), नेमक्वाइन (Namecoin) एवं पीपीक्वाइन (PPCoin) भी प्रचलित हुईं।

क्रिप्टोकरेंसी के विकास के लिए जिम्मेदार कारक

- एल्गोरिदम को प्रोग्राम के जरिए करेंसी जारी करने की शक्ति प्रदान करने वाली कम्प्यूटेशनल क्षमता का विकास।
- मनमाने तरीके से करेंसी का मुद्रा मूल्य कम करने और विमुद्रीकरण करने वाली सरकारों के प्रति लोगों का अविश्वास।
- दीर्घावधि के दौरान धन का संग्रह करने के लिए सुरक्षित आश्रयों की कमी।

लाभ	कमियां
• न्यूनतम प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ लेनदेन करने में आसान। • यह कभी भी इनके माध्यम से किए गए सभी लेन-देनों की ऑनलाइन सूची का संग्रह करने के लिए ब्लाक चेन का उपयोग करती है। यह ऐसी डेटा संरचना प्रदान करती है जो हैकर्स से सुरक्षित है। ब्लॉक चेन का ऑनलाइन वोटिंग और क्राउडफंडिंग जैसी प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है। • इसकी नकल बनाना कठिन होता है।	• लेन-देन या अंतरणों की अनाम प्रकृति उन्हें कई प्रकार की गलत गतिविधियों जैसे कि काले धन को वैध करने और कर चोरी के लिए अत्यधिक अनुकूल बनाती है। • चूँकि क्रिप्टोकरेंसी आभासी होती हैं एवं उनका केंद्रीय भंडार नहीं होता है, इसलिए डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी कंप्यूटर क्रैश होने के साथ ही समाप्त हो सकती है। • चूँकि कीमतें आपूर्ति और मांग पर आधारित होती हैं, इसलिए वह दर जिस पर क्रिप्टोकरेंसी का विनिमय किया जा सकता है उसमें व्यापक रूप से उतार-चढ़ाव संभव है। • क्रिप्टोकरेंसी हैकिंग या चोरी के संकट के विरुद्ध प्रतिरक्षित नहीं होती हैं। बिटक्वाइन के संक्षिप्त इतिहास में कम्पनी ने चोरी की 40 से अधिक घटनाएं दर्ज की हैं।

VISION IAS

स्वीकार्यता: 2014 के बाद से, अमेरिकी कर प्राधिकरणों ने क्रिप्टोकरेंसियों को 'सम्पत्ति' के रूप में मान्यता दी है जो कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में भी आती हैं। चीन, दक्षिण कोरिया और जापान ने विनियमों के साथ बिटक्वाइन के उपयोग को अपनाया है।

भारतीय दृष्टिकोण: इन वर्षों में, भारत ने क्रिप्टोकरेंसियों को उपेक्षित किया था। हालांकि, इस वर्ष अप्रैल में, सरकार ने क्रिप्टोकरेंसियों हेतु विनियामक ढांचे के अध्ययन हेतु एक अंतर्विषयक समिति का गठन किया है।

आगे की राह

जैसा कदम चीन, दक्षिण कोरिया और जापान ने उठाया है उसके आधार पर सरकार को सीखना चाहिए एवं इस दिशा में नवोन्मेष करना चाहिए। इन देशों से प्रेरणा लेते हुए भारत को भी पूंजी की आवश्यकता को कम से कम रखना चाहिए और साथ ही संभावित आपराधिक गतिविधि को कठिन बनाना चाहिए।

6.5. पादप : सूखा जनित दबाव

(Plants: Drought Stress)

पृष्ठभूमि

सूखा जनित दबाव, फसल उत्पादकता को सीमित करने वाला सर्वाधिक व्यापक पर्यावरणीय कारक है। चूंकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन गंभीर सूखे की स्थितियों की बारंबारता में और वृद्धि कर रहा है। अतः पौधे सूखे के दबाव को किस प्रकार सहन करते हैं, इस सम्बन्ध में किये गए अध्ययन सूखा पड़ने पर फसल की पैदावार बढ़ाने में हमारी सहायता करेंगे।

पौधे आकारिकीय, शारीरिक और जैव रासायनिक रूपांतरों के माध्यम से सूखे के दबाव को सहन करने के लिए विकसित हुए हैं:

1. **ड्राट-रेजिस्टेंस (DR)** एक व्यापक शब्द है। यह अनुकूलनकारी विशेषताओं से युक्त ऐसी पादप प्रजातियों के लिए प्रयुक्त होता है जो पौधों को सूखा जनित दबाव की स्थिति से पलायन करने, उससे बचने एवं उसे सहन करने में सक्षम बनाती हैं।
2. **ड्राट-एस्केप (DE)** वह क्षमता है जिसके द्वारा पादप प्रजातियां अपने जीवन चक्र को सूखे के आरम्भ से पहले पूरा करने में समर्थ होती हैं। फलस्वरूप पौधों को सूखे के दबाव का अनुभव नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे जल की उपलब्धता के अनुसार अपने वानस्पतिक और जननात्मक विकास को व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। अर्थात् आर्द्र मौसम के दौरान तीव्र पादप विकास एवं शुष्क मौसम के दौरान कम विकास।
3. **ड्राट-अवॉयडेंस (DA)** मृदा में जल की कमी होने के बाद भी पौधों की अपेक्षाकृत उच्च ऊतक जल मात्रा बनाए रखने (कमी वाले दिन हेतु जल बचाने के लिए) की क्षमता।
4. **ड्राट-टॉलरेंस (DT)** विभिन्न अनुकूलकारी लक्षणों के माध्यम से अपने ऊतकों में जल की कम मात्रा को सहन करने की क्षमता।

ऐसे न्यूनतम **पांच प्रकार हैं** जिनमें पौधे सूखे की स्थितियों से संघर्ष करने के लिए **उपर्युक्त वांछित लक्षणों को विकसित करते हैं**:

- पर्ण क्षेत्रफल को कम करके (पत्तियों को बंद करके और कम अनावृत करके) एवं प्रकाश संश्लेषण की दर को मंद करके **प्रकाश संश्लेषण के स्तर को कम करना**।
- पौधों में उपस्थित **हार्मोन,** विशेष रुप से एब्ससिसिक अम्ल (या ABA), **की गतिविधि को विनियमित करना। सूखा जनित दबाव के दौरान**, ABA जड़ों से पत्तियों की ओर गति करता है और उनके ऐसे अत्यंत सूक्ष्म छिद्रों (जिन्हें रंध्र कहा जाता है) को बंद करने में सहायता करता है जो गैसों (कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प) के प्रवेश एवं निकास को संभव बनाते हैं। इस प्रकार यह हार्मोन पादप विकास को कम करता है।
- रंध्र बंद करके, जल की हानि को कम करके एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कम करके **वाष्पोत्सर्जन** (पौधे द्वारा वायु में जल मुक्त करने) **का नियंत्रण।**
- जड़ों की वृद्धि, आकार, आकृति एवं प्रशाखन (ब्रांचिंग) में परिवर्तन करना।
- **परासरणी समायोजन (ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट):** कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली (मेम्ब्रेन) पर लगाए जाने वाले जल के दबाव को परासरण द्वारा एक निश्चित स्तर तक बनाए रखा जाता है। वनस्पति विज्ञानी इसे स्फीत (turgor) कहते हैं (लैटिन भाषा में इसका अर्थ सूजन (swelling) होता है)।

यह पांच प्रक्रियायें जींस के द्वारा नियंत्रित एवं प्रारंभ की जाती है जो प्रोटीन और अन्य अणुओं को अभिव्यक्त करते हैं। इन अणुओं को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहा जाता है।

ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स (Transcription factors): ये ऐसे अणु हैं जो चयनित जीनों की अभिव्यक्ति को विनियमित करते हैं। इस प्रकार ये संबंधित प्रोटीन अणुओं के निर्माण की अनुमति प्रदान करते हैं या प्रोटीन निर्माण को रोकते हैं।

VISION IAS

6.6. दूध में मिलावट

(Milk Adulteration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दूध के नमूनों पर हाल के एक अध्ययन से व्यापक स्तर पर मिलावट का पता चला है। वर्ष 2016 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने लोकसभा में बताया है कि देश में बेचा जाने वाला 68% दूध भारत के खाद्य नियामक FSSAI द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है (2012 रिपोर्ट)।

मिलावट: सबसे आम हानिकारक मिलावटों में मंड (स्टार्च), क्लोरीन, हाइड्रेटेड चूना, सोडियम कार्बोनेट, फोर्मलिन और अमोनियम सल्फेट सम्मिलित हैं। दूध उत्पादक इनका उपयोग असली दूध की बचत करने एवं यूरिया, कास्टिक सोडा, रिफाइंड तेल और सामान्य डिटर्जेंट का मिश्रण कर "नकली दूध" बनाने के लिए करते हैं।

मिलावट क्यों?

- भारत में दूध और दूध से बने उत्पादों की खपत दूध के उत्पादन की तुलना में काफी अधिक है।
- मिलावट की पहचान करने के लिए किए जाने वाले परीक्षण महंगे हैं तथा इन परीक्षणों में समय लगता है, इससे मिलावट करने वालों को पकड़े जाने का भय नहीं रहता।

प्रभाव

- मिलावटी दूध कई प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न करता है, जिसमें भोजन की विषाक्तता, जठरांत्रिय विकार, गुर्दे (किडनी) की विफलता, त्वचा रोग, नेत्र एवं हृदय विकार की समस्याएं तथा कैंसर आदि सम्मिलित हैं।
- मिलावटी दूध के कारण ऑक्सीटोसिन बनने से बालिकाओं में शीघ्र यौवन तथा पुरुषों में स्तन विकास आदि आरम्भ हो जाता है।

उठाए गए कदम

- दूध के उत्पादन को बढ़ाने और दुग्ध प्रसंस्करण पर ध्यान।
- राजस्थान में अवस्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट ने एक नया स्कैनर विकसित किया है, जो 40 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगा सकता है एवं मिलावटी पदार्थ की पहचान कर सकता है।
- निकट भविष्य में जीपीएस-आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से उस सटीक स्थान के पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जहाँ कोल्ड चेन में दूध की आपूर्ति के साथ हेराफेरी की गई है।

संबंधित तथ्य

- अधिकतर भारतीय *लैक्टोज इन्टालरन्ट* होते हैं– अर्थात उनमें उस जीन की कमी होती है जो बचपन के बाद के वर्षों में दूध के पाचन की अनुमति देता है।
- **उदासीनीकारक (Neutralizers)** ऐसे पदार्थ हैं जो दूध को दही बनने से रोकने एवं दूध को अधिक समय तक उपयोग किए जाने योग्य बनाए रखने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। उदासीनीकरण के लिए कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है।
- **ऑक्सीटोसिन** को प्रतिबंधित कर दिया गया है, फिर भी गायों एवं भैंसों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

6.7. सिटीजन साइंटिस्ट्स द्वारा सौर प्रणाली के निकट 'न्यू कोल्ड वर्ल्ड' की खोज

(Citizen Scientists Find Cold New World near Solar System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हमारे सौर मंडल के बाह्य विस्तार में छिपे नए खगोलीय पिंडों को उजागर करने में खगोलविदों की सहायता करने वाले एक नवीन सिटीजन साइंस उपकरण का उपयोग कर सूर्य से 100 प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी पर स्थित ब्राउन ड्वार्फ की खोज की गई है।

बैकयार्ड वर्ल्डस परियोजना: यह एक सिटीजन साइंस परियोजना है जिसे फरवरी 2017 में आरम्भ किया गया था। बैकयार्ड वर्ल्डस परियोजना कंप्यूटर और एक इंटरनेट कनेक्शन से युक्त किसी भी व्यक्ति को नासा के वाइडफील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर (WISE) अंतरिक्ष-यान द्वारा ली गई छवियों को देखने में सक्षम बनाती है।

इसका उददेश्य नए ब्राउन ड्वार्फ तारों और अन्य कम द्रव्यमान के तारों की खोज करना है, जिनमें से कुछ हमारे सौर मंडल के निकटतम पड़ोसी भी हो सकते हैं।

वाइडफील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर (WISE): नासा द्वारा 2009 में अवरक्त (इन्फ्रारेड) तरंगदैर्ध्यों में सम्पूर्ण आकाश का मानचित्रण

VISION IAS

करने के लिए लांच किया गया स्पेस टेलीस्कोप है। इसका उद्देश्य अत्यधिक उज्ज्वल आकाशगंगाओं, बहुत ठंडे तारों, और आस-पास के क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं सहित उन विभिन्न पिंडों का पता लगाना था जिनका पहले कभी चित्र (image) नहीं लिया गया था।

सिटीज़न साइंस अवधारणा

- सिटीज़न साइंस, वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में सार्वजनिक भागीदारी और सहयोग की संकल्पना है। सिटीजन साइंस के माध्यम से, सामान्य जन डेटा की निगरानी और संग्रह कार्यक्रमों में भागीदारी तथा योगदान करते हैं।
- सिटीज़न साइंस परियोजनाओं में वन्य जीवन-निगरानी कार्यक्रम, ऑनलाइन डेटाबेस, विजुअलाइजेशन और साझाकरण तकनीकें, या अन्य समुदायिक प्रयास सम्मिलित हो सकते हैं।
- उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्रिसमस बर्ड काउंट, भारत में बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एशियन वाटरबर्ड सेन्सस।

ब्राउन ड्वार्फ, जिन्हें कभी-कभी 'फेल्ड स्टार्स' कहा जाता है, सम्पूर्ण आकाशगंगा (मिल्की वे) में फैले हुए हैं। बृहस्पति और इनमें अद्भुत समानताएं पायी जाती हैं। वैज्ञानिकों द्वारा उनके वायुमंडल का अध्ययन यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि अन्य ग्रहों पर मौसम कैसा होता होगा।

6.8. IMD द्वारा मलेरिया, चिकनगुनिया के संबंध में पूर्व चेतावनी हेतु प्रणाली

(IMD to Give Malaria, Chikungunya Alerts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) विभिन्न क्षेत्रों मे मलेरिया या चिकनगुनिया के प्रकोप की संभावना पर 15-दिन पहले चेतावनी देने के लिए एक पूर्वानुमान प्रणाली पर काम कर रहा है।

विवरण

- यह ग्लोबल वार्मिंग और इसके मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव की चुनौतियों से निपटने हेतु तदनुकूल, मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए IMD की बड़ी पहल का एक भाग है।
- IMD के पुणे स्थित राष्ट्रीय जलवायु केंद्र को इस प्रकार की जलवायु सेवाएं प्रदान करने के लिए पुनर्गठित किया जा रहा है। इनमें हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स एवं बीमारियों के प्रकोप के सम्बन्ध में 5 दिन और 15 दिन पूर्व किये जाने वाले पूर्वानुमान शामिल हैं।

महत्व

ग्लोबल वार्मिंग के कारण अत्यधिक वर्षा की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके फलस्वरूप आर्द्र परिस्थितियों एवं जलभराव की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है जिससे वाहक जनित रोग फैल सकते हैं। इनके संबंध में पूर्व चेतावनी सरकार को रोग फैलने की स्थिति में पहले से तैयार होने में सहायता करेंगी।

संबंधित तथ्य

- 1901 के बाद औसत भारतीय तापमान में 0.86 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई थी। किन्तु औसत वार्षिक वर्षा (लगभग 120 सेमी) में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था।
- पुणे स्थित **राष्ट्रीय जलवायु केंद्र** मानसून का पूर्वानुमान करता है और मानसून संबंधित आँकड़ों के दस्तावेज़ तैयार करता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

1. **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** 1875 में स्थापित हुआ एवं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
2. यह मौसम संबंधी प्रेक्षणों, मौसम की भविष्यवाणी और भूकम्प विज्ञान के लिए उत्तरदायी प्रमुख एजेन्सी है। IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के छ: क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केन्द्रों में से भी एक है।

6.9. इसरो (ISRO) बैक-अप उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार

(ISRO set to Launch Back-Up Satellite)

पृष्ठभूमि

भारत के रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को पूर्णतः परिचालित रखने के लिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) IRNSS-1A के लिए बैक-अप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। यह उपग्रह अपनी परमाणु घड़ियों की विफलता के कारण सही प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा है।

परमाणु घड़ी (एटॉमिक क्लॉक) ऐसी घड़ी डिवाइस है जो परमाणुओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजीशन फ्रीक्वेंसी को अपने टाइमकीपिंग एलीमेंट के लिए फ्रीक्वेंसी स्टैण्डर्ड के रूप में प्रयोग करती है।

परमाणु घड़ियाँ अभी तक ज्ञात सबसे सटीक समय और फ्रीक्वेंसी स्टैण्डर्ड हैं, एवं इनका उपयोग वेव टेलीविजन प्रसारण की फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करने के लिए, वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों जैसे- GPS में तथा इंटरनेशनल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के रूप में किया जाता है।

रूबीडियम एटॉमिक क्लॉक एक फ्रीक्वेंसी स्टैण्डर्ड है जिसमें रूबीडियम-87 परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के निर्दिष्ट अतिसूक्ष्म ट्रांजीशन को आउटपुट फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह परमाणु घड़ी का सबसे सस्ता, संक्षिप्त, और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रकार है।

विवरण

- IRNSS-1A को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें स्थित तीनों रूबीडियम परमाणु घड़ियों ने कार्य करना बंद कर दिया था।
- IRNSS-1A नेविगेशन इंडियन कान्स्टलेशन (NavIC) में सम्मिलित सात उपग्रहों में से प्रथम है।
- नेविगेशन इंडियन कांस्टेलेशन(NavIC) बहुउद्देशीय उपग्रह-आधारित पोजीशनिंग सिस्टम है।
- इसे भारत और इसके पड़ोस के लिए स्थलीय, समुद्री और हवाई नेवीगेशन के अतिरिक्त वाहन ट्रैकिंग, फ्लीट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और मानचित्रण सेवाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

6.10. हैदराबाद टीम द्वारा स्टेम सेल के प्रयोग से *मिनियेचर आइज* का विकास

(Hyderabad Team Grows Miniature Eyes Using Stem Cells)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हैदराबाद स्थित एल. वी. प्रसाद नेत्र संस्थान (LVPEI) के शोधकर्ताओं ने अतिसूक्ष्म नेत्र जैसे अंग का सफलतापूर्वक विकास किया है। यह भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में विकसित हो रहे नेत्र के समान है। इसको **इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम (iPS) सेल्स** का उपयोग करके विकसित किया गया है।

महत्वपूर्ण क्यों?

- जब कोई एक नेत्र क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आँखों की रोशनी को पुन: प्राप्त करने के लिए स्वस्थ नेत्र की स्टेम सेल कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब दोनों नेत्र क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो रोशनी को पुन: प्राप्त करने का एकमात्र उपाय किसी रक्त-संबंधी या अन्य दाता (donar) से ली गई स्वस्थ कोशिकाओं का उपयोग करना ही बचता है।
- जब दाताओं से कोशिकाओं का *ट्रांसप्लांट* किया जाता है तो रोगी को आजीवन *इम्यूनो-सप्रेसैन्ट्स* पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन जब आँख की रोशनी की पुन: प्राप्ति के लिए रोगी की अपनी *स्किन सेल* का उपयोग कर *कॉर्निया सेल* का विकास किया जाता है तो *इम्यूनो-सप्रेसैन्ट्स* की आवश्यकता नहीं होती है।

स्टेम सेल्स (स्टेम कोशिकाएँ): ये कोशिकाएँ *अनडिफर्रेंशिएटेड सेल्स* का एक वर्ग है जो *डिफर्रेंशिएटेड सेल्स* में विकसित होने की क्षमता रखती है।

सामान्यतः *स्टेम सेल* को दो मुख्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है: **भ्रूण से *(एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल)*** और ***एडल्ट टिश्यूज* से *(एडल्ट स्टेम सेल)***। आम तौर पर दोनों को विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होने की उनकी क्षमता या संभावना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए *प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल* लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता रखती है।

***इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल* (iPS):** इनका उत्पादन *ह्यूमन स्किन सेल* के आनुवंशिक रूपांतरण के द्वारा *एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स* के समान प्रकृति की कोशिकाओं के विकास हेतु किया जाता है| ये *सेल्स* किसी भी कोशिका का निर्माण करने में सक्षम हैं।

महत्व:

- *स्टेम सेल* मधुमेह और हृदय रोग जैसे रोगों का उपचार करने की नई संभावनाएँ प्रदान करती है।
- नई दवाओं का परीक्षण करने के लिए तथा सामान्य विकास का अध्ययन करने व जन्मजात दोषों का पता लगाने हेतु *मॉडल सिस्टम्स* विकसित करने के लिए।
- यह अध्ययन करने के लिए कि एकल कोशिका से सम्पूर्ण जीव का कैसे विकास होता है और स्वस्थ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को कैसे प्रतिस्थापित करती हैं।

इम्यूनो-सप्रेसैन्ट्स दवाओं की एक श्रेणी है जो विभिन्न क्रियाविधियों के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया (इम्यून रिस्पांस) को दबा देती है।

अंग प्रत्यारोपण के दौरान यह शरीर को प्रत्यारोपित अंग की '*फॉरेन ऑर्गन*' के रूप में पहचान करने या उस पर पर हमला करने से रोकती हैं।

6.11. महासागरों पर तड़ित स्थलीय भाग की तुलना में अधिक शक्तिशाली

(Lightning over Ocean is Stronger than over Land)

पृष्ठभूमि

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित *फ्लोरिडा इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी* द्वारा किये गए शोध में यह पाया गया है कि स्थलीय भाग की तुलना में महासागरों पर तड़ित *(लाइटनिंग)* अत्यधिक शक्तिशाली हो सकती है।

महत्व

- इन निष्कर्षों ने यह बताया है कि यदि तूफानों का विकास महासागरों पर होता है और ये तट की ओर चलते हैं तो समुद्र तट पर या आस-पास रहने वाले लोगों पर तड़ित से होने वाली क्षति का जोखिम अधिक हो सकता है।
- इससे यह जानकारी मिल सकती है कि समुद्र पर *थंडरस्टॉर्म* (तड़ित-झंझा) के फलस्वरूप उत्पन्न अत्यधिक शक्तिशाली तड़ित प्रवाह (बोल्ट ऑफ़ लाइटनिंग) के जोखिमों से बचने के लिए *ऑफ-शोर इंफ्रास्ट्रक्चर* और जहाजों का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए।

तड़ितझंझा (थंडरस्टॉर्म)

यह गरज और बिजली के साथ आने वाला तूफान होता है। यह सामान्यत: आँधी, भारी वर्षा और कभी-कभी ओलावृष्टि उत्पन्न करने वाले कपासी वर्षा मेघों द्वारा उत्पन्न किया जाता है।

तड़ितझंझा का निर्माण किस प्रकार होता है?

तड़ितझंझा के निर्माण के लिए तीन आधारभूत अवयवों की आवश्यकता होती है: नमी, अस्थिर अवरोही वायु तथा वायु को ऊपर उठाने वाला तंत्र।

सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है जिससे वायु गर्म हो जाती है। जब वायु ऊपर की ओर उठती है तो यह पृथ्वी की सतह से वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में ताप का स्थानान्तरण करती है (संवहन की प्रक्रिया)। परिणामस्वरुप वायु में विद्यमान जल वाष्प ठंडी होने लगती है और ऊष्मा मुक्त होती है। इस प्रकार वायु संघनित हो जाती है एवं मेघों का निर्माण होता है। अंततः मेघ ऊपर की ओर उठते हैं जहाँ तापमान हिमांक से नीचे होता है। चूँकि तूफान अत्यधिक ठंडी वायु में विकसित होता है अतः बूंदों के जमने से विभिन्न प्रकार के बर्फ कणों का निर्माण होने लगता है। जब दो बर्फ कण आपस में टकराते हैं तो वे कुछ विद्युत आवेश ग्रहण कर लेते हैं। इन टक्करों की विशाल संख्या विद्युत आवेशों के एक बड़े क्षेत्र का निर्माण करती है जिसके कारण तड़ित प्रवाह उत्पन्न होता है। इन टक्करों के कारण ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है जिसे हम गरज के रूप में सुनते हैं।

6.12. एस्ट्रोसैट द्वारा ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न उत्तरदीप्ति का खंडन

(Astrosat Rules out Afterglow in Black Hole Merger)

पृष्ठभूमि

- संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित लीगो समूह (LIGO group) के निष्कर्षों (इस समूह ने दो बड़े ब्लैक होल के विलय उत्पन्न होने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहचान की थी) के आधार पर, हवाई-आधारित एटलस समूह (ATLAS group) ने आकाश के उस हिस्से से एक लुप्त होती चमक की पहचान की, जहाँ इन ब्लैक होल की अवस्थिति का अनुमान लगाया गया था। इस समूह ने अनुमान लगाया कि यह विलय के बाद उत्पन्न होने वाली विद्युतचुम्बकीय (प्रकाश आधारित) उत्तरदीप्ति हैं।
- GROWTH (ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेटरीज़ वॉचिंग ट्रांसिएंट्स हैपेन) के सहयोग से, एस्ट्रोसैट (AstroSat) टीम ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस घटना का कारण गामा किरण (gamma ray) प्रस्फोट है।
- गामा किरण प्रस्फोट, प्रस्फोटित होते तारे से निकलने वाला प्रकाश है जिसके कारण ब्लैक होल का सृजन होता है।

एस्ट्रोसैट (AstroSat)

एस्ट्रोसैट (ASTROSAT) भारत की पहली समर्पित बहु-तरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष वेधशाला है। एस्ट्रोसैट एक ही समय में अल्ट्रावायलेट, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेवबैंड के लो एंड हाई एनर्जी एक्स-रे में ब्रह्मांड कीनि गरानी करने में सक्षम है, जबकि अन्य वैज्ञानिक उपग्रह तरंगदैर्ध्य बैंड की संकीर्ण श्रेणी में ही अवलोकन करने में सक्षम हैं।

लीगो (LIGO) : लीगो (LIGO) विश्व की सबसे बड़ी गुरुत्वीय तरंग वेधशाला एवं अत्याधुनिक भौतिकी प्रयोग है। लीगो (LIGO) गुरुत्वीय तरंगों की समझ एवं उनकी उत्पत्तियों का पता लगाने के लिए प्रकाश एवं स्वयं अंतरिक्ष के भौतिक गुणों का उपयोग करती है।

VISION IAS

इसका मिशन ब्रह्मांड में सर्वाधिक उग्र और ऊर्जावान प्रक्रियाओं में से कुछ प्रक्रियाओं से नि:सृत होने वाली गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना है। इसके द्वारा संग्रहित किए गए आंकड़े गुरुत्वाकर्षण, सापेक्षता, खगोल भौतिकी, ब्रह्माण्ड विज्ञान, कण भौतिकी, और नाभिकीय भौतिकी सहित भौतिकी के कई क्षेत्रों पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले होंगे।

वेधशालाओं का ग्रोथ (GROWTH: ग्लोबल रिले ऑफ़ ओब्ज़र्वेटरीस वाचिंग ट्रांसिएंट्स हैपेन) नेटवर्क

- **ग्रोथ (GROWTH)** ब्रह्मांड में तीव्र गति से परिवर्तित होने वाली घटनाओं जैसे सुपरनोवा ,न्यूट्रॉन तारों या ब्लैक होल का विलय और पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रह इत्यादि के भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए खगोल विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोगात्मक परियोजना है। यह अमेरिका, भारत, स्वीडन, ताइवान, जापान, इजराइल और जर्मनी के ग्यारह विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों की साझेदारी है।
- यह ब्रह्मांडीय क्षणिक घटनाओं के पता लगने के बाद के प्रथम 24 घंटो में लगातार डेटा एकत्रित करती है। जिससे इन घटनाओं की स्पष्ट तस्वीर निर्मित की जा सके एवं इनके विकास की भौतिक प्रक्रियाओं की बेहतर समझ विकसित हो सके।
- यह उत्तरी गोलार्द्ध में 17 वेधशालाओं को संयुक्त रूप से संचालित करती है। महाराष्ट्र में (पुणे के निकट) गिरावली वेधशाला – IUCAA इस नेटवर्क का भाग है।

पोलर (POLAR) प्रोजेक्ट

पोलर (**POLAR**) चीन और यूरोप का एक अंतरराष्ट्रीय मिशन है। ये मिशन यह स्थापित करने के लिए समर्पित है कि क्या गामा किरण प्रस्फोटों (GRBs) से नि:सृत होने वाले फोटोन ध्रुवित होते हैं। GRBs को विशेष रूप से ऊर्जावान प्रकार के तारकीय विस्फोट समझा जाता है।

6.13 एन्क्रिप्शन हेतु क्वांटम यांत्रिकी / तकनीक एक बड़े कदम के रूप में

(A Quantum step to a Great Wall for Encryption)

सुर्खियों में क्यों?

कुछ रिपोर्टों के अनुसार, गुप्त सूचना को कई हजार किलोमीटर की दूरी तक सुरक्षा के साथ प्रसारित करने के लिए चीन ने उपग्रह प्रौद्योगिकी और क्वांटम यांत्रिकी को संयुक्त किया है। साथ ही इसके विकूटन (decryption) का कोई भी अनधिकृत प्रयास शीघ्र ही पता चल जाएगा।

महत्व

यह तकनीक हमें बैंकिंग/वित्तीय लेन-देनों के साथ ही अन्य अनुप्रयोगों के लिए अधिकाधिक सुरक्षित प्लेटफार्म विकसित करने में सहायता कर सकती है।

क्वांटम यांत्रिकी (QM): क्वांटम यांत्रिकी में सब-एटामिक कण अर्थात इलेक्ट्रॉनों और फोटॉनों जैसे कणों का उपयोग किया जाता है। इसे ऐसे उत्पाद निर्मित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि वास्तविक विश्व को लाभान्वित करते हैं यथा वैश्विक, तात्कालिक संचार के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स एवं फाइबर-ऑप्टिक लाइनें।

क्वांटम क्रिप्टोग्राफी: यह हाल ही की तकनीक है जो फोटॉनों जैसे प्राथमिक कणों के प्रति-अंत:प्रज्ञात्मक व्यवहार (counterintutive behavior) का उपयोग कर दो पक्षों के बीच प्रेषित सूचना की गोपनीयता को सुनिश्चित करती है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, पारंपरिक **क्रिप्टोग्राफी** प्रणालियों से इस रूप में भिन्न है कि यह अपने सुरक्षा मॉडल के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में गणित के स्थान पर भौतिक विज्ञान पर अधिक निर्भर रहती है।

6.14. इंटरनेशनल BIO कन्वेंशन 2017

(2017 BIO International Convention)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिका के सैन डिएगो में जून 2017 में बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (BIO) के इंटरनेशनल BIO कन्वेंशन, 2017 का आयोजन किया गया।

बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (BIO)

- BIO सम्पूर्ण अमेरिका और 30 से अधिक अन्य देशों की जैव प्रौद्योगिकी कम्पनियों, शैक्षणिक संस्थाओं, राज्य जैव प्रौद्योगिकी केन्द्रों और सम्बन्धित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाला विश्व का सबसे बड़ा व्यापार संगठन है। BIO के सदस्य नवाचार

स्वास्थ्य सेवा, कृषि, औद्योगिक और पर्यावरण संबंधी जैव-प्रौद्योगिकी उत्पादों के अनुसंधान और विकास में लगे हुए हैं।

- प्रथम BIO इंटरनेशनल कन्वेंशन 1993 में आयोजित किया गया था। यह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम था। जैव प्रौद्योगिकी के प्रमुख नामों की BIO में भागीदारी है। यह नेटवर्किंग और भागीदारी के अवसर प्रदान करता है साथ ही जैव प्रौद्योगिकी उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को समझने की अंतर्दृष्टि और प्रेरणा प्रदान करता है। BIO इंटरनेशनल कन्वेंशन, विश्व के जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग को विकसित करने के मिशन को पूरा करने में BIO की सहायता करता है।

विवरण

इस कन्वेंशन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री श्री वाई. एस. चौधरी ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

- मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के पास रामलिंगास्वामी फेलोशिप, DST- इंस्पायर, DBT-वेलकम ट्रस्ट फेलोशिप और IYBA जैसी अनेक प्रतिष्ठित योजनाएँ हैं, जिनसे विदेश में कार्यरत उन भारतीय शोधकर्ताओं को भारत में पुनः प्रवेश का अवसर मिलेगा, जो देश में पोस्ट-डाक्टरेट रिसर्च करना चाहते हैं।
- इस अवसर पर भारतीय बायोटेक हैंडबुक, 2017 जारी की गई है। इस हैंडबुक में भारत की तेजी से बढ़ रही $ 42 बिलियन जैव-अर्थव्यवस्था (bio-economy) के सशक्त पक्षों को प्रदर्शित किया गया है।

6.15. नासा द्वारा पृथ्वी के आकार के 10 ग्रहों की खोज़

(NASA finds 10 Earth Sized Exoplanets)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नासा द्वारा पृथ्वी के आकार के 10 नये चट्टानी ग्रहों की खोज़ की गई है, जिन पर जल और जीवन के अनुकूल अन्य परिस्थितियों की उपलब्धता की सम्भावना विद्यमान है।

केप्लर मिशन:

- केप्लर एक अंतरिक्ष वेधशाला है। नासा द्वारा अन्य तारों की परिक्रमा कर रहे पृथ्वी के आकार के ग्रहों की खोज के लिए वर्ष 2009 में इसका प्रक्षेपण किया गया था। इस वेधशाला का नाम प्रसिद्ध खगोलशास्त्री जोहानेस केप्लर के नाम पर रखा गया है।
- केप्लर टेलिस्कोप द्वारा 'ट्रांजिट मूवमेंट ' के माध्यम से एक्सोप्लेनेट्स की उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है। इस विधि के तहत ग्रह अपने मातृ तारे के सामने से गुजरते हुए उसके प्रकाश को थोड़ा मंद कर देते हैं। केप्लर टेलिस्कोप द्वारा प्रकाश में आयी कमी को दर्ज कर ग्रह का आकार ज्ञात किया जाता है।

भविष्य के मिशन:

अन्य मिशन – जैसे TESS, *ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट*, 2018 में और उसके बाद *जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप* - पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज करते रहेंगे।

विवरण:

- यह एक्सोप्लेनेट्स के विवरण के लिए केप्लर द्वारा जारी अंतिम सूची है। इसमें केप्लर द्वारा 'सिग्नस तारामंडल' के निरीक्षण के पहले चार वर्षों (2009-13) के दौरान किए गए सर्वेक्षण की पुष्टि की गयी है।
- इस सूची में बताया गया है हमारी आकाशगंगा में लगभग आधे एक्सोप्लेनेट्स या तो गैसीय हैं, जिनकी कोई सतह नहीं होती है या उनका वायुमंडल इतना भारी है कि वहाँ जीवन सम्भव नहीं है।

एक्सोप्लेनेट

- हमारे सौर परिवार के बाहर स्थित ग्रहों को *एक्सोप्लेनेट* कहा जाता है। इनमे से अधिकांश किसी न किसी सौर प्रणाली का अंग होते हैं। कुछ अवांछित एक्सोप्लेनेट भी होते हैं, जो किसी भी सौर व्यवस्था से सम्बन्धित नहीं होते हैं। प्रथम *एक्सोप्लेनेट* '51-पेगासी-b' की खोज 1995 में की गयी थी।
- *एक्सोप्लेनेट* की खोज को हमारी सौर प्रणाली से बाहर, एलियन तथा अन्य रहने योग्य ग्रहों की खोज के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है।
- किसी ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक तत्व जल एवं पर्याप्त सूर्य के प्रकाश (पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली मात्रा के समान) की उपलब्धता के लिए *एक्सोप्लेनेट* के परिक्रमा पथ और उसके मातृ तारे के मध्य एक निश्चित दूरी होनी आवश्यक होती है। इस दूरी को "*गोल्डीलॉक्स*" जोन कहा जाता है, क्योंकि यह न ही तारे के इतनी निकट है और न ही इतनी दूर है कि यहाँ जीवन असम्भव हो जाए।

6.16. नाग मिसाइल

(Nag Missile)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में रक्षा अनुसन्धान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा राजस्थान में टैंक-भेदी मिसाइल "नाग" का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

विवरण:

नाग मिसाइल तीसरी पीढ़ी की "फायर एंड फॉरगेट" सिद्धांत पर आधारित टैंक-भेदी मिसाइल है। इसे भूमि एवं हवाई प्लेटफ़ॉर्म से फायर किया जा सकता है। इसे अत्याधिक उन्नत *इमेजिंग इन्फ्रारेड रडार* (IRR) और *इंटिग्रेटिड एविऑनिक्स* तकनीक से लैस किया गया है।

- यह एकीकृत नियंत्रित मिसाइल कार्यक्रम (IGMDP) के अंतर्गत विकसित की गयी पांच मिसाइल प्रणालियों में से एक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित अन्य चार मिसाइलें- अग्नि, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी हैं।

6.17. ब्रह्माण्ड के सबसे गर्म ग्रह की खोज

(Hottest Planet in Universe Discovered)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैज्ञानिकों ने अब तक ज्ञात सबसे गर्म ग्रह की खोज की है। इसे KELT-9b नाम दिया गया है। यह पृथ्वी से 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।

विवरण:

- KELT-9b आकार में बृहस्पति ग्रह के समान है और KELT-9 तारे की परिक्रमा डेढ़ दिन में पूरी करता है। यह ग्रह ब्रह्मांड के अधिकांश तारों से अधिक गर्म है। धूमकेतुओं की भांति इसकी भी एक चमकीली पूँछ है। इस पूँछ का निर्माण ग्रह के वाष्पीकरण के परिणामस्वरूप होता है। यह वाष्पीकरण ग्रह द्वारा तारे के परिक्रमण के दौरान तारे से निकले तीव्र *अल्ट्रावायलेट रेडिएशन* के संपर्क में आने से होता है।
- यह अपने तारे से उसी प्रकार *टाइडली लॉक्ड* है जैसे चंद्रमा और पृथ्वी। इसलिए इस ग्रह की *डे साइड* (वह भाग जो तारे की ओर रहता है) पर निरंतर तारे के विकिरण की बमबारी होती रहती है। इसके परिणामस्वरूप, यह ग्रह इतना गर्म है कि यहाँ जल, कार्बन डाई-ऑक्साइड और मीथेन जैसे अणु निर्मित नहीं हो सकते।

टाइडल लॉकिंग

टाइडल लॉकिंग उस स्थिति का नाम है, जिसमें किसी पिंड का परिक्रमण काल उसके घूर्णन काल के बराबर होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चन्द्रमा है। चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा के लिए 28 दिन लेता है और 28 दिन ही अपनी धुरी पर घूमने के लिए भी लेता है। इसके परिणामस्वरूप सदैव चन्द्रमा का एक ही हिस्सा पृथ्वी की ओर रहता है।

6.18. कार्टोसैट-2 श्रृंखला का उपग्रह :

(Cartosat-2 Series Satellite)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इसरो ने कार्टोसैट-2 श्रृंखला के छठे उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस प्रक्षेपण में कुल 31 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। यह इसरो द्वारा एक रॉकेट का उपयोग कर एक साथ प्रक्षेपित किये गये उपग्रहों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।

कार्टोसैट सैटेलाइट्स : कार्टोसेट श्रंखला सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में स्थित *अर्थ-ऑब्ज़र्वेशन सैटेलाइट्स* हैं। इन उपग्रहों द्वारा भेजे गये चित्र कार्टोग्राफिक एप्लीकेशन्स, तटीय भूमि-उपयोग और विनियमन, भू-उपयोग मानचित्रण, भौगोलिक एवं मानव निर्मित स्थलाकृतियों को सामने लाने के लिए *चेंज डिटेक्शन* व अन्य *लैंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स* (LIS) तथा *जियोग्राफिकल इनफार्मेशन सिस्टम* (GIS) एप्लीकेशन्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। इन चित्रों की उपयोगिता प्रबन्धन कार्यों जैसे कि सड़क-तन्त्र निगरानी, जल वितरण प्रबंधन आदि में भी है।

नैनो-सैटेलाइट्स या **नैनोसैट्स** का भार 1 किग्रा से लेकर 10 किग्रा के बीच होता है।

विवरण:

- इस प्रक्षेपण में 30 अन्य *नैनो-सैटेलाइट्स* भी शामिल हैं: जिसमें 29 विदेशी और 1 भारतीय *नैनो-सैटेलाइट* है। इस प्रक्षेपण से भारत द्वारा प्रक्षेपित किये गये विदेशी उपग्रहों की संख्या 300 का आंकड़ा पार कर गयी है।
- भारतीय *नैनो-सैटेलाइट* NIUSAT को तमिलनाडु के नूरल इस्लाम विश्वविद्यालय ने निर्मित किया है। यह कृषि फसलों की निगरानी के लिए *मल्टी-स्पेक्ट्रल इमेजरी* तथा *डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट एप्लीकेशन्स* के लिए प्रयोग किया जाएगा।

महत्त्व:

- कार्टोसैट-2 श्रृंखला के उपग्रह बहुत ही "कुशल/दक्ष" (agile) हैं। इन्हें किसी विशेष रूप से निर्दिष्ट क्षेत्र के विशिष्ट चित्र लेने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है।
- यह भारत की रक्षा निगरानी प्रणाली को सशक्त करेगा। इस उपग्रह से न केवल आतंकी शिविरों, बल्कि उनमें बने बंकरों की भी पहचान की जा सकेगी।
- इस प्रक्षेपण से भारत को *नैनो* और *माइक्रो-सैटेलाइट्स* के वैश्विक बाजार का कुछ और हिस्सा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह भागीदारी अगले तीन वर्षों में $3 बिलियन तक पहुँच सकती है।

6.19. पतंगों द्वारा पवन ऊर्जा

(Wind Power Through Kites)

पृष्ठभूमि

भारत सरकार द्वारा 2022 तक 60,000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जबकि वर्तमान में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 32000 मेगावाट है।

पवन ऊर्जा के समक्ष निवेश, भूमि, सौर ऊर्जा से प्रतिस्पर्धा आदि कई चुनौतियाँ हैं। हालांकि, इन समस्याओं के समाधान हेतु एक नयी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। इसके तहत 'पतंगों' का उपयोग करके पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।

पतंग द्वारा संचालित (काइट-ड्रिवेन) विद्युत स्टेशन

ये पतंगें, हल्की तथा कंट्रोलेबल एयरोडायनामिक फ्लाइंग डिवाइसेज हैं। इन्हें 750 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई पर एक सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है ताकि वायुमंडल के उस क्षेत्र में उपलब्ध तेज और नियमित रूप से चलने वाली पवनों का उपयोग किया जा सके। इन ऊँचे स्थानों पर पवन का वेग सतह की तुलना में दोगुना होता है। इस प्रकार इन पतंगों के प्रयोग द्वारा कम लागत में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।

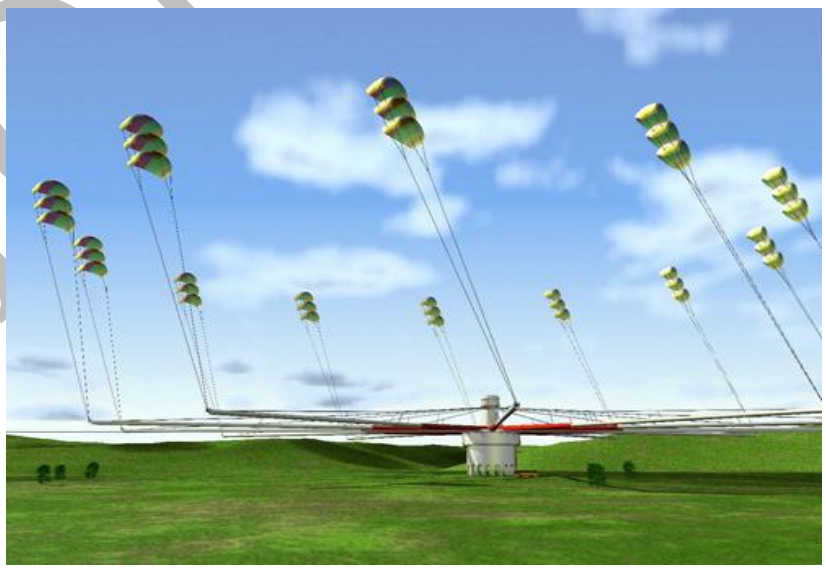

लाभ

- **ऊर्जा उत्पादन की कम लागत:** ऊर्जा उत्पादन की लागत परंपरागत विंड फार्म्स की तुलना में 50 से 60 प्रतिशत तक कम रहेगी।
- **काइट पावर सिस्टम्स अधिक लोचशील हैं:** उन्हें ऐसे सुदूर क्षेत्रों, गांवों, तथा घरों पर लगाया जा सकता है जो अभी तक पावर ग्रिड से नहीं जुड़ सके हैं। यहाँ ये स्वायत्त विद्युत उत्पादकों के रूप में कार्य करने में समर्थ होंगे। इसके साथ ही ये विशाल पावर प्लांट्स के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।
- **पारम्परिक टर्बाइनों की तुलना में ये अधिक लाभकारी हैं** क्योंकि इनमें शोर का स्तर नगण्य होता है, इनसे टकराकर पक्षियों के मरने का खतरा नहीं होता, ये लगभग अदृश्य होते हैं तथा आँधी, तूफानों का सामना करने में समर्थ होते हैं।
- इनके निर्माण में दुर्लभ धातुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः ये अधिक पर्यावरण अनुकूल होते हैं।

चुनौतियाँ

- आकाशीय बिजली के कारण पतंग के अंदर रखे छोटे कम्प्यूटर के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावनाएं रहती हैं।
- जिस ऊंचाई पर पतंग उड़ती है, उसके लिए इन पवन फार्मों के लिए स्थान के चयन में सावधानी बरतनी होगी ताकि ये वायुयानों के उड़ान पथ को बाधित न करें।

भारत के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

- कम लागत वाली तकनीकी वित्तीय भार को कम करने में सहायक होगी।
- GHG उत्सर्जन को कम करके INDC के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी।
- प्रौद्योगिकी को निम्नतम स्तर तक विकेंद्रीकृत किया जा सकता है, इस प्रकार 2019 तक सब के लिए विद्युत् आपूर्ति का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।

6.20. अंटार्कटिक नीति

(Antarctica Policy)

- भारत एक अंटार्कटिक नीति का प्रारूप तैयार कर रहा है। इस नीति को आगामी शीत कालीन सत्र में संसद में प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है।
- इस कानून में अंटार्कटिक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएँ, अनुसंधान, पर्यटन आदि जैसी गतिविधियों पर एक स्पष्ट नीति होने की आशा है।
- इस कानून का प्रारूप अंटार्कटिक संधि की सहमति से बनाया जायेगा। भारत द्वारा इसे स्वीकृत किया जा चुका है।

अंटार्कटिक संधि (Antarctica Treaty)

- 1 दिसम्बर 1959 को 12 देशों ने वाशिंगटन में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किये थे। इन देशों के वैज्ञानिक *इंटरनेशनल जियोफिजिकल इयर* (IGY) 1957-58 के दौरान अंटार्कटिक या उसके आस-पास के क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं।
- यह संधि 1961 से प्रभावी हुई थी। तब से अब तक कई राष्ट्रों ने इसे स्वीकार किया है। वर्तमान में इस संधि के सदस्य देशों की कुल संख्या 53 है।
- यह संधि 'समस्त मानव जाति के हित में यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गयी थी कि अंटार्कटिक को विशेष रूप से हमेशा शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ही उपयोग किया जायेगा तथा यह कभी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा या प्रयोजन नहीं बनेगा'।
- इस संधि के अंतर्गत केवल विज्ञान को समर्थन देने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि को प्रतिबंधित किया गया है। इसके तहत परमाणु विस्फोट और कचरे के निपटान पर रोक लगाई गयी है। यह संधि वैज्ञानिक आंकड़ों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करती है और सभी प्रकार के क्षेत्रीय दावों पर रोक लगाती है।

"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE
PRELIMS GS PAPER - 1

FOUNDATION COURSE
GS MAINS

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

Duration: 90 classes (approximately)

- Includes comprehensive coverage of all the major topics for GS Prelims
- Includes All India Prelims (CSAT I and II Paper) Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material for prelims examination

Duration: 110 classes (approximately)

- Includes comprehensive coverage of all the four papers for GS MAINS
- Includes All India GS Mains and Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of MAINS 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts & subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions & convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

7. सामाजिक मुद्दे

(SOCIAL)

7.1. भारत की पहली ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट

(India's First Transgender Sports Meet)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत की पहली *ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट* का आयोजन *केरल स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल* द्वारा तिरुअनंतपुरम् में किया गया।

पृष्ठभूमि:

- ट्रांसजेंडर्स के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए **ट्रांसजेंडर नीति का निर्माण करने वाला केरल भारत का पहला राज्य है।**
- खेलों की श्रेणियों का निर्धारण हमेशा से ही '*जेंडर बाइनरी लाइन्स*' अर्थात केवल दो लैंगिक श्रेणियों (पुरुष एवं महिला) के आधार पर किया जाता रहा है। अतः इस तरह के खेलों का आयोजन कानून और उसके प्रवर्तन के बीच के अंतराल को समाप्त करने के लिए किये जाने वाले प्रयासों के अनेक परिणामों में से एक है।

द ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स) बिल, 2016

- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा:** बिल के अनुसार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह है जो (i) न तो पूर्णतः महिला है और न ही पूर्णतः पुरुष (ii) महिला और पुरुष, दोनों का संयुक्त रूप है, अथवा (iii) न तो महिला है और न ही पुरुष।
- **भेदभाव पर प्रतिबन्ध:** यह ट्रांसजेंडर्स को मूलभूत क्षेत्रों में सेवाएँ देने से मना किए जाने तथा उनसे होने वाले भेदभाव से संरक्षण प्रदान करता है।
- **निवास का अधिकार:** प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने परिवार के साथ रहने और उसमें शामिल होने का अधिकार है।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति का पहचान-पत्र:** किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर इसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा।
- **सरकार के कल्याणकारी उपाय:** सरकार ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने और उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। इसके लिए सरकार पुनर्वास कार्यक्रमों, रोज़गार योजनाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे माध्यमों का प्रयोग करेगी।
- **अपराध और दंड:** विधेयक के अनुसार निम्न कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं:
  ट्रांसजेंडर्स से भीख मँगवाना, बल-पूर्वक या बँधुआ मजदूरी करवाना; उन्हें सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने से रोकना; उन्हें परिवार, गाँव आदि में निवास करने से रोकना; तथा उनका शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक अथवा आर्थिक उत्पीड़न करना। इन अपराधों के लिए छः माह से दो वर्ष तक का कारावास और अर्थ-दंड का प्रावधान है।
- ***नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स (NCT):*** केंद्र सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, विधानों और योजनाओं के निर्माण व निगरानी के विषय में सलाह देने के लिए NCT की स्थापना की जाएगी।

ट्रांसजेंडर्स की समस्याएँ:

- **सामाजिक कलंक (Social stigma)**: जन्म के साथ ही ट्रांसजेंडर्स को समाज से अलग-थलग कर दिया जाता है,जिससे उनका समाज के साथ एकीकरण नहीं हो पाता है।
- **शिक्षा:** उन्हें औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा नहीं मिल पाती। इतना ही नहीं, उनके लिए विशेष विद्यालयों का भी अभाव है।
- **रोज़गार:** कुल कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है।

आगे की राह :

- ट्रांसजेंडर्स की लैंगिक पहचान की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसके समाधान के लिए सरकार और सिविल सोसाइटी के प्रयासों के साथ ही ट्रांसजेंडर्स का समाज की मुख्यधारा में एकीकरण किया जाना भी आवश्यक है।
- **अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण:** आयरलैंड, अर्जेंटीना, माल्टा, कोलंबिया और डेनमार्क ट्रांसजेंडर समुदाय को खुद ही अपनी लैंगिक पहचान निर्धारित करने की अनुमति देते हैं। साथ ही वहां यह प्रावधान भी है कि इसके लिए उन्हें किसी चिकित्सा उपचार या बंध्याकरण (स्टेरलाइजेशन) की प्रक्रिया अपनाना आवश्यक नहीं है।

VISION IAS

7.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

(Beti Padhao Beti Bachao)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में यह पाया गया है कि कुछ अनधिकृत वेबसाइट्स, संगठन, NGOs और व्यक्ति 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत नकद लाभ दिलाने के नाम पर ग़ैर-कानूनी रूप से फॉर्म बाँट रहे हैं।

पृष्ठभूमि:

- 2011 की जनगणना के आँकड़े **बाल लिंगानुपात (*Child Sex Ratio: CSR*) में उल्लेखनीय गिरावट** प्रदर्शित करते हैं। यह 1961 में 976 के स्तर के मुकाबले 2011 में 918 के निम्नतम स्तर पर आ गये हैं। CSR की गणना 0-6 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक 1000 बालक पर मौजूद बालिकाओं की संख्या के रूप में की जाती है।
- इस गिरावट से चिंतित होकर भारत सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP) कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रारंभ में इस योजना को **100 जेंडर क्रिटिकल जिलों में लागू** किया गया था ताकि वहाँ व्याप्त कम CSR की समस्या से निपटा जा सके।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

- गर्भधारण की पहली तिमाही में आंगनवाड़ी केंद्रों (AWCs) में पंजीकरण को बढ़ावा देना।
- हितधारकों को प्रशिक्षण देना।
- समुदायों को संघटित करना तथा जागरूक बनाना।
- लोगों को जागरूक करने हेतु जेंडर चैंपियन की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- अग्रणी कार्यकर्ताओं और संस्थानों को पुरस्कृत और सम्मानित करना।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

- प्री-कान्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (PCP&DT) एक्ट,1994 के क्रियान्वयन की निगरानी करना।
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
- जन्म का पंजीकरण सुनिश्चित करना।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

- सभी बालिकाओं का स्कूलों में दाखिला।
- ड्राप-आउट रेट (स्कूल छोड़ने की दर) को कम करना।
- स्कूलों में बालिकाओं के अनुकूल मानक सुनिश्चित करना।
- शिक्षा के अधिकार (RTE) को सख्ती से लागू करवाना।
- बालिकाओं के लिए उपयोग योग्य शौचालयों का निर्माण।

योजना के बारे में :

बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका के जन्म को जश्न के रुप में मनाने के साथ ही उसे शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम बनाना है।

इस योजना के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- पक्षपातपूर्ण लिंग चयन की प्रक्रिया का उन्मूलन करना।
- बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना।

इस पहल के **दो प्रमुख अवयव हैं**:

- जन-संपर्क (Mass Communication) अभियान।
- प्रतिकूल CSR वाले 100 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बहुक्षेत्रीय कार्यवाही (multi-sectoral action) करना। इन जिलों का चयन सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में से किया गया था।

जन-संचार अभियान

- इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बालिकाओं को जन्म, पालन-पोषण और शिक्षा प्राप्त करते समय किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े और वे इस देश की सशक्त नागरिक बन सकें।
- यह 100 जिलों में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के प्रयासों को सामुदायिक स्तर की कार्यवाही के साथ इन्टरलिंक करता है। इस प्रकार विभिन्न हितधारक एक साथ आ जाते हैं, जिससे अभियान अधिक तीव्र गति से संचालित होता है।

VISION IAS

बहु-क्षेत्रीय कार्यवाही

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MoHRD) लगातार आपसी सामंजस्य के साथ कार्य कर रहे हैं। इन प्रयासों के माध्यम से बालिकाओं के जन्म, पालन-पोषण और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित और लक्ष्योन्मुखी प्रयास किये जा सकेंगे।
- जिला स्तर पर BBBP के क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर (DCs) सभी विभागों में समन्वय स्थापित करता है और उनका नेतृत्व करता है।

7.3. बाल विवाह के मामले में राजस्थान शीर्ष पर

(Rajasthan Leads In Child Marriages)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) के एक शोध के अनुसार राजस्थान में बाल विवाह के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं।

नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स (NCPCR)

- NCPCR की स्थापना कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स (CPCR) एक्ट, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में हुई थी।
- NCPCR महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
- आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियाँ, नीतियाँ तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के उस दृष्टिकोण के अनुरूप हो जो भारत के संविधान तथा साथ ही यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड में प्रतिपादित किया गया है।
- 0 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले व्यक्तियों को बालक के रूप में परिभाषित किया गया है।

मूलभूत तथ्य

- बाल-विवाह नगरीय क्षेत्रों (29%) की अपेक्षा **ग्रामीण क्षेत्रों(48%) में अधिक प्रचलित है**।
- सामान्यतः बाल विवाह की दर भारत के **मध्य और पश्चिमी भागों में सबसे अधिक** और देश के पूर्वी और दक्षिणी भागों में सबसे कम है।
- बिहार और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में लगभग 60% महिलाओं का विवाह बचपन में ही हो जाता है।
- झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में भी बाल-विवाह की दर राष्ट्रीय औसत दर से अधिक है।
- हालाँकि जिन राज्यों में बाल विवाह का प्रचलन कम है, उनमें भी ऐसे अनेक क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ बाल विवाह बड़े पैमाने पर प्रचलित है।

बाल-विवाह के कारण

- **शिक्षा के अवसर:** इन क्षेत्रों में शिक्षा गुणवत्ता विहीन और अवसंरचना अपर्याप्त है तथा परिवहन का समुचित प्रबंध नहीं है।.
- *प्रोहिबिशन ऑफ़ चाइल्ड मैरिज एक्ट* (बाल विवाह निषेध अधिनियम), 2006 (PCMA) के बारे में समाज में व्यापक जागरूकता विद्यमान है और लोग यह भी जानते हैं कि बाल विवाह अवैध है। इसके बावजूद, व्यक्तिगत स्तर पर लोग परम्पराओं और सामाजिक मानदंडों को कानून और वैधानिक संस्थाओं से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यही कारण है कि बहुत कम व्यक्ति ही बाल-विवाह के मामले की रिपोर्ट सरकार को करते हैं।
- लड़कियों को एक बोझ के रूप में देखा जाता है और यह भी माना जाता है कि परिवार में उनकी आर्थिक भूमिका नगण्य है।
- लड़कियों की उम्र और उनका शैक्षणिक स्तर बढ़ने के साथ ही उनके विवाह में माँगे जाने वाले **दहेज़ की मात्रा भी बढ़ जाती है**। दहेज़ प्रथा की इस विषम और शोषक परिस्थिति से बचने के लिए भी लोग अपनी बेटियों का विवाह बचपन में ही कर देने के लिए विवश हो रहे हैं।
- बाल-विवाह निषेध के मामलों में कानून का प्रवर्तन सापेक्षिक रूप से कमजोर है।

बाल-विवाह के प्रभाव

- बाल-विवाह, **बाल अधिकारों का उल्लंघन** है। इससे बच्चे के शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, मानसिक और भावनात्मक विकास तथा शिक्षा के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

VISION IAS

- बाल-विवाह समाज को समग्र रूप में नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। बाल-विवाह **निर्धनता-चक्र को और मजबूत बनाता है। यह लैंगिक भेदभाव, निरक्षरता तथा कुपोषण के साथ ही शिशु व मातृ मृत्यु दर में भी वृद्धि करता है।**
- बालिकाएँ और बालक दोनों ही बाल विवाह से प्रभावित होते हैं, लेकिन **बालिकाएँ तुलनात्मक रूप से अधिक संख्या में प्रभावित होती हैं और उन पर पड़ने वाला प्रभाव भी कहीं अधिक गहरा होता है।**
- सतत विकास लक्ष्यों के 5 वे लक्ष्य में बच्चों से जुड़ी सभी हानिकारक प्रथाओं जैसे बच्चे का कम उम्र में विवाह करना या जबरन विवाह करना, *फीमेल जेनिटल म्यूटीलेशन* आदि को समाप्त करना शामिल हैं।

सरकार की रणनीति और कार्यवाही

- *प्रोहिबिशन ऑफ़ चाइल्ड मैरिज एक्ट* (बाल-विवाह निषेध अधिनियम), 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 21 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह ग़ैर-कानूनी है।
- बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। इसमें एक लाख रुपये तक का जुर्माना, दो वर्ष तक के कारावास की सजा या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। यह **एक असंज्ञेय और ग़ैर-ज़मानती अपराध है।**
- दहेज़ को 1961 में ***द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट*** **(दहेज़ निरोधक अधिनियम)** के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। इसके तहत जुर्माने के रूप में 15,000 रुपये या दहेज़ की राशि में से जो भी अधिक हो और छः माह से 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है

इनके अतिरिक्त ***जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2000, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट*** **(घरेलू हिंसा अधिनियम),** ***2005 और प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेंसेज एक्ट, 2012*** कुछ अन्य कानून हैं जो किसी बाल-वधू को संरक्षण प्रदान करते हैं।

7.4. विश्व के गरीब बच्चों का 31% हिस्सा भारत में है

(India has 31% of World's Poor Kids)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑक्सफ़ोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के "बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त बच्चों" का लगभग 31% हिस्सा भारत में निवास करता है।

रिपोर्ट के बारे में

- देशों के अनुसार 68.9 करोड़ गरीब बच्चों में से 31% भारत में रहते हैं, इसके बाद नाइजीरिया (8%), इथियोपिया (7%) और पाकिस्तान (6%) हैं।
- अध्ययन के अनुसार, बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त बच्चों के कुल 87% हिस्से में से, दक्षिण एशिया में (44%) और उप-सहारा अफ्रीका में (43%) बच्चे निवास करते है।

अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी उपागम (Amartya sen's capability approach)

- कैपेबिलिटी उपागम के अंतर्गत व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्ता को केंद्र में रखते हुए क्षमता निर्माण को महत्व दिया जाता है, जिससे वे अपनी व्यक्तिगत पसंद के जीवन को प्राप्त कर सकें।
- यह एक ऐसा तथ्य है जो नैतिक मूल्यांकन के उपयोगितावाद या संसाधनवाद (resourcism) जैसे पूर्व स्थापित दृष्टिकोणों से इस उपागम को अलग सिद्ध करता है। द्रष्टव्य है कि उपयोगितावाद या संसाधनवाद (resourcism) जैसे उपागम या तो व्यक्तिगत कल्याण पर जोर देते हैं या अच्छे जीवन के साधनों की उपलब्धता पर केंद्रित होते हैं।
- एक व्यक्ति द्वारा अच्छा जीवन जीने की क्षमता को दो पदों "बीइंग और डूइंग" के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए तथा दूसरों के साथ अच्छे वास्तविक सम्बन्ध होने चाहिए।

ऑक्सफ़ोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI)

- यह ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय में ऑक्सफ़ोर्ड अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के अंतर्गत एक आर्थिक अनुसंधान केंद्र है।
- OPHI का लक्ष्य बहुआयामी गरीबी को कम करने के लिए लोगों के अनुभवों और मूल्यों पर आधारित अधिक व्यवस्थित पद्धति और आर्थिक ढांचे का निर्माण करना तथा इसे उन्नत बनाना है।
- **"बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त एक बच्चा" वह है जो निर्धारित दस संकेतकों में से कम से कम एक तिहाई के संबंध में अभावपूर्ण स्थितियों में रह रहा हो। ध्यातव्य है कि इन दस संकेतकों को गरीबी के तीन आयामों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।**

- स्वास्थ्य मानक में पोषण, बाल मृत्यु दर और शिक्षा जैसे संकेतक शामिल हैं।
- जीवन स्तर मानकों में खाना पकाने का ईंधन, बेहतर स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, बिजली, फर्श, और परिसंपत्तियों का स्वामित्व शामिल है।
- OPHI की कार्यप्रणाली अमर्त्य सेन के कैपेबिलिटी उपागम पर आधारित है।

7.5. भारत और जीका वायरस

(India and Zika Virus)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एड्वाइजरी जारी की है। जिसमें भारत में जीका वायरस से हुए संक्रमण के मामलो की संख्या की पुष्टि की गयी है।

पृष्ठभूमि

- WHO ने भारत को जीका वायरस के खतरे के संबंध में 'श्रेणी -2' में रखा है।
- श्रेणी -2, चार बिन्दुओं पर आधारित पैमाने पर दूसरी सबसे गंभीर श्रेणी है। द्रष्टव्य है कि इस श्रेणी में 2015 का जीका - हॉटस्पॉट माना जाने वाला ब्राजील भी शामिल है। यह इंगित करता है कि यह वायरस सक्रिय रूप से देश के भीतर फ़ैल रहा है।
- अप्रैल तक,भारत श्रेणी-4 में शामिल देश था।
- गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित बापूनगर इलाके में जीका वायरस के तीन मामले दर्ज किए गए थे।

भारत में जीका वायरस से उत्पन्न परिस्थितियों का प्रबंधन

भारत मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, आदि रोगों से प्रभावित रहा है। अब भारत में जीका महामारी के फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।

जीका वायरस के संक्रमण को बढ़ाने वाले कारक हैं:

- खराब स्वास्थ्य सुविधाएं
- जीका वायरस के खिलाफ प्रभावी टीकाकरण का अभाव
- जागरुकता की कमी
- माइक्रोसेफेली घटना के मामले में उपचार के बाद देखभाल की कमी।

जीका वायरस के बारे में

- जीका वायरस रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है।
- जीका प्रभावित रोगी द्वारा अपने साथी के साथ यौन संबंध स्थापित करने से उसमें भी जीका वायरस के लक्षण आ सकते हैं।
- जीका वायरस के रोगी को हल्का बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, नेत्रशोथ (conjunctivitis), मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द, बेचैनी या सिरदर्द के लक्षण हो सकते हैं। ये लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रहते हैं।
- वैज्ञानिकों ने इस बात पर आम सहमति प्रकट की है कि जीका वायरस माइक्रोसेफेली और *गुइलैन-बैरे सिंड्रोम* (Guillain-Barré syndrome) का एक कारण है।
- चिंता का एक अन्य कारण जीका तथा डेंगू या चिकनगुनिया के बीच का अंतर है। अन्य मच्छर जनित रोगों में जहाँ मच्छर काटने के बाद जल्द ही प्रकट होने वाले लक्षणों के आधार पर उनकी पहचान हो जाती है। वहीं जीका वायरस की पहचान छह महीने बाद अर्थात माइक्रोसेफेलिक शिशुओं के जन्म के बाद ही हो पाती है।
- फलस्वरूप जब तक सरकार को जीका वायरस की भयावहता का पता चलता है तथा वह गंभीर प्रयास करती है तब तक यह वायरस अत्यधिक लोगों को संक्रमित कर चुका होता है।

7.6. 'संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों' की व्यापक परिभाषा

(Wider Definition of Children Who Need Protection)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में " देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" की परिभाषा की व्यापक व्याख्या करने के लिए कहा है, क्योंकि इसके दायरे में यौन उत्पीड़न और तस्करी के शिकार बच्चों को शामिल नहीं किया गया है।

किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

- यह अधिनियम अपराधों को स्पष्ट रूप से अल्प गम्भीर, गंभीर और जघन्य रूप में परिभाषित करता है और प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं को परिभाषित करता है।
- **16-18 साल के आयु वर्ग** के व्यक्तियों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की संख्या को देखते हुए और पीड़ितों के अधिकारों को किशोरों के अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण मानते हुए, इस अधिनियम में विशेष प्रावधानों को शामिल किया गया है ताकि इस आयु वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किये गए जघन्य अपराधों से निपटा जा सके।
- यह अधिनियम किशोर न्याय बोर्ड को यह निर्धारित करने की शक्ति देता है कि 16 से 18 वर्ष कि उम्र के मध्य किये गए गंभीर अपराध को अपराधी ने 'बच्चे' के रूप में किया है या 'वयस्क' के रूप में। इस प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक विशेषज्ञों द्वारा बोर्ड की सहायता की जाएगी।
- यह **केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA-Central Adoption Resources Authority)** को एक वैधानिक दर्जा दिलाता है।
- इस अधिनियम के तहत संस्थागत और गैर-संस्थागत बच्चों के लिए पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के कई उपायों का प्रस्ताव है। यह नए उपायों के रूप में प्रायोजन और पालन-पोषण सम्बन्धी देखभाल प्रदान करता है।
- चाइल्ड केयर में लगे सभी संस्थानों को इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- **नए अपराधों** में अवैध दत्तक ग्रहण, चाइल्ड केयर संस्थानों में शारीरिक दंड, आतंकवादी समूहों द्वारा बच्चों का उपयोग, और विकलांग बच्चों के प्रति अपराध भी शामिल है।

पृष्ठभूमि

- **हालांकि, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 (14) में देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को परिभाषित किया गया है। इसके बावजूद भी परिभाषा में विशेष रूप से बच्चों की कुछ श्रेणियाँ शामिल नहीं हैं।**
- चूंकी किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के हितों एवं उनके अधिकारों को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है। अतः देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की परिभाषा की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए।

7.7. बाल श्रम: भारत ने बाल श्रम से लड़ने के लिए ILO कोर C का अनुमोदन किया

(Child Labour: India Ratifies ILO Core Conventions to Fight Child Labour)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने बाल श्रम पर दो प्रमुख ILO कन्वेंशन्स, मिनिमम ऐज कन्वेंशन (No 138) और *वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ़ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन* (No 182) का अनुमोदन किया।

पृष्ठभूमि

- भारत द्वारा 182वें और 138वें कन्वेंशन्स के अनुमोदन की मुख्य वजह बच्चों के बलात या अनिवार्य नियोजन से निपटना तथा खतरनाक व्यवसायों में रोजगार की उम्र 14 वर्ष से बढाकर 18 वर्ष करना था।
- भारतीय संसद द्वारा बाल श्रम (निषेध और नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के पास होने से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के नियोजन तथा 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों में नियोजित करने पर रोक लग जाएगी। जिसके कारण भारत अब 182वें और 138वें कन्वेंशन्स को स्वीकृति दे सकता है।
- हालांकि, ILO के 182वें और 138वें सम्मेलनों के प्रावधानों के तहत, भारत में बाल श्रम के सबसे खराब स्वरुप की समाप्ति के लिए किसी एक निश्चित समय सीमा का अनुपालन नहीं करना होगा।

न्यूनतम आयु सम्मेलन (No 138)	***वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ़ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन* (No 182)**
इसका अनुमोदन करने वाले देशों को बाल मजदूरी के प्रभावी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय नीति का पालन करने और रोजगार अथवा कार्य में नियोजन के लिए न्यूनतम आयु में वृद्धि करने की आवश्यकता है।	इस सम्मेलन का अनुमोदन करके, कोई भी देश बाल श्रम के सबसे बुरे स्वरूपों को निषेध और समाप्त करने हेतु त्वरित कार्रवाई करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है।

	182वें सम्मेलन के तहत निषिद्ध बाल श्रम में बाल श्रम के सबसे खराब स्वरुप दासता या दासता के समान प्रथाएं जैसे बच्चों की बिक्री और तस्करी, कर्ज स्वरुप बंधक, दासत्व तथा बलात या अनिवार्य श्रम, जिसमें सशस्त्र लड़ाई हेतु बच्चों की बलात अथवा अनिवार्य भर्ती शामिल है।

अनुमोदन महत्वपूर्ण क्यों है ?

- इन कन्वेंशन्स का अनुमोदन बाल श्रम उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है क्योंकि इससे कन्वेंशन्स के प्रावधानों का पालन करने की कानूनी बाध्यता होगी। ILO कन्वेंशन्स की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक चार वर्षों में की जाती है। इसमें सरकार को यह सिद्ध करना होगा कि वे प्रगति कर रहे हैं।
- इन दो प्रमुख कन्वेंशन्स के अनुमोदन के द्वारा, भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो बच्चों के रोजगार और नियोजन पर गंभीर प्रतिबंध लगाते हैं तथा इससे सम्बद्ध कानून को अपनाते हैं।

ILO और भारत

भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का एक संस्थापक सदस्य है, जो 1919 में अस्तित्व में आया। ILO ने कन्वेंशन्स, अनुशंसाओ और प्रोटोकॉल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित किया है।

कन्वेंशन और अनुशंसाएं: ILO,**अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों** को कन्वेंशन्स और अनुशंसाओं के रूप में स्थापित करता है। वे कानूनी साधन हैं। **कन्वेंशन**, वैधानिक रूप से बाध्य अंतरराष्ट्रीय संधियाँ हैं जिन्हें सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है जबकि अनुशंसाएं गैर-बाध्यकारी दिशा-निर्देशों के रूप में कार्य करती हैं। कई मामलों में, कन्वेंशन इसे अनुमोदित करने वाले देशों द्वारा लागू किए जाने वाले बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित करता है, जबकि इससे संबंधित अनुशंसाएं कन्वेंशन को लागू करने के तरीकों के बारे में अधिक विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करके कन्वेंशन को पूर्ण बनाती हैं। सिफारिशें स्वायत्त भी हो सकती हैं, अर्थात् इनका किसी भी कन्वेंशन से सम्बद्ध होना आवश्यक नहीं है।

फंडामेंटल कन्वेंशन: ILO के अधिशासी निकाय ने आठ कन्वेंशन्स को "फंडामेंटल" या मूल कन्वेंशन के रूप में चिन्हित किया है। ये उन विषयों को शामिल करते हैं जिन्हें कार्यक्षेत्र पर आधारभूत सिद्धांतों और अधिकारों के रूप में जाना जाता है। इन सिद्धांतों को कार्य के बुनियादी सिद्धांतों और अधिकारों के तौर पर ILO की घोषणा (1998) में शामिल किया गया है।

इन दो प्रमुख ILO कन्वेंशन्स के अनुसमर्थन के साथ, भारत ने अब तक 8 में से 6 मुख्य ILO कन्वेंशन्स का अनुमोदन किया है।

भारत द्वारा स्वीकृत अन्य चार प्रमुख कन्वेंशन्स निम्नलिखित हैं:

- फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन (No29) और बलात श्रम के उन्मूलन से सम्बंधित अबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन (No 105),
- इक्वल रिम्यनरेशन कन्वेंशन (समान पारिश्रमिक कन्वेंशन) (No 100),
- रोजगार और व्यवसाय में पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित डिसक्रिमिनेशन (एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन) कन्वेंशन है।

दो मुख्य ILO कन्वेंशन**, जिन्हें भारत द्वारा अभी तक अनुमोदित किया जाना बाकी है**। वे हैं:-

- फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राईट टू ऑर्गनाइज (No 87)
- राईट टू ऑर्गनाइज एंड कलेक्टिव बारगेनिंग कन्वेंशन (No 98)

7.8 इंटेंसीफायड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट

(Intensified Diarrhoea Control Fortnight)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डायरिया से होने वाली 'शिशु मृत्यु दर' को कम करने के प्रयासों में तेजी लाने के उद्देश्य से इंटेंसीफायड डायरिया कंट्रोल फॉर्टनाइट (IDCF), शुरू किया गया है।

पृष्ठभूमि

- WHO के अनुसार विश्व में 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण डायरिया है।

- शिशु मृत्यु दर (IMR) और अंडर-फाइव मृत्यु दर (U5MR) में निरंतर गिरावट के बावजूद, भारत में डायरिया से लगभग 1 लाख बच्चों की मौत हुई है।

इंटेंसीफायड डायरिया कंट्रोल फॉर्नाइट (IDCF)

- यह तीन एक्शन फ्रेमवर्क के तहत् कार्य करता है-
  - **संगठित करना**: स्वास्थ्य कर्मियों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों (NGO) द्वारा संगठित होकर कार्य करना।
  - **निवेश को प्राथमिकता**: सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता देना।
  - **जन जागरूकता बढ़ाना** : जिला और गांव के स्तरों पर नियमित रूप से ORS और जिंक थेरेपी प्रदर्शनी का आयोजन करना।
- आशा कार्यकर्ताओं को अपने गांव में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले घरों में ORS के पैकेट्स का वितरण करने की जिम्मेदारी दी गई है।
- स्वास्थ्य देख-रेख केंद्रों और गैर-स्वास्थ्य देख-रेख केंद्रों जैसे विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर ORS-जिंक कॉर्नर स्थापित किये जाएंगे।
- इन गतिविधियों को भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों विशेषकर शिक्षा, पंचायती राज संस्थान, महिला एवं बाल विकास, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- ओरल मेडिसन के अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा UPI के अंतर्गत जारी की गई रोटावायरस वैक्सीन भी डायरिया से हो रही मृत्यु दर को कम करने में मदद करेगी।

डायरिया क्या है?

- यह वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी द्वारा हो सकता है।
- डायरिया से पीड़ित व्यक्ति को लगातार ढीले दस्त होते हैं जो डिहाइड्रेशन का कारण बनता है।
- यह रोग प्रभावित व्यक्ति द्वारा तथा दूषित भोजन या दूषित पानी पीने से फ़ैल सकता है।
- सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, स्तनपान / उपयुक्त पोषण जैसे संरक्षणात्मक उपाय अपनाकर इसे फैलने से रोका जा सकता है।

ORS (ओरल रिहाइड्रैशन साल्ट सॉल्यूशन) क्या है?

- ORS ग्लूकोस-इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जिसमें नमक और चीनी का घोल होता है।
- यह सभी आयु समूहों के लिए सरल, सस्ता और प्रभावी हो सकता है।
- जिंक टैबलेट पूरक के रूप में कार्य करता है इसलिए इन दोनों को "ORS जोड़ी" कहा जाता है।

नेशनल ओरल रिहाइड्रैशन थेरपी (ORT) प्रोग्राम, 1985-86

- इस प्रोग्राम का उद्देश्य घर पर उपलब्ध तरल पदार्थ के उपयोग के सन्दर्भ में मातृ ज्ञान में सुधार करना है।
- इस प्रोग्राम के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं में ORS पैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।
- यह **बाल जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम** (CSSM) का एकीकृत हिस्सा है।

7.9. वात्सल्य- मातृ अमृत कोष

(Vatsalya- Maatri Amrit Kosh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में दिल्ली में स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय मानव (मातृ) दुग्ध बैंक और दुग्धपान परामर्श केंद्र (वात्सल्य - मातृ अमृत कोष) की स्थापना की गई है।
- इस कोष की स्थापना नार्वे सरकार, ओस्लो विश्वविद्यालय और निपी-नार्वे इंडिया पार्टनर इनीशियेटिव (NIPI) के सहयोग से हुई है।

पृष्ठभूमि

- भारत में लगभग 13 प्रतिशत नवजात शिशुओं की मृत्यु पर्याप्त स्तनपान के अभाव में 5 वर्ष के अंदर हो जाती है।

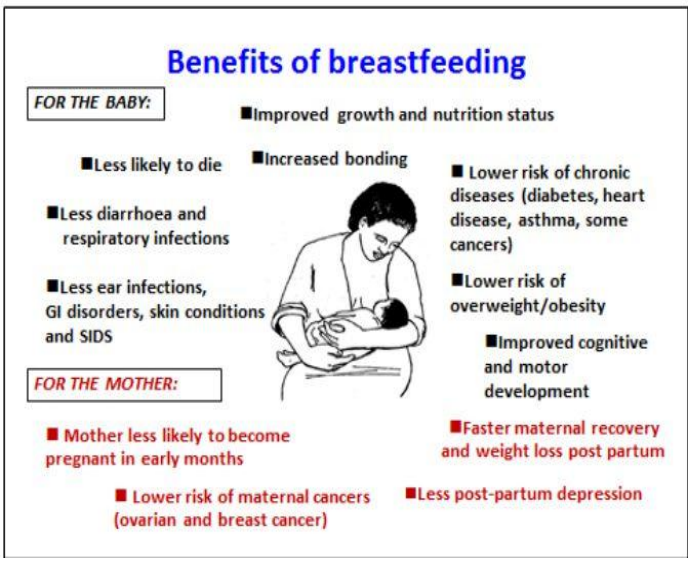

VISION IAS

- कुल प्रसव का 78.9 प्रतिशत संस्थागत प्रसव होने के बाबजूद भी शुरूआती स्तर पर मात्र 40 प्रतिशत माताएं स्तनपान कराती हैं।

विषय संबंधित अतिरिक्त जानकारी

- यह केंद्र स्तनपान कराने वाली माताओं द्वारा दान किये गये दूध को पाश्चराइज, परीक्षण और सुरक्षित रूप से संग्रहित करेगा और ज़रूरतमंद शिशुओं को उपलब्ध करायेगा।
- इस सुविधा से स्वस्थ माताओं के स्तनपान को संरक्षित, प्रचारित और समर्थन दिया जायेगा।
- प्रशिक्षित लैक्टेशन काउंसलर्स के माध्यम से माताओं को स्तनपान सम्बंधित जानकारियां प्रदान की जायेंगी।
- मदर ऐब्सोल्यूट अफेक्शन (MAA) प्रोग्राम स्तनपान के संदर्भ में जागरूकता फ़ैलाने और बच्चों की प्रतिरक्षा बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका बन गया है।

मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन (MAA)

- यह जनता के मध्य, विशेष रूप से माताओं और नवजात बच्चों से संबंधित परिवार में स्तनपान के लाभों के बारे में पर्याप्त जागरूकता फ़ैलाने हेतु एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- यह प्रोग्राम इष्टतम स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए है। इसके अंतर्गत जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराने, पहले छह महीनों के लिए विशेष स्तनपान, और कम से कम दो साल तक स्तनपान जारी रखने पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।
- इस प्रोग्राम के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में नर्सों, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA), आग्ज़िल्यरी नर्स मिड-वाइव्स (ANM) के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
- सभी राज्यों और जिला स्तर पर **माँ सचिवालय** और **एक स्टीयरिंग कमेटी** बनाई जाएगी।

7.10. समावेशी भारत पहल

(Inclusive India Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ **समावेशी भारत पहल : एक समावेशी भारत की ओर** सम्मेलन का आयोजन किया।
- राष्ट्रीय न्यास (नेशनल ट्रस्ट) को इस पहल हेतु नोडल एजेंसी बनाया गया है।

विषय संबंधित अतिरिक्त जानकारी

- विभिन्न सहयोगियों और मंत्रालयों की मदद से 'समावेशी भारत पहल' पर एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है।
- समावेशी भारत पहल के तीन मुख्य फोकस क्षेत्र हैं:
  - **समावेशी शिक्षा**
    - शिक्षा क्षेत्र में दिव्यांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जागरूकता अभियानों और निजी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
  - **समावेशी रोजगार**
    - समावेशी रोजगार के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कॉर्पोरेट संगठनों, सार्वजनिक और निजी दोनों संगठनों का समन्वय करना।
  - **समावेशी समुदायिक जीवन**
    - लोगों को लक्षित समूह के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु सिविल सोसाइटी संगठन और राज्य सरकार द्वारा आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना।
- सम्मेलन में राष्ट्रीय न्यास की सभी 10 योजनाओं का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया; जो निम्नलिखित हैं-
  - **दिशा -** बाल्य-कालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना
  - **विकास -** दिन में देखभाल (डे केयर) संबंधी योजना, प्राथमिक रूप से अंतर-वैयक्तिक एवं रोजगारपरक कौशल की वृद्धि हेतु
  - **समर्थ -** समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों, संकटग्रस्त परिवारों और बीपीएल तथा एलआईजी परिवारों के निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों (PwD) और निराश्रितों को राहतकारी देख-भाल उपलब्ध कराना है।
  - **घरौंदा -** वयस्कों के लिए समूहिक गृह तथा बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को आजीवन आवास और देखभाल सेवाएं प्रदान करना।
  - **निरामय -** इस योजना का उद्देश्य बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को मामूली कीमत पर स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है।

- **सहयोगी -**समुदाय आधारित सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण का शुभारंभ सेवा प्रदाता बनने में रुचि रखने वालों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। इस योजना का लक्ष्य जरुरतमंद दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को सेवा प्रदान करना है।
- **ज्ञान प्रभा -**ज्ञान प्रभा योजना का उद्देश्य शैक्षिक/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है।
- **प्रेरणा -** यह एक विपणन सहायता योजना है, निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की बिक्री के लिए व्यवहार्य और व्यापक चैनल के निर्माण का कार्य करती है।
- **संभव (सहायक सामग्री और सहायता उपकरण)-** इस योजना का उद्देश्य निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित उपकरणों, सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरणों को संग्रहीत करने के लिए प्रत्येक शहर में अतिरिक्त संसाधन केन्द्रों की स्थापना करना है।
- **बढ़ते कदम -** इस योजना का उद्देश्य निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के प्रति समुदाय की जागरूकता बढ़ाना, समाज को इनके प्रति संवेदशील बनाना तथा निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों का सामाजिक एकीकरण करके इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है।

राष्ट्रीय न्यास

- राष्ट्रीय न्यास, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है।
- न्यास का CEO संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है।
- इसकी स्थापना"आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास" अधिनियम 1999 की धारा 44 के अंतर्गत की गई है।
- राष्ट्रीय न्यास दिव्यांग व्यक्तियों के क्षमता विकास एवं अवसर प्रदान करने अर्थात् शिक्षा, रोजगार और समुदाय संवेदीकरण के लिए कार्य करता है।
- इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिभावकों की नियुक्ति तथा न्यासी प्रक्रिया को विकसित करना है।

7.11. शिक्षा नीति के लिए कस्तूरीरंगन समिति

(Kasturirangan Committee for Education Policy)

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतिम मसौदे को तैयार करने के लिए डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया है।
- समिति के गठन में देश भर के विभिन्न क्षेत्रों तथा आयु समूहों के सदस्यों को शामिल किया गया है। ताकि समिति द्वारा शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों/पहलुओं का बेहतर निरूपण किया जा सके।
- पूर्व में गठित टी.एस.आर सुब्रह्मण्यम पैनल और अनेक शिक्षाविदों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों और अन्य हितधारकों से प्राप्त हजारों सुझावों पर भी इस समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

सुब्रमण्यम पैनल की प्रमुख सिफारिशें

- शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को GDP के 3% से बढ़ा कर 6% तक किया जाए।
- सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षकों के लिए अनिवार्य प्रमाण-पत्र लागू किया जाए।
- माध्यमिक विद्यालयों के लिए मिड-डे मील योजना का विस्तार किया जाए।
- शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लागू किया जाए।
- नो-डिटेंशन पॉलिसी कक्षा 5 वीं तक ही रखी जाए।
- अल्पसंख्यक समुदायों के लिए निजी स्कूलों में EWS कोटा को 25% तक बढ़ाया जाए।
- शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाए।
- भारतीय शिक्षा सेवा (IES) नामक एक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जानी चाहिए।
- छात्रवृत्ति और फेलोशिप के वितरण में UGC की भूमिका में कमी की जाए और उच्च शिक्षा के प्रबंधन के लिए पृथक कानून का बनाया जाए।

VISION IAS

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1. अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का उत्सव

(Celebrations of Sabarmati Ashram in Ahmedabad)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री ने गुजरात में साबरमती आश्रम के शताब्दी समारोह में भाग लिया।

साबरमती आश्रम:

- 1915 में जीवनलाल देसाई द्वारा साबरमती आश्रम को स्थापित किया गया। तत्पश्चात गांधीजी द्वारा 1917 में इसे साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित कर दिया गया।
- इस आश्रम का विचार दक्षिण अफ्रीका के टॉलस्टॉय फार्म तथा फीनिक्स आश्रम से प्रेरित था।
- साबरमती आश्रम (जिसे हरिजन आश्रम भी कहा जाता था) 1917 से 1930 तक गांधीजी का घर था और इसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य किया।
- गांधीजी ने 1930 में नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक अपनी पदयात्रा (पैदल मार्च) प्रारम्भ की। इस समय उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह तब तक साबरमती आश्रम नहीं लौटेंगे जब तक भारत को स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो जाती।
- अप्रैल 1936 में गांधीजी ने **शेगाँव** को अपना निवास स्थान बनाया। इसे उन्होंने 'सेवाग्राम' का नाम दिया। सेवाग्राम का अर्थ है 'सेवा का गाँव'।

8.2. भारत के सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन

(National Mission on Cultural Mapping of India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संस्कृति मंत्रालय ने भारत के सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन का शुभारम्भ किया।

सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन:

- यह मिशन **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** पहल का एक भाग है।
- इस मिशन का लक्ष्य भारत के विशाल और व्यापक सांस्कृतिक पटल को एक ध्येयात्मक सांस्कृतिक मानचित्र में परिवर्तित करना, राष्ट्र के समस्त कलाकार समुदाय की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए तंत्र तैयार करना तथा कलाकारों की सांस्कृतिक धरोहर व उनकी विभिन्न कलाओं को इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रूप में संरक्षित रखना है।
- इस मिशन में सांख्यिकीय मानचित्रण, प्रक्रियाओं को औपचारिक बनाने के लिए जनसांख्यिकी तैयार करना तथा बेहतर परिणामों के लिए सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को एक वेब आधारित छाते (web based umbrella) के अंतर्गत लाना है।
- इस मिशन का यह भी उद्देश्य है कि कलाकारों और सरकार के बीच सीधी संचार व्यवस्था हो तथा कलाकारों के बीच अपनी प्रतिभा को प्रखर बनाने व एक दूसरे का सहयोग करने के लिए पारस्परिक संचार व्यवस्था (पियर-टू-पियर) हो।

एक भारत श्रेष्ठ भारत:

- इसका लक्ष्य यह है कि भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच सक्रिय रूप से पारस्परिक क्रिया बढ़ा कर उनके बीच पारस्परिक समझ को प्रोत्साहित किया जा सके।
- इस कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को किसी अन्य राज्य / केंद्र शासित प्रदेश से पारस्परिक क्रिया के लिए जोड़ा जायेगा।
- इस आदान-प्रदान के माध्यम से यह परिकल्पना की गयी है कि विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति, परम्पराओं और प्रथाओं के ज्ञान से एक दूसरे के प्रति समझ और सम्बन्धों में वृद्धि होगी। इससे भारत की अखंडता और एकता को सशक्त किया जा सकेगा।

8.3. बंगाली अख़बारों के प्रकाशन की द्वि-शताब्दी

(Bicentenary of Publication of Bengali Newspaper)

- पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल श्री केशरी नाथ त्रिपाठी ने बंगाली अख़बारों के दो सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक संस्करण जारी किया है।

VISION IAS

- देश के पहले अख़बार हिक्की के **'बंगाल गजट'** का प्रकाशन कोलकता में 1780 में हुआ था। इस अख़बार का प्रकाशन 23 मार्च, 1782 को बंद कर दिया गया था। यह अख़बार केवल दो वर्ष तक ही प्रकाशित हुआ था।
- ***समाचार दर्पण*** बंगाली भाषा का पहला समाचार-पत्र था। इसका प्रकाशन 23 मई, 1818 को सेरामपुर मिशन प्रेस द्वारा किया गया था।
- 1821 में राममोहन राय के सरंक्षण में ***संवाद कौमुदी*** बंगाली पत्रिका का प्रकाशन हुआ था।
- ***संवाद प्रभाकर*** 1839 में प्रकाशित पहला बंगाली दैनिक अखबार था, जो ईश्वर चंद्र गुप्त द्वारा संरक्षित था।
- प्रारम्भिक बंगाली अख़बारों ने नील बागानों के शोषित श्रमिकों और किसानों के मुद्दों को उठाया। उनमें ***सोम प्रकाश, ग्रामवार्ता प्रकाशिका*** और ***अमृत बाज़ार पत्रिका*** (अंग्रेजी साप्ताहिक बनने से पहले) उल्लेखनीय थे।
- उन्नीसवीं सदी के 80 के दशक तक बंगाल अखबारों के प्रकाशन का सबसे प्रमुख केंद्र था। 1876 में सर जॉर्ज कैम्पबेल द्वारा इंडियन लैंग्वेज प्रेस के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि कुल 38 समाचार पत्रों का आधा हिस्सा कोलकाता से प्रकाशित होता था।

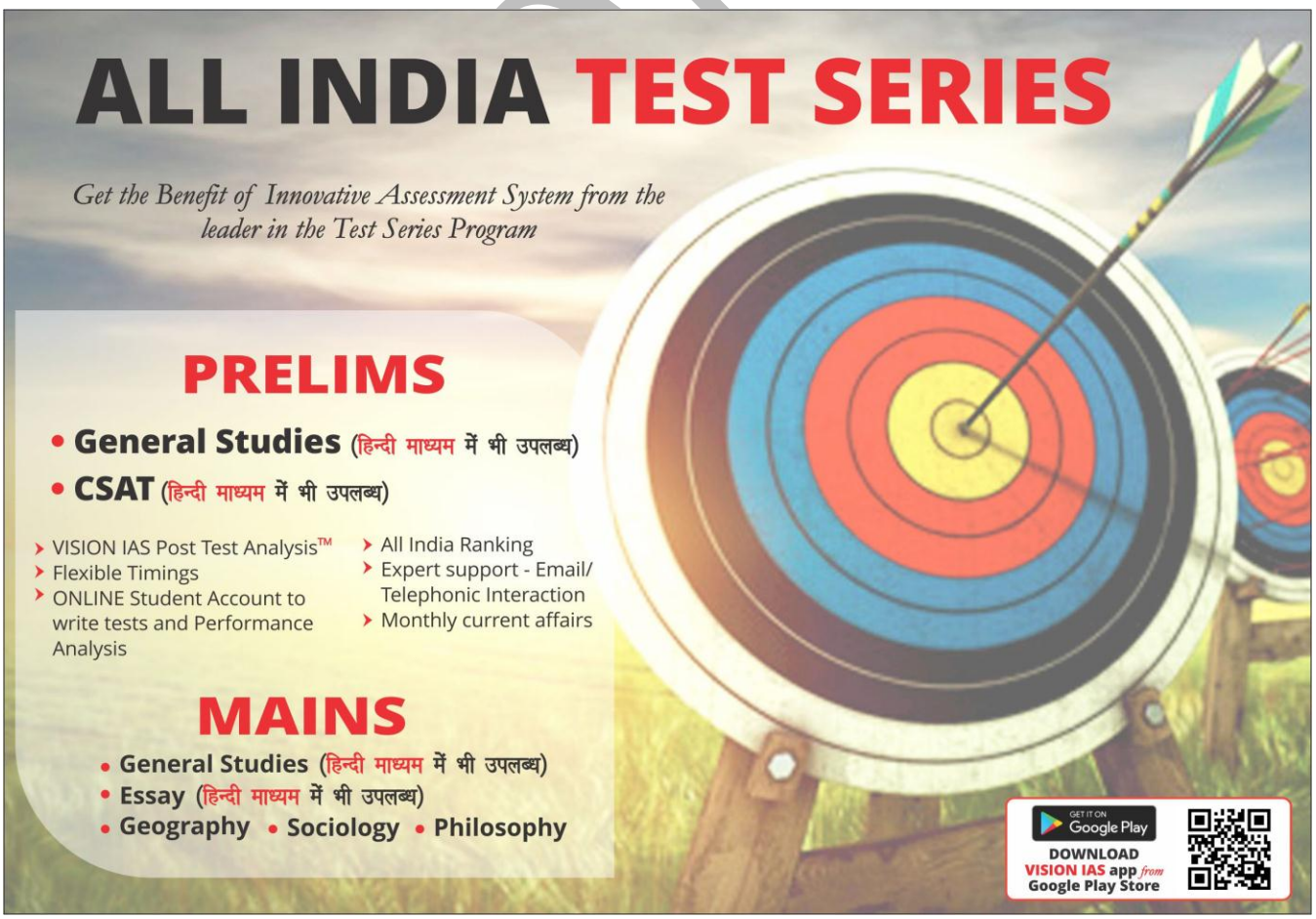

9. नीतिशास्त्र

(ETHICS)

9.1. प्रतिबन्ध संस्कृति

(Ban Culture)

ऐसा लगता है कि भारत और विश्व में एक प्रतिबंधात्मक संस्कृति का उद्भव हो रहा है। वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबन्ध, मुस्लिमों की यात्रा पर प्रतिबन्ध, "सैटेनिक वर्सेस" जैसी पुस्तकों पर प्रतिबन्ध, अप्रवासी प्रतिबन्ध, मदिरा प्रतिबन्ध आदि जैसे उदाहरणों से समाचार पत्र भरे रहते हैं।

प्रतिबन्ध क्यों लगाये जाते हैं?

- **किसी उचित उद्देश्य की प्राप्ति की अनुभूति कराना –** प्रतिबन्ध "उचित उद्देश्यों" का एक स्पष्ट प्रदर्शन है। इन्हें प्रचारित करने वाला व्यक्ति यह अनुभूति कराना चाहता है कि इनका उद्देश्य वास्तव में किसी बुराई, संकट या अव्यवस्था को समाप्त करना है। उदाहरण के लिए वाहनों पर लगाए जाने वाले लाल बत्ती पर प्रतिबन्ध से लोगों को लगता है कि इससे VIP संस्कृति का उन्मूलन हो जाएगा।
- **राजनीतिक लाभ** – प्रतिबन्धों से लोगों का विभिन्न वर्गों में विभाजन हो जाता है परिणामस्वरूप राजनेताओं के लिए अपने मतदाता आधार के कुछ भाग को संगठित करना आसान हो जाता है।
- **सार्वजनिक नैतिकता–** व्यापक पैमाने पर आम जनता की वैधता या नैतिकता प्रभावित या बाधित होने पर प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते हैं।
- **सार्वजनिक सुरक्षा-** कुछ वस्तुओं जैसे कुछ दवाओं या रसायनों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के कारणों से प्रतिबन्ध लगाया जाता है, जैसे हाल ही में कुछ निश्चित मिश्रण वाली दवाओं पर भारत में प्रतिबन्ध लगाया गया है।

प्रतिबंध कुछ निश्चित मामलों जैसे सती प्रथा आदि पर ही प्रभावी हुए हैं। अधिकांश प्रतिबंध सामान्यतः प्रभावी नहीं हुए हैं, जैसे भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबन्ध आदि। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं:

- **मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया** – मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति उस स्वाधीनता को प्राप्त करने की होती है जिससे उन्हें वंचित किया जाता है। यह प्रवृत्ति उन्हें उस व्यवहार में लिप्त होने के लिए प्रेरित करती है जिसके लिए उन्हें मना किया जाता है।
- **बहिर्जात परिवर्तन–** प्रतिबन्ध आरोपित करने से आचरण में बदलाव नहीं आता है, फलत: तस्करी आदि के माध्यम से प्रतिबंधित उत्पादों का भूमिगत व्यापार चलता रहता है।
- **अनुचित प्रचार–** जिन वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है, वे समाप्त होने के स्थान पर सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक स्तर पर फ़ैल जाती हैं, उदाहरण के लिए *इंडियाज डॉटर डॉक्युमेंटरी फिल्म*।
- **बढ़ती हुई मांग** –प्रतिबंधों से माँग पक्ष प्रभावित नहीं होता है, इससे आपूर्ति श्रृंखला के वैकल्पिक मार्ग विकसित होने में सहायता प्राप्त होती है।

प्रतिबन्ध की संस्कृति से सम्बन्धित नैतिक मुद्दे:

- **अलोकतांत्रिक–** प्रतिबंधों के द्वारा प्रतिबन्ध लागू करने वाले प्राधिकरण का 'मेरा मार्ग' या 'बाहर का मार्ग' वाला दृष्टिकोण प्रदर्शित होता है।
- **बलपूर्वक आरोपित–** यह कानून की दंडात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, परन्तु इसे दक्षता से लागू करने के लिए इसे स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले लोगों की पर्याप्त संख्या में आवश्यकता होती है। जब इस प्रकार के प्रतिबन्धों को लागू करने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है तो इससे न्याय का हनन होता है।
- **पक्षपातपूर्ण और भयावह–** अधिकांश प्रतिबन्ध समाज के किसी वर्ग को अधिकारविहीन बनाने के लिए लागू किये जाते हैं – भले ही वह जीविका का अधिकार हो या संगठन बनाने, आन्दोलन चलाने आदि का अधिकार हो। ये प्रतिबन्ध उनके मन में भय बैठाने के लिए होते हैं।
- **असहिष्णुता और निरंकुशता**- प्रतिबन्ध का आशय है किसी समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार के विचारों, आदतों या संस्कृति के प्रति असहिष्णुता। राजनीतिक वर्ग के अतार्किक और विसंगत कदमों से संवाद की संस्कृति लुप्त होती जा रही है।
- **नौकरशाही का अधिक प्रयोग–** प्रतिबन्धों को लागू करने के लिए नौकरशाही ढांचे की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय संसाधनों का स्वयं दोहन कर लेती है।

यदि प्रतिबन्ध किसी सामाजिक बुराई पर लगाया जाता है तो उस परिस्थिति में लोगों को प्रेरणाप्रद मनोवैज्ञानिक परामर्श देना और समझाना-बुझाना भी आवश्यक है। यह आचरण में दीर्घकालिक परिवर्तन लाने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है। ऐसे मुद्दों पर निर्णय

VISION IAS

लोगों द्वारा अकेले न लेकर जनमत का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की जन असहमति से आशंकित होने के स्थान पर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रतिबन्ध के कारण उच्च पदों पर आसीन लोग शासित व्यक्तियों के विचारों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। इस कारण उत्पन्न हो रहे असंतोष से 'सार्वजनिक व्यवस्था' की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

हालाँकि कानून द्वारा कुछ निश्चित गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक होता है भले ही उनके लागू होने में दक्षता की कमी हो। उदाहरण के लिए- सरकार बाल विवाह या दहेज प्रथा को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकती, इसका अर्थ यह नहीं है कि उन पर लगाया गया प्रतिबन्ध निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

10. विविध

(MISCELLANEOUS)

10.1. सम्पूर्ण योग ग्राम

(Total Yoga Village)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केरल का कुन्नमथनम नामक ग्राम पहला सम्पूर्ण योग ग्राम बन गया है। यहाँ की पंचायत में प्रत्येक परिवार का कम से कम एक सदस्य योग में प्रशिक्षित है

10.2. INAM-Pro+ का शुभारम्भ:

Launch of INAM-PRO+

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री द्वारा नई दिल्ली में INAM-Pro+ का शुभारम्भ किया गया है।

INAM-PRO क्या है?

इस वेब पोर्टल को दो वर्ष पूर्व नेशनल हाइवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) द्वारा डिजाइन तथा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

- यह सीमेंट क्रेताओं और विक्रेताओं को एक साथ लाने के लिए एक साझा मंच है।
- यह पोर्टल सामग्रियों की उपलब्धता एवं मूल्यों आदि की तुलना करने में सहायता करता है साथ ही सम्भावित क्रेताओं के लिए पारदर्शी ढंग से उचित दरों में सीमेंट की खरीद को बहुत सुविधाजनक बनाता है।

INAM-PRO+ क्या है?

- यह INAM-PRO का एक उन्नत संस्करण है। इसमें निर्माण सामग्री से सम्बन्धित सभी निर्माण सामग्री उपकरणों / मशीनरी और सेवाओं जैसे खरीद/किराए पर लेने/नए और पुराने उत्पादों के पट्टों और सेवाओं को सम्मिलित किया गया है।

10.3. पुर्तगाल ने भारत के साथ 400 वर्ष पुराने अभिलेखागार साझा किए

(Portugal Shares 400-Year-Old Archives with India)

- अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक नये समझौते के अंतर्गत पुर्तगाल ने भारत को 'मॉन्कोस डो रिनो' (मानसून पत्राचार) नामक दस्तावेजों का संग्रह सौप दिया है।
- इस संग्रह में लिस्बन से गोवा तथा अरब और यूरोपीय शक्तियों के साथ व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता तथा निकटवर्ती पड़ोसी दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के राजाओं से उनके सम्बन्धों से सम्बन्धित दस्तावेज सम्मिलित हैं।
- 1777 में इन 62 संस्करणों के 12,000 से अधिक दस्तावेजों (1605 से 1651 की अवधि से सम्बन्धित) को गोवा से लिस्बन स्थानांतरित किया गया था।
- भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को इससे सम्बन्धित 62 संस्करणों की डिजिटल प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं।

10.4 कन्याश्री प्रकल्प योजना

(Kanyashree Prakalpa Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित कन्याश्री प्रकल्प योजना को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- भारत को एशिया-प्रशांत समूह में 'रीचिंग द पूवरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल थ्रू इंक्लूसिव सर्विसेज एंड पार्टिसिपेशन' (Reaching the Poorest and Most Vulnerable through Inclusive Services and Participation) श्रेणी के लिए प्रथम स्थान पर नामित किया गया है।

कन्याश्री प्रकल्प योजना के बारे में

- इस योजना का उद्देश्य छोटे नकदी हस्तांतरण के माध्यम से वंचित परिवारों (परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 से अधिक नहीं) की किशोरियों की स्थिति में सुधार करना है।
- इसके कुछ उद्देश्यों में सभी किशोरियों की स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह की रोकथाम और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना सम्मिलित है।

10.5. पहली ग्रामीण LED स्ट्रीट लाईट परियोजना

(First Rural LED Street Lighting Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि वह आंध्रप्रदेश के 7 जिलों की ग्राम पंचायतों में 10 लाख पारम्परिक स्ट्रीट लाईटों के स्थान पर LED लाईटें लगाएगी।
- भारत सरकार के *स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम* (SLNP) के अंतर्गत देश में LED स्ट्रीट लाईट की यह पहली परियोजना है।

स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP)

- इसके अंतर्गत सरकार का लक्ष्य पूरे देश में 3.5 करोड़ पारम्परिक स्ट्रीट लाइट्स के स्थान पर LED लाइट्स लगाना है।
- एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड (EESL) द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL)

- इसकी स्थापना ऊर्जा मंत्रालय (भारत) के अंतर्गत ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुसाध्य बनाने के लिए किया गया था।
- यह NTPC लिमिटेड और एनर्जी फाइनेंस कार्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोर्पोरेशन और पावरग्रिड का संयुक्त उपक्रम है।
- यह नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी (National Mission for Enhanced Energy Efficiency) के बाजार सम्बन्धी कार्यों की ओर भी अग्रसर है।
- यह राज्य DISCOMs की क्षमता निर्माण के लिए संसाधन केंद्र के रूप में भी कार्य करता है।

10.6 पहला स्वदेश में निर्मित फ्लोटिंग डॉक

(First Indigenously Built Floating Dock)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी फ्लोटिंग (तैरता हुआ) डॉक (FDN-2) चेन्नई के एन्नोर बन्दरगाह के निकट कट्टूपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया गया।

डॉक के सम्बन्ध में:

- यह फ्लोटिंग डॉक 185 मीटर लम्बा और 40 मीटर चौड़ा है। इससे सभी प्रकार के पोतों की डॉकिंग सम्भव होगी।
- इसमें 8000 टन तक के नौसैनिक पोतों और पनडुब्बियों को खड़ा किया जा सकता है।
- इसमें दिन और रात दोनों समय पर सात मीटर तक का ड्राफ्ट शामिल होगा।
- FDN-2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थापित होगा।

FDN-2 का महत्त्व

- FDN-2 नौसेना के पोतों की तकनीकी मरम्मत क्षमता में वृद्धि करेगा।
- FDN-2 मरम्मत और रखरखाव कार्य को बढ़ाने के लिए अधिक क्षमता और लचीलेपन में वृद्धि करेगा।

10.7 NASA का सुपरसोनिक जेट:

(NASA's Supersonic Jet)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नासा ने एक शांत (कम आवाज पैदा करने वाले) सुपरसोनिक जेट का विकास किया है। यह जेट स्थल पर भी सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकता है।

अन्य तथ्य

- नासा द्वारा शांत सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट (QueSST) एरक्राफ्ट डिजाइन का प्रारम्भिक डिजाइन निरीक्षण पूरा कर लिया गया है।
- QueSST, नासा द्वारा नियोजित *लो बूम फ्लाईट डेमन्स्ट्रेशन* (LBFD) के प्रायोगिक वायुयान के आरंभिक चरण का डिज़ाइन है। इसे X-वायुयान के नाम से भी जाना जाता है।
- यह नासा के **न्यू एविएशन होराईजन पहल** के अंतर्गत X-वायुयानों की श्रृंखला का पहला जेट है।
- वर्तमान में QueSST डिजाइन सुपरसोनिक विमान के साथ विघटनकारी सोनिक बूम बनाने के स्थान पर हल्की आवाज (सॉफ्ट थम्प) करने में सक्षम है।

VISION IAS